द्वितीय माला, खण्ड २०—अंक २३
१० सितम्बर १९५८ (बुधवार)

लोक-सभा
वाद-विवाद

2nd Lok Sabha

(Fifth Session)

सत्यमेव जयते

(खण्ड २० में अंक २१ से अंक ३० तक हैं)

लोक-सभा, सचिवालय,
नई दिल्ली

६२ नये पैसे (देश में)   ३ शिलिंग (विदेश में)

191 (A) LSD

विषय-सूची

(द्वितीय माला, खण्ड २०--अंक २१ से ३०--८ सितम्बर से १९ सितम्बर १९५८)

पृष्ठ

अंक २१ सोमवार, ८ सितम्बर, १९५८

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या १००९, १०११ से १०१७ और १०१९ से १०२२ . . . . २४९१--२५१३

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या १०१०, १०१८ और १०२३ से १०५४ . २५१३--२७

अतारांकित प्रश्न संख्या १६३२ से १६९६ . . . २५२७--५३

स्थगन प्रस्ताव--

उत्तर प्रदेश में कथित खाद्य संकट . . . २५५३--५९

दो सदस्यों की गिरफ्तारी २५५९

दो सदस्यों को सजा २५५९-६०

सभा-पटल पर रखे गये पत्र २५६०

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति . . . २५६०

तारांकित प्रश्न संख्या ८० के उत्तर की शुद्धि . . २५६१

उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (सेवा की शर्तें) विधेयक--पुरःस्थापित २५६१

अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम (पद उन्मुक्तियां और विशेषाधिकार) विधेयक--पुरःस्थापित २५६२

सरकारी भूगृहादि (अनधिकृत कब्जाधारियों का निष्कासन) विधेयक राज्य सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव . २५६२--९७

खण्ड २ और ३ . . . . . २५८९--९७

खाद्य स्थिति पर विचार करने के लिये अनौपचारिक बैठक के सम्बन्ध में वक्तव्य २५९७--२६००

दैनिक संक्षेपिका २६०१--०६

पृष्ठ

अंक २२—मंगलवार, ६ सितम्बर, १९५८

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १०५५, १०५६, १०५८, १०५९, १०६१, १०६३, १०६५, १०६७ से १०६९, १०७१ से १०७४, १०७६, १०७८ और १०७९ . . . . . २६०७—३१

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ८ . . . . २६३१—३३

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १०५७, १०६०, १०६२, १०६४, १०६६, १०७०, १०७५, १०७७, १०८० से १०८९ और ५६५ . . २६३३—४१

अतारांकित प्रश्न संख्या १६९७ से १७५५ . . . २६४१—६८

स्थगन प्रस्ताव—

उत्तर प्रदेश विधान सभा में शान्ति स्थापित करने के लिये सशस्त्र सिपाहियों का बुलाया जाना . . . . २६६८—७४

सभा-पटल पर रखे गये पत्र . . . २६७४—७६

श्री शि० ला० सक्सेना द्वारा वक्तव्य २६७५

राज्य सभा से सन्देश २६७६

लोक लेखा समिति—

९वीं रिपोर्ट २६७६

सरकारी भूगृहादि (अनधिकृत कब्जाधारियों का निष्कासन) विधेयक—

खण्ड ४ से १४ और १ . . . . . २६७७—९५

पारित करने के लिये प्रस्ताव . . . २६९४–९५

केरल तथा मद्रास राज्य में विषाक्त खाद्यपदार्थों से हुई घटनाओं के बारे में प्रस्ताव . . . . . . २६९५—२७०४

दैनिक संक्षेपिका . . . २७०५–०९

अंक २३—बुधवार, १० सितम्बर, १९५८

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १०९० से ११०० और ११०३ से ११०८ २७११—३४

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ११०१, ११०२, ११०९ से ११३७, ६३१ और ६७४ . . . . . . २७३४—४९

अतारांकित प्रश्न संख्या १७५६ से १८१४ और १८१६ से १८३० २७४९—८१

पृष्ठ

सदस्य द्वारा पद-त्याग २७८१

स्थगन प्रस्ताव के बारे में—

उत्तर प्रदेश विधान सभा के सत्र में विरोधी दल के सदस्यों द्वारा भाग न लिया जाना . . . . २७८१—८४, २७८५

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—

छब्बीसवां प्रतिवेदन . . २७८४

भारतीय चिकित्सा परिषद् (संशोधन) विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव . २७८६—९५

खण्ड २ और १ . . २७९३–९४

पारित करने का प्रस्ताव . २७९५

दिल्ली किराया नियंत्रण विधेयक—

संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव . . २७९५—२८०५

पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास के बारे में चर्चा २८०६—१६

संसद् (अनर्हता निवारण) विधेयक—

संयुक्त समिति का प्रतिवेदन . . २०१६

कार्य मंत्रणा समिति—

उनतीसवां प्रतिवेदन . . २८१६

दैनिक संक्षेपिका . . २८१७—२१

अंक २४—गुरुवार, ११ सितम्बर, १९५८

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ११४० से ११४५, ११४७, ११५०, ११८३, ११५१ से ११५४, ११५६ से ११५९, ११६२ से ११६४, ११६६, ११६८, ११६९, ११७१ और ११७२ . . . . २८२३—४८

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ११३८, ११३९, ११४६, ११४८, ११४९, ११५५, ११६०, ११६१, ११६५, ११६७, ११७०, ११७३ से ११८२ और ११८४ . . . . . . २८४९—५९

अतारांकित प्रश्न संख्या १८३१ से १९०३, १९०५ से १९१३ और १९१५ से १९१८ . . . . . २८५९—९२

	पृष्ठ
स्थगन प्रस्ताव के बारे में प्रश्न . . .	२८९२
सभा-पटल पर रखे गये पत्र .	२८९२–९३
राज्य-सभा से सन्देश . . .	२८९३
याचिका का उपस्थापन	२८९३
पठानकोट में गोला-बारूद की पेटियों में विस्फोट के बारे में वक्तव्य .	२८९३–९४
कार्य मंत्रणा समिति—	
उनतीसवां प्रतिवेदन .	२८९५
दिल्ली किराया नियंत्रण विधेयक—	
संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव .	२८९५—२९३२
दैनिक संक्षेपिका . . .	२९३३—३९

अंक २५—शुक्रवार, १२ सितम्बर, १९५८

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ११८५ से ११८८, ११९० से ११९६, ११९८ से १२०३, १२०७ और १२०८ . . .	२९४१—६६
अल्प सूचना प्रश्न संख्या ९ और १०	२९६६—७०
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ११८६, ११९७, १२०४ से १२०६ और १२०९ से १२२२	२९७०—७७
अतारांकित प्रश्न संख्या १९१९ से १९७२ और १९७४ से १९९९	२९७७—३०१०
सरदार सम्पूर्ण सिंह का निधन	३०१०
सभा पटल पर रखे गये पत्र .	३०१०–११
राज्य सभा से सन्देश	३०११
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	
भारत तथा पाकिस्तान के प्रधान मंत्रियों के बीच हुई बातचीत के परिणाम .	३०११—१६
तारांकित प्रश्न संख्या ९१३ के उत्तर की शुद्धि .	३०१६–१७
तारांकित प्रश्न संख्या २३२ के उत्तर की शुद्धि . .	३०१७
सभा का कार्य . .	३०१७
तेल की खोज के बारे में वक्तव्य . .	३०१८
समिति के लिये निर्वाचन—	
प्राक्कलन समिति . .	३०१८–१९

पृष्ठ

उच्चन्यायालय न्यायाधीश (सेवा की शर्तें) संशोधन विधेयक—
पुरःस्थापित . . ३०१९

दिल्ली किराया नियंत्रण विधेयक—
संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव . ३०१९—२५

वाणिज्यिक नौवहन विधेयक—
संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव ३०२५—३१

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति—
छब्बीसवां प्रतिवेदन . ३०३१—३२

राष्ट्रीय भारतीय युवक परिषद् बनाने के बारे में संकल्प—
वापिस लिया गया ३०३२—३४

कुछ न्यायाधिकरणों को उच्च न्यायालयों तथा उच्चतम न्यायालय के क्षेत्राधिकार से हटाने के बारे में संकल्प—
अस्वीकृत . . . . . ३०३५—४८

उड़ीसा, मध्यप्रदेश तथा बिहार राज्यों के बीच सीमा संबंधी झगड़ों का निर्णय करने के लिये एक आयोग की स्थापना के बारे में संकल्प . . ३०४८

दैनिक संक्षेपिका . . ३०४९—५५

अंक २६—सोमवार, १५ सितम्बर, १९५८

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—
तारांकित प्रश्न संख्या १२२३ से १२२५, १२२७, १२२८, १२३०, १२३२ से १२३५, १२३७ से १२४१, १२४३ से १२४८ और १२५३ . ३०५७—८३
अल्प सूचना प्रश्न संख्या ११ और १२ ३०८३—८६

प्रश्नों के लिखित उत्तर—
तारांकित प्रश्न संख्या १२२६, १२२९, १२३१, १२३६, १२४२, १२४९ से १२५२ और १२५४ से १२६३ . . . ३०८६—९४
अतारांकित प्रश्न संख्या २००० से २०८९ . ३०९५—३१३२

स्थगन प्रस्ताव—
किमाय और माट्सू द्वीप के संबंध में वाशिंगटन में वित्त मंत्री का वक्तव्य . . . . ३१३२—३५

स्थगन प्रस्ताव के बारे में ३१३६—३८

सभा-पटल पर रखे गये पत्र . ३१३८—३९

राज्य-सभा से सन्देश ३१३९

	पृष्ठ
एक सदस्य की गिरफ्तारी तथा सजा . . .	३१३६
एक सदस्य की गिरफ्तारी	३१३६
वाणिज्यिक नौवहन विधेयक——	
संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव——	३१३६——५४
गन्दी बस्तियाँ हटाने के बारे में मंत्रणा समिति के प्रतिवेदन के संबंध में चर्चा	३१५४——७७
दैनिक संक्षेपिका	३१७८——८४
अंक २७——मंगलवार, १६ सितम्बर, १९५८	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर——	
तारांकित प्रश्न संख्या १२६५ से १२६७, १२६९, १२७१ से १२७६, १२७८ से १२८१, १२८३, १२८४, १२८७ और १२८८ .	३१८५——३२०९
अल्प सूचना प्रश्न संख्या १३	३२०९——११
प्रश्नों के लिखित उत्तर——	
तारांकित प्रश्न संख्या १२,६४, १२६८, १२७०, १२७७, १२८२, १२८५, १२८६, और १२८९ से १३०५ .	३२११——२०
अतारांकित प्रश्न संख्या २०९० से २१७६	३२२०——५३
दो सदस्यों की गिरफ्तारी .	३२५३
सभा पटल पर रखे गये पत्र .	३२५४
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना——	
बीमा एजेन्टों को दिये जाने वाले कमीशन में कमी	३२५५–५६
वाणिज्यक नौवहन विधेयक——	
संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव	३२५६——९५
दैनिक संक्षेपिका	३२९६——३३०२
अंक २८——बुधवार, १७ सितम्बर, १९५८	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर——	
तारांकित प्रश्न संख्या १३०६ से १३१०, १३१२, १३१५ से १३१७, १३२१ से १३२८ और १३३०	३३०३——२९
अल्प सूचना प्रश्न संख्या १४ .	३३३०–३१
प्रश्नों के लिखित उत्तर ——	
तारांकित प्रश्न संख्या १३११, १३१३, १३१४, १३१८ से १३२०, १३२९ और १३३१ से १३४९	३३३१——४१

पृष्ठ

अतारांकित प्रश्न संख्या २१७७ से २२६३ ... ३३४१—७९

स्थगन प्रस्ताव के बारे में ... ३३७९—८०

जानकारी का प्रश्न ... ३३८०

सभा पटल पर रखे गये पत्र ... ३३८०—८१

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—

सत्ताईसवां प्रतिवेदन . ३३८१

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

उड़ीसा राज्य के कालाहांडी जिले में हैजे का प्रकोप ... ३३८१

विष (संशोधन) विधेयक—

पुरस्थापित . ३३८१—८२

वाणिज्यिक नौवहन विधेयक—

संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार .

खण्ड २ से २०, २२ से १००, १०२ से १४६, २१, १०१, १०३ से ४६१, अनुसूची और खंड १ . ३३८२—३४१६

संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव . . ३४१३—१६

द्वितीय पंचवर्षीय योजना के मूल्यांकन तथा उसकी संभावनाओं के बारे में प्रस्ताव . ३४१६—२८

दैनिक संक्षेपिका . ३४२९—३४

अंक २९—गुरुवार, १८ सितम्बर, १९५८

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १३५०, १३५१, १३५४, १३५६ से १३६५ और १३६७ . . . ३४३५—५७

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १३५२, १३५३, १३५५, १३६६, १३६८ से १३७९ और १३८१ से १३९५ . . ३४५७—६९

अतारांकित प्रश्न संख्या २२६४ से २३७६ ... ३४६९—३५१९

सभा पटल पर रखे गये पत्र . ३५२०

एक सदस्य का अपराधी ठहराया जाना . . . ३५२१

द्वितीय पंचवर्षीय योजना के मूल्यांकन तथा उसकी संभावनाओं के बारे में प्रस्ताव . ३५२१—६१

दैनिक संक्षेपिका . . . . ३५६२—६९

अंक ३०—शुक्रवार, १९ सितम्बर, १९५८

	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या १३९६, १३९८ से १४००, १४०२, १४०४, १४०५, १४०८, १४०९, १४११, १४१२ और १४१४ .	३५७१—९५
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या १३९७, १४०१, १४०३, १४०७, १४१०, १४१३ और १४१५ से १४२६ .	३५९५—३६०१
अतारांकित प्रश्न संख्या २३७७ से २४३६	३६०२—२६
डा० भगवान दास का निधन	३६२६—३०
सभा पटल पर रखे गये पत्र	३६३०—३१
राज्य सभा से सन्देश	३६३१
सभा का कार्य . .	३६३१—३२
समितियों के लिये निर्वाचन .	३६३२—३३
१. प्राक्कलन समिति; और	
२. लोक लेखा समिति ?	
लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक—	
पुरःस्थापित	३६३३
द्वितीय पंचवर्षीय योजना के मूल्यांकन तथा उसकी संभावनाओं के बारे में प्रस्ताव . . .	३६३३—४७
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—	
सत्ताइसवां प्रतिवेदन	३६४७
अयोग्य व्यक्ति बन्ध्यीकरण विधेयक—	
पुरःस्थापित .	३६४८
छावनी (संशोधन) विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव	३६४८—५९
समवाय (संशोधन) विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव .	३६५९—६३
कार्य मंत्रणा समिति—	
तीसवां प्रतिवेदन . . .	३६६३
सामाजिक सुरक्षा योजना के बारे में आधे घण्टे की चर्चा .	३६६३
दैनिक संक्षेपिका	३६६४—७०

नोटः— मौखिक उत्तर वाले प्रश्न में किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

लोक-सभा

बुधवार, १० सितम्बर, १९५८

लोक सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुये]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

दिल्ली में खून वाली पेचिश, हैजा और अतिसार के रोगी

†*१०९०. श्री जाधव :
श्री ईश्वर अय्यर :
श्री नारायण कुट्टि मेनन :
डा० राम सुभग सिंह :
श्रीमती मफीदा अहमद :
श्री न० रा० मुनिस्वामी :
श्री वारियर :
श्री कोडियान :
श्री नवल प्रभाकर :
श्री राम कृष्ण :

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जल की कमी से उत्पन्न स्थिति के परिणामस्वरूप दिल्ली में हैज़ा, गैस्ट्रो-अतिसार और पेचिश से कितने व्यक्ति बीमार हुये हैं ;

(ख) इनमें से कितने रोगियों की मृत्यु हुई ; और

(ग) इन रोगों को संक्रामक रूप में न फैलने देने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

†स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) ८/९ सितम्बर, १९५८ की अर्द्धरात्रि तक अतिसार/हैज़ा से ५५७ व्यक्ति पीड़ित हुये थे । पेचिश के रोगियों की संख्या उपलब्ध नहीं है ।

(ख) ४४ ।

---

†मूल अंग्रेजी में

91(A) LSD—1

(ग) रोगों को न फैलने देने और उनके नियंत्रण के लिये निम्न कार्यवाही की गई हैं :—

(१) जल संभरण के स्रोतों का रोगाणुनाशन और जनता को पीने के पानी को उबालने की सलाह

(२) वृहद् संख्या में लोगों को टीके लगाने का कार्यक्रम

(३) वातावरण सम्बन्धी स्वच्छता में समुन्नति और मक्खी निरोधी कठोर कार्यवाही

(४) अस्वास्थ्यकर खाद्य-पदार्थों का विनाश

(५) रोगों को फैलने से रोकने के लिये की गई कार्यवाहियों के बारे में स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा पर्याप्त प्रोपेगैण्डा और प्रचार

(६) भोजनालयों और रेस्तरां की स्वच्छता का कठोर निरीक्षण

†**श्री जाधव** : क्या यह सच है कि पानी के दूषित होने की खबर अधिकारियों को उचित समय पर दे दी गई थी परन्तु दिल्ली में निर्वाचक-गण के निर्वाचनों के कारण उसे प्रकाशित करना ठीक नहीं समझा गया ।

†**श्री करमरकर** : पानी के प्रश्न तक आने के लिये अभी भी ४० प्रश्न शेष हैं । अभी हम खून वाली पेचिश, हैज़ा तथा अतिसार से सम्बन्धित प्रश्नों पर ही हैं ?

†**श्री वारियर** : माननीय मंत्री द्वारा उल्लिखित ४४ मृत्युओं में से कितनी मृत्युयें हैज़ा से हुई हैं और किन स्थानों पर हुई हैं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : मुझे केवल इस बात का डर है कि यदि वे शहर के इस विशेष भाग को बता देंगे तो भय उत्पन्न हो जायगा । हर एक व्यक्ति अपना पेट दबाने लगेगा ।

†**श्री करमरकर** : मेरे नोट में बताया गया है कि २३-८-१९५८ को हैज़ा से ३९ मृत्युयें हुई थीं ।

†**श्री तंगामणि** : अभी तक हमें यह बताया गया है कि ये मृत्युयें अतिसार से हुई हैं । अतएव मैं यह जानना चाहता हूं कि ये सभी मृत्युयें केवल अतिसार से हुई हैं अथवा अन्य बीमारियों से भी हुई हैं ।

†**श्री करमरकर** : जी, नहीं । जैसा मैं कह चुका हूं, मैंने कुल संख्या ५५७ बताई है । मैं कल आधी रात तक की अद्यावत् सूचना भी देता हूं :

अतिसार से बीमार व्यक्ति . . .	दिन में १६
मृत्युयें	कोई नहीं
अतिसार के अब तक बीमारों की संख्या . .	५६८
ऐसे बीमारों की संख्या जिनका आज तक हैज़े के कीटाणुओं से पीड़ित होना सिद्ध हो चुका है . .	९२
२३-८-१९५८ तक मृत्युओं की कुल संख्या . .	३९

†**श्री जाधव** : क्या श्री निरुला जो जीवन बीमा निगम के कर्मचारी थे खूनी पेचिश से मर गये हैं।

†मूल अंग्रेज़ी में

†अध्यक्ष महोदय : उसकी अनुमति नहीं दी जा सकती । दिल्ली में १७ लाख व्यक्ति हैं ।

†श्री जाधव : वे कहते हैं कि सूचना प्राप्य नहीं है ।

†अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य कृपया माननीय मंत्री को इस सम्बन्ध में लिखकर पूछ लें ।

†डा० राम सुभग सिंह : विवरण के पहिले पैराग्राफ़ में कहा गया है :

"जल संभरण के स्रोतों का रोगाणुनाशन और जनता को पीने के पानी को उबालने की सलाह ।"

क्या वह पानी जो दक्षिणी दिल्ली की लगभग एक लाख आबादी को ओखला से दिया जाता है स्थायी रूप से दूषित हो गया है और यदि हो गया है तो सरकार वहां की आबादी को शुद्ध पानी देने के लिये दूसरी क्या व्यवस्था कर रही है ।

†श्री करमरकर : मुझे उसका उत्तर देने के लिये दूसरा अवसर मिलना चाहिये । यह ध्रुव सत्य है कि ओखला में क्लोरीन की अधिक मात्रा दी जाती है जिससे कि क्लोराइड तत्व कम हो जायें । इस दृष्टि से वह जल संभरण के स्थायी साधन के लिये सन्तोषजनक नहीं हैं । स्थायी व्यवस्था के सम्बन्ध में मुझे पूर्वसूचना मिलनी चाहिये क्योंकि मैं एकाएक इस पर कुछ नहीं कहना चाहता ।

श्री नवल प्रभाकर : क्या मैं जान सकता हूं कि दिल्ली में जो छूत की बीमारी का अस्पताल है उसमें ठीक तरह से देखभाल नहीं की जाती है और साथ ही साथ कुछ स्टाफ की भी क्या उसमें कमी है ?

श्री करमरकर : जहां तक मैं जानता हूं देखभाल ठीक तरह से की जाती है । जहां तक स्टाफ की कमी की बात है मैं यह कहना चाहता हूं कि आम तौर से स्टाफ की कमी नहीं होती है और अगर होती है तो वह भी ठीक हो सकती है अगर दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन जल्दी से जल्दी कार्रवाई करे और इस ओर अधिक ध्यान दे ।

श्री नवल प्रभाकर : क्या मैं जान सकता हूं कि इन दिनों कितने व्यक्तियों को दिल्ली के अन्दर हैज़े के टीके लगाये गये हैं ?

†श्री करमरकर : लगाये गये टीकों की आज तक की कुल संख्या :

दिल्ली . . .	८,५६,५८५
नई दिल्ली . . .	१,१२,४८९

संसद्-सदस्यों के लिये अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना

†*१०९१. श्री राम कृष्ण : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि संसद्-सदस्यों के लिये अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना चालू करने के सम्बन्ध में क्या निर्णय हुआ है ?

†स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) : ऐसे संसद्-सदस्यों के लिये परीक्षा के बतौर अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना चालू करने का प्रस्ताव है जो उसमें शामिल होना चाहते हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री राम कृष्ण : ऐसे कितने संसद्-सदस्य हैं जो इस योजना में शामिल होने को तैयार हैं ?

†श्री करमरकर : मेरी समझ में आजतक ११० से कुछ कम सदस्य इसमें शामिल होने को तैयार हैं। मैं इसमें संशोधन किये जाने की गुंजाइश रखते हुये कह रहा हूं परन्तु फिर भी लगभग उतनी ही संख्या होगी ।

†श्री राम कृष्ण : इस योजना के अन्तर्गत क्या चिकित्सा-सुविधायें दी जायेंगी ?

†अध्यक्ष महोदय : क्या वे सब लोगों के समान ही होंगी ? क्या वे उसी प्रकार की होंगी जो अन्य लोगों को मिलती हैं अथवा वे किसी विशेष प्रकार की होंगी ?

†श्री करमरकर : जी, नहीं । सब के लिये एक सी ही होंगी । उनमें निश्चय ही कोई अन्तर न होगा ।

†श्री रंगा : लगभग एक वर्ष से ज्यादा हो गया जब सदस्यों से यह कहा गया था कि वे इसमें शामिल होने या न होने की अपनी इच्छा बतायें और यद्यपि हम से कुछ ही लोगों ने, जैसा कि मंत्री जी ने स्वीकार किया है, यह सूचित कर दिया है कि हम उसमें शामिल होना चाहते हैं, तथापि अभी तक कुछ भी नहीं किया गया । वे कहते हैं कि परीक्षा के बतौर चलाने का प्रस्ताव ही रखा गया है ।

†श्री करमरकर : यह कठिनाई है कि इस प्रकार की प्रत्येक डिसपेंसरी और व्यवस्था में घाटा होता है । यह घाटा कहीं से पूरा करना पड़ता है । अब यह प्रश्न विचाराधीन है कि क्या यह घाटा संसदीय मामलों के विभाग के आय-व्ययक से अथवा स्वास्थ्य मंत्रालय के आय-व्ययक से पूरा किया जाय । हमने प्रस्ताव रखा है कि उसे स्वास्थ्य मंत्रालय से पूरा किया जाये । मामला तब से वहीं पड़ा हुआ है और चूंकि यह मामला संसद्-सदस्यों से सम्बन्धित है, मेरी आपसे प्रार्थना है कि यदि वे स्वास्थ्य मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, तथा संसदीय कार्य विभाग एक साथ मिलकर निश्चय करें तो इस काम में शीघ्रता की जा सकती है ।

†अध्यक्ष महोदय : सब मंत्रियों से यह कहना तो अलग रहा, मैं माननीय सदस्यों को ही योजना के पक्ष में सन्तुष्ट कर सकने में असमर्थ हूं । आखिर इसमें पांच पये से ज्यादा का खर्च नहीं है । मुझ से बार बार शिकायतें की गई हैं । मुझे मालूम है कि सारी योजना ऐसी है कि एक बार आप पांच रुपया दे दोजिये फिर जा भी दवायें प्राप्य हैं, वे आपको मुफ्त दी जायेंगी परन्तु फिर भी मैंने देखा है कि कुछ सदस्य वैद्य को चाहते हैं और कुछ हकीम को । वास्तव में यह एक आश्चर्य की बात है । यदि माननीय सदस्य सहयोग नहीं देते, तो फिर क्या किया जा सकता है ?

†श्री रंगा : मैं आप से यह प्रश्न नहीं पूछ सकता, किन्तु आपके जरिये माननीय मंत्री से यह पूछना चाहता हूं कि वे इस योजना को संसद्-सदस्यों के लिये अनिवार्य क्यों नहीं कर देते ? वे उक्त रकम को हमारे वेतनों से काट लें ।

†श्री करमरकर : मैं इसके लिये तैयार हूं । मैं इसे चालू करने के लिये अत्यन्त उत्सुक हूं । वास्तव में उसे कई महीनों पहले से यथासम्भव शीघ्र प्रारम्भ करने के लिये उत्सुक था परन्तु जब अन्ततः वित्त का प्रश्न आता है तब मेरे मंत्रालय को वित्त मंत्रालय का सहारा लेना पड़ता है । जैसा कि मैं बता चुका हूं, इस विषय में मतभेद है । एक पक्ष का कहना है कि यह खर्च स्वास्थ्य मंत्रालय पूरा करे और दूसरे का कथन है कि इसे संसदीय-कार्य विभाग से पूरा किया जाय । हम दोनों के खिलौने बने हुये हैं परन्तु मैं इसे तुरन्त ही चालू करने के लिये उत्सुक हूं ।

† अंग्रेजी में

†श्री फिरोज गांधी : क्या सदस्यों को दी जाने वाली चिकित्सा-सुविधायें वैसी ही होंगी जैसीकि मंत्रियों को मिलती हैं ?

†श्री करमरकर : जी हां, ठीक वैसी ही । सिर्फ मंत्रियों को अधिक पैसा देना पड़ता है ।

†श्री फीरोज गांधी : माननीय मंत्री एक प्रश्न का उत्तर देते हैं और फिर यह कहते हैं कि वे वैसी नहीं हैं ।

†अध्यक्ष महोदय : इस प्रकार का प्रश्न पूछने से कोई भलाई न होगी । जहां तक मंत्रियों, अध्यक्ष आदि का प्रश्न है उनके सम्बन्ध में विशेष अधिनियम हैं । संसद्-सदस्य दूसरे अधिनियम के अन्तर्गत आते हैं । इस मामले से सम्बन्धित कठिनाइयों को दूर करने के लिये एक संयुक्त समिति है । सदस्यों को स्वास्थ्य सेवा योजना में वे ही सुविधायें मिलेंगी जो अन्य व्यक्तियों को मिलती हैं । जब तक संविधान को संशोधित कर, संयुक्त समिति द्वारा नियम नहीं बनाये जाते तब तक नियम जैसे हैं, वैसे ही रहेंगे । मैं माननीय सदस्यों से यह अनुरोध करता हूं कि उन्हें इस अन्तर की बारीकियों में नहीं पड़ना चाहिये कि इसका पैसा स्वास्थ्य मंत्रालय को निर्धारित दिया जाय अथवा संसदीय-कार्य विभाग से । आखिर सभी पैसा एक ही साधन से आता है । अतएव मैं इसके लिये तैयार हूं बशर्ते कि सारे सदस्य तैयार हों और मुझे इस बात के लिये बाध्य न करे कि मैं उन पर दबाव डालूं । जहां तक मुझे ज्ञात है, मैं वर्तमान विधियों के अनुसार किसी पर दबाव नहीं डाल सकता । अतएव माननीय सदस्य केवल मुझे यह लिख कर दे दें अथवा ऐसी चिटें भेज दें कि वे योजना में शामिल होने के लिये तैयार हैं तो मैं उसे तुरन्त कार्यान्वित करा दूंगा चाहे उसमें कितना ही घाटा क्यों न हो ।

†श्री रंगा : जो तैयार नहीं हैं वे लिखें ।

†श्री हेम बरुआ : क्या मैं यह निवेदन कर सकता हूं कि अनेक माननीय सदस्यों ने यह लिख कर दे दिया है कि वे योजना में शामिल होने को तैयार हैं ?

†अध्यक्ष महोदयः संख्या कम है । ५०० में से लगभग १०० ही हैं ।

†श्री करमरकर : जैसा कि मैं पहिले बता चुका हूं जिन सदस्यों ने अपनी इच्छा प्रकट की है उनकी संख्या ५ या १० तक सुधार की गुंजाइश रखते हुये प्रत्येक सदन से ५२ अथवा ५३ ही है । वह कुल मिला कर लगभग ११० के ही है ।

†अध्यक्ष महोदय : मुझे सचिव से पता चला है कि ५०० सदस्यों की इस सभा में से संख्या केवल २५ ही है । अतएव इस सभा के सदस्य अन्य सदस्यों के ज्यादा से ज्यादा हस्ताक्षर कराने का प्रयत्न करें और उसके बाद मैं यह देखूंगा कि इस योजना को शीघ्रातिशीघ्र चालू किया जाये । मैं बहुत उत्सुक हूं ।

†श्री करमरकर : आपने जो कुछ कहा है उसमें मैं एक शब्द स्पष्टीकरण के रूप में जोड़ना चाहता हूं पहिले मंत्रियों की व्यवस्था मंत्रियों के वेतन तथा भत्ते अधिनियम के अधीन होती थी । बाद में स्वास्थ्य मंत्रालय की प्रार्थना पर वे अंशदायी सेवा योजना के अन्य सदस्यों की पंक्ति में आ गये और उस योजना के अधीन अंशदान देने लगे यद्यपि उन्हें ऐसा नहीं करना था । अन्यथा, सभी के लिये इलाज एकसा और समान ही है ।

†अध्यक्ष महोदय : मैं सभा को यह सूचित कर दूं कि मैं स्वयं पैसा दे रहा हूं ; मैं लगभग एक वर्ष से १२/- मासिक दे रहा हूं और यह ली जाने वाली अधिकतम राशि है । और मैं अपने को

---

†मूल अंग्रेजी में

किसी सदस्य से श्रेष्ठ नहीं समझता। अंशदायी स्वास्थ्य योजना के अधीन सबको समान सुविधायें मिलेंगी। यह एक लाभदायी योजना है। निर्भर व्यक्तियों सहित सारे परिवार का इलाज किया जायगा।

†**श्री राधेलाल व्यास :** जानकारी के लिये। कुछ सदस्यों के कुटुम्ब के व्यक्ति अपने स्थायी घरों में रहते हैं और माननीय सदस्य अकेले ही यहां रहते हैं। क्या उनके कुटुम्ब के सदस्यों को भी चिकित्सा-सुविधा प्राप्त होगी अथवा केवल उन्हीं सदस्यों को फायदा होगा जो यहां रहते हैं।

†**अध्यक्ष महोदय :** उन्हें कोई नहीं रोकता। यदि माननीय सदस्य यहां रहते हैं और अपने लोगों को वहां रहने देते हैं तो यह गलत है।

रूरकेला से बरसुआ तक रेलवे लाइन का बनाया जाना

†*१०९२. **श्री सूपकार :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रूरकेला से बरसुआ, जहां से लोह-अयस्क लाया जायगा वहां तक रेलवे लाइन बनाने के काम में कितनी प्रगति हुई है; और

(ख) क्या इस्पात कारखाना चालू किये जाने के पूर्व यह लाइन पूरी हो जायगी ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) :** (क) शायद माननीय सदस्य बोंडामुंडा (रूरकेला) डुमारो लाइन का उल्लेख कर रहे हैं। यदि हां, तो अब तक ६६ प्रतिशत प्रगति हुई है।

(ख) ऐसी आशा की जाती है कि निश्चित तिथि तक माल के यातायात के लिये लाइन खोल दी जायेगी।

†**श्री सूपकार :** निश्चित तिथि कौन सी है ?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी :** सितम्बर, १९५९।

†**श्री सूपकार :** क्या इस रेलवे लाइन को थोड़े पहिले चालू करना सम्भव न होगा जिससे कि ब्लास्ट फरनेस में आग डालने के साथ ही वह शुरू हो सके और देर होने से बचा जा सके ?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी :** इस्पात और खान मंत्रालय ने हम से कहा है कि यदि लाइन सितम्बर, १९५९ तक भी चालू हो जाती है, काफी होगा। उनकी इस ज़रूरत को पूरा करने के लिये ही हमने इस लाइन को खोलने की तिथि निश्चित की है ; यदि इसके पहिले लोह-अयस्क की कोई ज़रूरत हुई तो उसे अन्य साधनों से प्राप्त किया जायगा।

†**श्री सूपकार :** क्या वह ज्यादा महंगा न पड़ेगा ? रूरकेला से बरसुआ तक की इस रेलवे लाइन की कुल लागत कितनी होगी ?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी :** दोनों के बीच की दूरी लगभग ४२ मील है। मूल अनुमान ३.३ करोड़ रुपयों का था। परन्तु मुझे भय है कि अब वह ७.७ करोड़ रुपये तक हो जायगा।

†**श्री पाणिग्रही :** क्या यह योजना भी रेलवे लाइनों पर बिजली से रेलें चलाने की योजना में शामिल कर ली गई है ?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी :** जी, नहीं। फिलहाल नहीं की गई ?

†**श्री सूपकार :** क्या मैं इन दोनों अनुमानों अर्थात् मूल अनुमान और अन्तिम अनुमान की तारीखें जान सकता हूं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री सें० वें० रामस्वामी** : १९५६ में मैंने जो अनुमान पेश किया था वह ३.३ करोड़ रुपयों का था। वह मोटे तौर पर किया गया था। परन्तु अब कीमतें आदि बढ़ जाने के कारण वह लगभग ७.७ करोड़ पये होगा।

†**श्री वें० प० नायर** : क्या हम यह समझें कि सन् १९५६ से १९५८ तक लाइन का खर्च १०० प्रतिशत से भी अधिक बढ़ गया है और इसके कारण ३.३ करोड़ का अनुमान ७.७ करोड़ हो गया है ?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी** : ऐसा नहीं है। मूल अनुमान मोटे तौर पर लगाया गया था परन्तु अन्तिम अनुमान ब्योरेवार है।

†**श्री वें० प० नायर** : एक साल में ४ करोड़ रुपये कैसे बढ़ गये ?

†**श्री सूपकार** : ढौला-राजेरिया से भिलाई को लोह-अयस्क ले जाने वाली रेलवे-लाइन की लम्बाई ५२ मील है, और क्या उसे ४ करोड़ रुपयों में पूरा कर दिया गया है ? यदि हां, तो यह अनुमान इतना क्यों बढ़ गया है ?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी** : वहां की भूमि काफी कड़ी है और इससे लागत बढ़ गई है।

†**श्री वें० प० नायर** : क्या इस पर पहले विचार नहीं किया गया ?

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं माननीय सदस्यों को एक बात का सुझाव देना चाहता हूं। वास्तव में माननीय मंत्री इस कार्य को नहीं करते और न ही वे मौके पर जाकर उसके निष्पादन के लिये जिम्मेदार हैं। यदि ऐसा कोई विशेष मामला हो जिसके सम्बन्ध में माननीय सदस्य यह अनुभव करते हैं कि बहुत सा पैसा बरबाद हो रहा है तो मैं उस मामले को तदर्थ प्राक्कलन समिति के सुपुर्द कर दूंगा जिससे वह सही स्थिति का पता लगा सके और यदि माननीय सदस्य को पहिले से संतोष न हो तो उन्हें संतुष्ट कर सके। इस सम्बन्ध में वे समय-समय पर सुझाव दे सकते हैं।

†**श्री सें० वें० रामस्वामी** : मैं निवेदन कर चुका हूं कि वहां की भूमि कठोर है। वह एक पहाड़ी इलाका है अतएव लागत बढ़ गई है।

†**श्री सूपकार** : केवल अनुमान में बढ़ती का ही प्रश्न नहीं है परन्तु उसे इस्पात संयंत्र के साथ ही साथ बनाने में देर करने का प्रश्न भी है।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य अपना प्रश्न पूछ चुके हैं और उसका उत्तर दे दिया गया है। अब दूसरा प्रश्न लिया जायेगा।

देश में भीषण गर्मी

+

†*१०९३. { **श्री विभूति मिश्र** :
श्री तंगामणि :
डा० राम सुभग सिंह : }

क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन कारणों का अध्ययन हो चुका है जिनसे इस वर्ष मई और जून में भीषण गर्मी हुई थी;

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो इस अध्ययन का क्या नतीजा है; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

†**असैनिक उड्डयन उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन) :** (क) और (ख). जी, हां'। अध्ययन से पता चला है कि (१) देश में क्रियाशील पश्चिमी गौण ऋतु सम्बन्धी हलचलों के अभाव तथा उसके फलस्वरूप भारत के दक्षिण के अधिक ठंडे भागों से उत्तर के अपेक्षाकृत गरम भागों की ओर हवा के न आने जाने के कारण; तथा (२) देश में मानसून के देर से आने के कारण भीषण गर्मी हुई थी ।

(ग) वैज्ञानिक तथा प्रविधिक प्रगति की उस वर्तमान अवस्था में यह असम्भव है कि इस प्रकार के प्राकृतिक नियमों का होना रोका जाये ।

श्री विभूति मिश्र : मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह सही नहीं है कि चूंकि बहुत से पेड़ आजकल काट दिये जाते हैं इस लिये हीट वेव आती है ?

श्री मुहीउद्दीन : इसके मुताल्लिक पहले भी सवाल हुआ था, उस वक्त मैंने कहा था कि पेड़ काटने का या नये जंगल लगाने का मुकामी तौर पर ज़रूर मौसम पर असर पड़ता है लेकिन आम तौर पर पूरे मुल्क पर इस का असर नहीं होता ।

श्री विभूति मिश्र : मैं कह सकता हूं कि हमारे उत्तर बिहार में कभी हीट वेव नहीं आती थी। इस साल और पिछले साल ही हीट वेव आई है चूंकि चीनी मिलों की वजह से पेड़ काट दिये गये हैं। क्या सरकार इसके लिये कोई समुचित कार्रवाही करेगी कि पेड़ न काटे जायें ?

श्री मुहीउद्दीन : पेड़ न काटे जाने का ताल्लुक मेटीरियालाजिकल डिपार्टमेंट से नहीं है। लेकिन मैं यह कह सकता हूं कि हीट वेव यानी इतना टेम्परेचर उत्तर प्रदेश और बिहार में इसके पहले भी हो चुका है, सन् १९५६ में और इससे भी ज्यादा सख्ती के साथ सन् १९२६ में।

†**श्री तंगामणि :** क्या मैं जान सकता हूं कि.....

†**अध्यक्ष महोदय :** अब भीषण गर्मी निकल गई है। फिर उसे यहां क्यों पैदा किया जाये ? दूसरा प्रश्न ।

†**श्री तंगामणि :** मैं एक विशेष प्रश्न पूछना चाहता हूं ।

†**अध्यक्ष महोदय :** मैं जानता हूं और भी प्रश्न पूछे जाने हैं ।

†**श्री तंगामणि :** इस भीषण गर्मी में अनेक बच्चे मर गये हैं। मैं इसके सम्बन्ध में प्रश्न पूछना चाहता था ।

†**अध्यक्ष महोदय :** क्या सरकार भीषण गर्मी का कारण है ? वह केवल यही बता सकती है कि वास्तव में क्या हुआ था। माननीय सदस्यों को स्वयं कुछ ऐसी विवेक बुद्धि से काम लेना चाहिये कि वे स्वयं यह सोच सकें कि किसी विशेष मामले में पर्याप्त प्रश्न पूछे जा चुके हैं अथवा नहीं परन्तु प्रत्येक मिनिट के बाद मुझे माननीय सदस्यों से यह कहना पड़ता है कि सभा के समक्ष अनेकों दूसरे प्रश्न भी हैं। यह एक कठिनाई है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

आलमबाग के पास एक सवारी गाड़ी का पटरी से उतर जाना

+
†१०९४. { श्री स० म० बनर्जी :
सरदार इकबाल सिंह : }

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १८ मई, १९५८ को कानपुर से आने वाली पूर्वोत्तर रेलवे की सवारी गाड़ी आलमबाग के पास लगभग साढ़े ९ बजे सवेरे पटरी से उतर गई थी;

(ख) यदि हां, तो कितने व्यक्तियों की मृत्यु हुई थी और कितने व्यक्ति घायल हुए थे; और

(ग) क्या कोई जांच की गई थी ?

†रेलवे उपमंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) १८ मई, १९५८ को लगभग २१.२३ बजे जब ३२ डाउन कानपुर सवारी गाड़ी पूर्वोत्तर रेलवे के कानपुर-लखनऊ, बड़ी लाइन वाले सेक्शन में आलमबाग केबिन तथा लखनऊ चार बाग केबिन के बीच दाहिने हाथ वाले मोड़ से गुजर रही थी तब उसका एंजिन तथा पहिले छः डिब्बे पटरी से उतर गये थे ।

(ख) एक व्यक्ति की मृत्यु हुई थी और ८ व्यक्ति घायल हुए थे ।

(ग) जी, हां । रेलवे के सरकारी निरीक्षक द्वारा दुर्घटना की वैधानिक जांच की गई थी ।

†श्री स० म० बनर्जी : बार बार होने वाली दुर्घटनाओं और रेलगाड़ियों के पटरी पर से उतरने की घटनाओं को देखते हुए क्या रेलवे मंत्री अखिल भारतीय रेलवे कर्मचारी संघ का एक सम्मेलन बुला रहे हैं । कुछ ही दिन पहिले आपने यह संकेत किया था कि हमें कर्मचारियों को सतर्क रहने की सलाह देनी चाहिये । अतएव मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या अखिल भारतीय रेलवे कर्मचारी संघ तथा उसके प्रतिनिधियों के साथ होने वाला यह सम्मेलन इसके लिये सहायक होगा; और यदि हां, तो क्या वे ऐसा सम्मेलन करने का विचार कर रहे हैं ?

†श्री शाह नवाज खां : फिलहाल इस मामले में श्रमिकों के प्रतिनिधियों का सम्मेलन करन का कोई विचार नहीं है । रेलवे के सरकारी निरीक्षक ने इस मामले की जांच-पड़ताल की थी और उनकी यह राय है कि भयंकर मोड़ तथा अत्यधिक चाल होने के कारण गाड़ी पटरी से उतर गयी थी । हम इस स्थिति को सुधारने के लिये प्रयत्न कर रहे हैं ।

†श्री स० म० बनर्जी : मृत व्यक्तियों के कुटुम्बों और घायलों को हर्जाने की कितनी रकम दी गई है ?

†श्री शाहनवाज खां : वास्तव में अभी तक हर्जाने की कोई रकम नहीं दी गई । इस क्षेत्र के पदेन दावा-आयुक्त अभी दावों के आवेदन पत्र ले रहे हैं ।

बिहार में चीनी उत्पादन

†*१०९५. श्री अनिरुद्ध सिंह : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार राज्य में १९३९-४० के सीजन की अपेक्षा १९५६-५७ के सीजन में चीनी के उत्पादन में कमी हो गई है; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)**: (क) और (ख). जी, हां। १९३९-४० के उत्पादन की अपेक्षा १९५६-५७ में बिहार में चीनी के उत्पादन में १०,००० टन की कमी हुई है। वास्तव में यह कमी अधिकांशतः १९३९-४० की अपेक्षा १९५६-५७ में गन्ने के कम उत्पादन के कारण ही है।

†**श्री अनिरुद्ध सिंह** : क्या यह सच है कि हाल ही के कुछ वर्षों में बिहार राज्य में गन्ने की प्रति एकड़ पैदावार तथा गन्ने से मिलने वाली चीनी में क्रमशः कमी होती गई है ? यदि हां, तो सरकार ने इसे सुधारने की क्या कार्यवाही की है और उसका क्या नतीजा है ?

†**श्री अ० म० थामस** : यह विभिन्न कार्य-कारणों पर निर्भर है जैसे चीनी का उत्पादन, गन्ने की खेती वाला क्षेत्र, प्रति एकड़ गन्ने की पैदावार, चीनी और गुड़ की अन्योन्याश्रित कीमतें तथा अन्य बहुत से कारण। मेरे माननीय मित्र की जो धारणा है वह बिल्कुल ठीक नहीं है। मेरे पास जो सूचना है उससे पता चलता है कि बिहार में गन्ने की खेती वाला क्षेत्र काफी संतोषपूर्ण रीति से बदलता रहा है। सन् १९४०-४१ में ५.०८ लाख एकड़ भूमि के आंकड़े उच्चतम थे और १९५३-५४ में २.९९ लाख एकड़ के आंकड़े निम्नतम थे। हाल के कुछ वर्षों से मेरे माननीय मित्र का मतलब १९५६-५७ और १९३९-४० से है। १९५७-५८ में काफी कमी हो गई थी। गन्ने का क्षेत्र ३.७६ लाख एकड़ था और २.७४ लाख टन चीनी बनाई गई थी। वास्तव में यह कमी गन्ने की लाल होने की बीमारी के कारण थी।

वसूली के सम्बन्ध में भी, मेरे माननीय मित्र की धारणा सही नहीं है। सन् १९५७-५८ में बिहार में औसतन वसूली ९.९१ है और १९३९-४० में वसूली की औसत ९.२८ थी अतएव वसूली की प्रतिशत में कुछ वृद्धि ही हुई है।

†**श्री अनिरुद्ध सिंह** : क्या यह सच है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार क्षेत्रों में सम्पूर्ण चीनी उद्योग की कोई प्रगति परिलक्षित नहीं होती और वर्तमान उत्पादन क्षमता का भी पूर्ण रूप से तथा प्रभाव पूर्ण ढंग से उपयोग नहीं किया जा रहा ? इसके क्या कारण हैं ? मैं यह भी जानना चाहता हूं कि सरकार इन दोनों क्षेत्रों में मिलों की संस्थापित क्षमता का पूरा-पूरा उपयोग करने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार कर रही है ?

†**श्री अ० म० थामस** : मेरे माननीय मित्र की यह धारणा ठीक है कि अन्य राज्यों के चीनी उद्योगों ने जो प्रगति की है उसके साथ बिहार कंधे से कंधा मिलाकर नहीं चल रहा। उदाहरण के लिये १९३९-४० में यू० पी० में गन्ने का क्षेत्र १९ लाख एकड़ था अब वह ३०.५ लाख एकड़ हो गया है। मैं पहिले ही बता चुका हूं कि यह कार्य-कारणों पर निर्भर है।

चलने वाले कारखानों की संख्या १९३९-४० में ३२ थी और अब वह केवल ३२ ही है। परन्तु कुछ कारखानों का विस्तार हो गया है परन्तु संख्या कम होने के कारण यह विस्तार नहीं हुआ है।

मैं चीनी उद्योग का विकास करने के लिये किये गये प्रयत्नों के सम्बन्ध में सभा को यह बताना चाहता हूं कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में गन्ने के विकास सम्बन्धी कार्य के लिये रखे गये ८ करोड़ रुपयों में से बिहार का भाग ७६ लाख रुपये होता है।

†**श्री तिरुमल राव** : सन् १९३९-४० और १९५६-५७ की प्रति एकड़ गन्ने की औसत पैदावार कितनी है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री अ० म० थामस :** १९३९-४० में प्रति एकड़ औसत पैदावार १२.८१ टन थी जबकि १९५६-५७ की प्रति एकड़ औसत पैदावार १३.३३ टन है।

†**श्री विभूति मिश्र :** क्या यह सही नहीं है कि मैंजनेमेंट और लेबर के झगड़े के कारण शुगर रिकवरी कम हो गई है ?

†**श्री अ० म० थामस :** चार कारखाने—इंडियन सिवान, बक्सर, जपाहा और सीमापुर— जो १९३९-४० में चल रहे थे अब नहीं चल रहे हैं। इंडियन सिवान इसलिये नहीं चल रहा कि हिस्सेदारों में कुछ झगड़ा है। अन्य कारखानों के न चलने के कारण कुछ और हैं।

†**पंडित द्वा० ना० तिवारी :** १९५२ से १९५६ तक गन्ने की वसुली १० प्रतिशत से अधिक थी परन्तु अब ९ प्रतिशत रह गई है। इसके क्या कारण हैं और क्या वसुली को बढ़ाने के लिये कोई कार्यवाही की गई है ?

†**श्री अ० म० थामस :** १९५२-५३ में वसुली १०.०३ प्रतिशत थी अब ९.९१ है। इसमें कुछ कमी हो गई है। यह अधिकतर सुखे और 'रेड राट' रोग के कारण हुई है।

†**श्री रंगा :** 'रेड राट' रोग को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

†**श्री अ० म० थामस :** वस्तुत: कुछ योजनायें कार्यान्वित करने के प्रयत्न किये जा रहे हैं। भारतीय केन्द्रीय गन्ना समिति के अधीन कुछ योजनाओं पर कार्य हो रहा है। राज्य सरकार भी एक योजना तैयार कर रही है। द्वितीय पंच वर्षीय योजना के अन्तर्गत बिहार के लिये ७६ लाख रुपया अलग रखा गया है।

†**श्री रंगा :** क्या इस बारे में कोई कार्यवाही हो रही है कि और भूमि में अन्य फसलों की बजाये गन्ना न बोया जाये ?

†**श्री अ० म० थामस:** बिहार में ऐसी कोई समस्या नहीं है।

मध्य प्रदेश में विमान सेवायें

+

*१०९६. { **श्री वि० च० शुक्ल :**
श्री अमर सिंह डामर :
श्री बाजपेयी :
श्री खादीवाला :
सरदार इकबाल सिंह :

क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भोपाल, इन्दौर और ग्वालियर के बीच अभी हाल में जो विमान सेवा बन्द कर दी गई है उसे फिर से चालू करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) क्या मध्य प्रदेश सरकार से भोपाल और दिल्ली के बीच विमान सम्बन्ध स्थापित करने के बारे में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ग) सरकार की इस विषय में क्या प्रतिक्रिया हुई है;

---

†मूल अंग्रेजी में

(घ) क्या इण्डियन एअर लाइन्स कारपोरेशन ने भोपाल, इन्दौर और ग्वालियर के बीच विमान सेवा चालू करने के लिये मध्य प्रदेश सरकार से बहुत बड़ी राशि सहायता के रूप में मांगी है;

(ङ) यदि हां, तो कितनी राशि मांगी है; और

(च) यह सेवा फिर से कब तक चालू होने की संभावना है ?

असैनिक उड्डयन उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन) : (क) फिलहाल इण्डियन एयर लाइन्स कारपोरेशन के पास भोपाल, इन्दौर और ग्वालियर के लिये हवाई सर्विस फिर से जारी करने के लिये कोई योजना नहीं है ।

(ख) जी, हां ।

(ग) से (च). कारपोरेशन ने बताया है कि उन्हें इन जगहों को हवाई सर्विस इसलिये बन्द करनी पड़ी कि इनसे नुकसान होता था और अगर इन सेवाओं के जारी करने में जो नुकसान हो उसे पूरा कर दिया जाय तो वे उन्हें फिर से जारी करने के लिये तैयार हें । राज्य सरकार को इसके अनुसार इत्तला दे दी गई है ।

[इसके पश्चात उत्तर अंग्रेजी में भी पढ़ा गया]

†**श्री वि० च० शुक्ल :** आसाम और त्रिपुरा प्रदेश के अतिरिक्त इंडियन एयर लाइन्स कारपोरेशन को किन्हीं अन्य विमान सेवाओं में भी घाटा उठाना पड़ रहा है और यदि हां, तो वे कौन सी हैं ?

†**श्री मुहीउद्दीन :** कई क्षेत्रों में विमान सेवायें घाटे में चल रही हैं । कारपोरेशन आवर्तक घाटों को कम करने और घाटे वाली विमान सेवायें बन्द करने का प्रयत्न कर रहा है ।

†**श्री वि० च० शुक्ल :** क्या यह सच है कि इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन को भोपाल-इन्दौर-ग्वालियर मार्ग पर सब से अधिक घाटा हो रहा था ? यदि हां, तो तुलनात्मक आंकड़े क्या हैं ?

†**श्री मुहीउद्दीन :** १९५६-५७ में आगरा-ग्वालियर-भोपाल-इन्दौर-औरंगाबाद विमान मार्ग पर १८,६०,००० रुपये का घाटा हुआ । दिल्ली-आगरा-भोपाल विमान सेवा भी बन्द करदी गई इसमें १९५६ में ७,७५,००० रुपये का घाटा हुआ था ।

श्री राधेलाल व्यास : क्या मैं यह जान सकता हूं कि......

†**अध्यक्ष महोदय :** मैंने श्री जांगड़े को पुकारा है ।

श्री जांगड़े : क्या यह सही नहीं है कि मध्य प्रदेश का एयरलिंक के नक़शे में कोई स्थान नहीं है और भोपाल को छोड़ कर क्या हिन्दुस्तान में ऐसे और भी कई प्रान्त नहीं हैं जहां पर इससे ज्यादा नुक़सान नहीं होता और शासन के पास क्या ऐसा कोई प्रस्ताव आया है कि मध्य प्रदेश सरकार अपनी डेकोटा ऐयरसर्विसेज़ कमिश्नर्स हेडक्वार्टर्स में चलाने का विचार कर रही है और क्या सेंट्रल गवर्नमेंट उसे कोई सबसिडी देगी ?

†**अध्यक्ष महोदय :** माननीय सदस्य ने एक सवाल में तीन तीन सवाल कर डाले हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री मुहीउद्दीन : अभी मैंने बतलाया कि मुख्तलिफ स्टेशन्स पर नुकसान होता है। लेकिन यह कहना मुश्किल है कि इससे ज्यादा नुकसान किसी और लाइन पर है या नहीं । डकोटा सरविस चलाने के मुताल्लिक मुझे कोई इल्म नहीं है । अभी हाल में कारपोरेशन के जनरल मैनेजर काटजू साहब से मिले थे और उनसे इसके मुताल्लिक गुफ्तगू हुई थी । उन्होंने उनसे कहा है कि इसके मुताल्लिक गौर करें कि इंटरनल सरविसेज़ किस तरह से चलायी जायें । इसके मुताल्लिक अभी जनरल मैनेजर गौर कर रहे हैं ।

श्री राधे लाल व्यास : क्या मैं यह जान सकता हूं कि इस प्रकार नुकसान से चलने वाली दूसरी सरविसेज़ की संख्या क्या है, और उन पर कुल कितना नुकसान होता है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (श्री स० का० पाटिल)** : इस से एक सामान्य प्रश्न उत्पन्न होता है। बहुत से माननीय सदस्य यह प्रश्न पूछते रहे हैं कि क्या घाटे पर चलने वाली विमान सेवायें सरकार द्वारा चलाई जानी चाहियें । मंत्रालय इस समस्या पर विचार कर रहा है कि जो सेवायें घाटे पर चल रही हैं परन्तु फिर भी उन्हें जारी रखना अनिवार्य है, तो क्या उपाय किये जायें कि घाटे को यथासम्भव कम किया जाये और यदि राजसहायता दी जाये तो उस में केन्द्रीय सरकार का कितना अंश हो और राज्य सरकार का कितना । सारे मामले पर विचार किया जा रहा है और मध्य प्रदेश के बारे में विशेष रूप से विचार किया जा रहा है ।

लू लगने से फायर मैन की मृत्यु

†*१०९७. **श्री ही० ना० मुकर्जी** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ५ जून, १९५८ को चित्तौड़ लोको के फायरमैन रामझोरी राम की मृत्यु इंजन में ही हो गई ;

(ख) यदि हां, तो मृत्यु के कारण क्या हैं ;

(ग) क्या मई और जून, १९५८ में गरमी के ज़ोर के कारण पूर्व रेलवे में और भी रेलवे कर्मचारी मरे थे ;

(घ) यदि हां, तो उन की संख्या क्या है और उनकी मृत्यु किस प्रकार हुई ; और

(ङ) गरमी के शिकार हुए लोगों अथवा उन के परिवार के लोगों को यदि कोई मुआवज़ा दिया गया तो वह कितना था ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) जी, हां चोतपुर में (चित्तौड़ में नहीं)।

(ख) मालूम नहीं क्योंकि शव-परीक्षा की रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हुई ।

(ग) जी हां ।

(घ) ७९३ व्यक्तियों को लू लगी जिन में से ६ के बारे में यह शक है कि वे गरमी के ज़ोर के कारण ही मरे थे ।

(ङ) मुआवज़ा देने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है ।

†**श्री ही० ना० मुकर्जी** : क्या रेलवे विभाग बहुत ज्यादा गरमी के दिनों में जबकि ऐसी दुर्घटनाओं की संभावना रहती है ड्राइवरों और फायरमैनों के काम का समय कम करके अथवा किसी अन्य प्रकार से उन्हें आराम पहुंचाता है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री शाहनवाज खां :** काम घटाने की कोई व्यवस्था नहीं की जाती। वस्तुतः अत्यधिक गरमी के दिनों में बहुत से लोग बीमार पड़ जाते हैं और जो शेष रह जाते हैं उन्हें कई बार अधिक काम करना पड़ता है। इस का हल निकालना ज़रूरी है और इस पर विचार किया जायेगा।

†**श्री तंगामणि :** मृत्यु ५ जून, १९५८ को हुई थी और माननीय मंत्री का कहना है कि अभी शव-परीक्षा की रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई। वह कब मिलेगी ?

†**श्री शाहनवाज खां :** शव-परीक्षा का मामला जी० आर० पी० को सौंपा गया था। शव-परीक्षा प्रतिवेदन प्राप्त करने के लिये रेलवे प्राधिकारी लगातार प्रयत्न करते रहे हैं।

†**अध्यक्ष महोदय :** जी० आर० पी० क्या है ?

†**श्री शाहनवाज खां :** गवर्नमेंट रेलवे पुलिस। यह शव डी० आर० सिंह अस्पताल में ले जाया गया था जोकि रेलवे अस्पताल नहीं है। हम यथासम्भव शीघ्र रिपोर्ट प्राप्त करने का प्रयत्न करते रहे हैं परन्तु खेद है कि इस में विलम्ब हो गया। रिपोर्ट प्राप्त करने के लिये हम और प्रयत्न करेंगे।

†**अध्यक्ष महोदय :** शव परीक्षा तो बहुत पहले हो चुकी होगी। क्या प्रमाण पत्र प्राप्त करने में इतना समय लगता है ?

†**श्री शाहनवाज खां :** हम ने पुलिस को कई बार लिखा कि रिपोर्ट हमें भेज दी जाये। खेद है कि वह हमें नहीं मिली। हम और प्रयत्न करेंगे।

†**श्री हेम बरुआ :** क्या सरकार का ध्यान इस वक्तव्य की ओर आकृष्ट किया गया जो सियालदा में किशनगंज लोकल गाड़ी के ड्राइवर ने दिया था कि "इंजन की असह्य गरमी में १६ घंटे तक काम करने का मुझे यह इनाम मिला।" यदि हां, तो उन ड्राइवरों और फोरमैन को सुविधा देने के लिये क्या कार्यवाही की गई जिन से इंजन की असह्य गरमी में १६ घंटे काम लिया जाता है ?

†**अध्यक्ष महोदय :** उपमंत्री महोदय ने बताया कि अभी तक कुछ नहीं किया गया परन्तु वे इस पर विचार कर रहे हैं।

†**श्री हेम बरुआ :** यह एक ड्राइवर का वक्तव्य है। वैसे क्या यह सच है कि उन्हें १६ घंटे काम करने के लिये कहा जाता है ?

†**अध्यक्ष महोदय :** एक अनुपूरक प्रश्न के उत्तर में उपमंत्री महोदय बता चुके हैं कि बहुत से लोग बीमार पड़ जाते हैं और अन्य लोगों को अधिक समय तक काम करना पड़ता है। दुर्भाग्यवश इस की अभी तक कोई व्यवस्था नहीं की जा सकी है परन्तु इस पर विचार किया जा रहा है। माननीय सदस्य तो केवल एक और उदाहरण बता रहे हैं जबकि माननीय मंत्री इस पर कार्यवाही कर रहे हैं।

†**श्री स० म० बनर्जी :** माननीय मंत्री को केवल इन्हीं के बारे में पता चला है परन्तु ऐसे और भी कई उदाहरण हैं। मैं जानना चाहता हूं कि १५ मई से २० जून तक की अवधि के लिये डाक्टरों की राय के मुताबिक खारी गोलियां और अन्य वस्तुयें उपलब्ध करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

†**श्री शाहनवाज खां :** अत्यधिक गरमी के मौसम में ड्राइवरों और इंजनों में काम करने वाले अन्य कर्मचारियों को नमक की गोलियां खिलाने की राय दी गई है। ये गोलियां दी जाती हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री तंगामणि : माननीय उपमंत्री ने बताया कि छः लोग मरे। क्या उन्हें कोई तदर्थ भुगतान किया गया था जैसे कि प्रतिरक्षा मंत्रालय ने अन्य मामलों में किया था ?

†श्री शाहनवाज खां : अभी कोई तदर्थ भुगतान नहीं किया गया है । परन्तु मैं यथासम्भव शीघ्र भुगतान कराने का प्रयत्न करूंगा ।

भूमि

†*१०९८. श्री बांगशी ठाकुर : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि त्रिपुरा प्रशासन ने एक नया सिस्टम चालू किया है जिस के अनुसार हाल ही में अर्जित की गई भूमि के लिये भुगतान करने के समय दावेदार को क्षतिपूर्ति बन्ध और प्रतिभूति बन्ध देने पड़ते हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि सभी दावेदारों को, विशेष कर छोटे नगरों में रहने वालों को, यह सिस्टम चालू होने के कारण बड़ी कठिनाई हो रही है ; और

(ग) यदि हां, तो इस दिशा में सरकार क्या कार्यवाही करना चाहती है ?

†कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा) : (क) से (ग). जानकारी एकत्र की जा रही है और बहुत शीघ्र सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

†श्री बांगशी ठाकुर : क्या सरकार को मालूम है कि इस नई पद्धति को चालू करने से ग्राम्य लोगों को बहुत कष्ट हो रहा है ?

†श्री मो० वें० कृष्णप्पा : हमें अभी त्रिपुरा प्रशासन से सब व्यौरा प्राप्त करना है और इस में समय लगता है । जब तक पूरी जानकारी नहीं मिलती तब तक ठीक उत्तर देना सम्भव नहीं है ।

†श्री बांगशी ठाकुर : क्या भारत संसद अथवा भारत सरकार के गृह-कार्य मंत्रालय अथवा त्रिपुरा कार्य मंत्रणा समिति के अनुमोदन के बिना त्रिपुरा प्रशासन को ऐसी नई पद्धति अथवा नया अधिनियम लागू करने की क्षमता प्राप्त है ?

†अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य कानून सम्बन्धी प्रश्न पूछ रहे हैं । उन की राय में यह अवैध तथा नियम विरुद्ध है ।

†श्री मो० वें० कृष्णप्पा : मुझे अभी राज्य सरकार से विस्तृत जानकारी प्राप्त नहीं हुई है । उस के बिना मैं किसी बात का उत्तर नहीं दे सकता ।

†श्री दशरथ देव : क्या सरकार को विदित है कि त्रिपुरा में दावेदारों को मुआवज़े की राशि अगरताला कोष से प्राप्त करनी पड़ती है जबकि उन के अपने कस्बों में राज कोष के कार्यालय हैं । इसी कठिनाई के कारण कुछ लोगों ने मुआवज़े की राशि वसूल करना छोड़ दिया है क्योंकि वसूली से अधिक उन का खर्च हो जाता है ।

†श्री मो० वें० कृष्णप्पा : यह जानकारी मुझे माननीय सदस्य से ही प्राप्त हुई है और मैं इस बारे में प्राधिकारियों को लिखूंगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†अध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री इस पर विचार करें और इस की व्यवस्था करें कि थोड़ी राशियों का भुगतान निकटतम स्थानों पर किया जाये । यह कोई पुलिस शासन नहीं है । मंत्रालय और प्रत्येक अधीनस्थ कर्मचारी को सदा इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि जनता को किस प्रकार आराम और सुविधायें दी जा सकती हैं ।

उड़ीसा में तपेदिक के जालय[1]

†*१०९९. **श्री पाणिग्रही** : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५७-५८ में उड़ीसा में केन्द्रीय सरकार की सहायता से कितने तपेदिक के रुजालय खोले गये ;

(ख) क्या राज्य सरकार से कोई प्रस्थापना प्राप्त हुई है कि १९५८-५९ में केन्द्रीय सहायता से तपेदिक के और रुजालय खोले जायें ; और

(ग) यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई है ;

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) कोई नहीं ।

(ख) और (ग). १९५८-५९ में बरीयदा, पुरी, बरहानपुर और कोरापट में तपेदिक का एक-एक रुजालय खोलने के बारे में राज्य सरकार की प्रस्थापना स्वीकार हो गई है । इन औषधालयों में एक्स-रे और प्रयोगशाला का उपकरण केन्द्रीय सरकार देगी ।

†**श्री पाणिग्रही** : राज्य सरकार ने जो चार रुजालय खोलने का सुझाव दिया है इस पर कुल कितने खर्च का अनुमान है । क्या केन्द्रीय सरकार सारा खर्चा स्वयं करेगी ?

†**श्री करमरकर** : इमारत और कर्मचारियों का खर्च राज्य सरकार ही वहन करेगी । प्रत्येक तपेदिक रुजालय के लिये केन्द्रीय सरकार ५०,००० रुपये का उपकरण देती है ।

†**श्री पाणिग्रही** : प्रथम योजना काल में तपेदिक के उपचार के लिये उड़ीसा को कितनी सहायता दी गई थी और अब तक कितनी दी गई है ?

†**श्री करमरकर** : इस के लिये पूर्वसूचना चाहिये ।

†**डा० सुशीला नायर** : क्या इस बारे में कोई निश्चय हुआ है कि प्रत्येक रुग्नालय का सम्पर्क किसी तपेदिक अस्पताल से कर दिया जाये ताकि मरीजों को मश्वरा देने और उपचार करने के अतिरिक्त खराब हालत वाले मरीजों को अस्पतालों में रखा जा सके ? क्या उड़ीसा में भी ऐसी व्यवस्था की गई है ?

†**श्री करमरकर** : जो रुजालय (क्लिनिक) खोले जाने वाले हैं, वहां तपेदिक के कुछ रोगियों के रहने की भी व्यवस्था की जायेगी ।

†**श्री वें० प० नायर** : माननीय मंत्री ने बताया कि क्लिनिकों के लिये सरकार सहायता देती है । क्या उड़ीसा में तपेदिक के आपात का सर्वेक्षण किया गया था और कितने प्रतिशत जन-संख्या की रेडियोग्राफी और टुबरकलीन परीक्षा हो चुकी है ।

†**श्री करमरकर** : इस के लिये पूर्वसूचना की आवश्यकता है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]J. B. Clinics

†श्री स० म० बनर्जी : द्वितीय योजना काल में देश में तपेदिक के कितने रुजालय खोले जाने वाले ह ?

†श्री करमरकर : लगभग २००। जिन में से इस सहायता योजना के अन्तर्गत ६० रुजालयों का चुनाव किया गया था ।

†श्री स० म० बनर्जी : उत्तर प्रदेश में कितने रुजालय हैं ?

†अध्यक्ष महोदय : उत्तर प्रदेश को छोड़िये ; जब कोई व्यक्ति संसद का सदस्य निर्वाचित हो जाता है तो सारा भारत ही उस का निर्वाचन क्षेत्र बन जाता है ।

†श्री स० म० बनर्जी : वहां यह रोग अधिक है ।

†अध्यक्ष महोदय : ये बातें तो माननीय मंत्री को लिख कर भेजी जा सकती हैं ।

†डा० सुशीला नायर : इस रोग पर काबू पाने के लिये समस्त भारत में इन रुजालयों की कार्यवाही के बारे में क्या सरकार ने कोई ढांचा तैयार किया है ?

†श्री करमरकर : तपेदिक के इन रुजालयों के बारे में ढांचा तैयार कर लिया गया है और द्वितीय योजना काल में २०० रुजालय खोले जायेंगे और १०० वर्तमान रुजालयों का स्तर ऊंचा उठाया जायेगा और योजना में १२७.५ लाख रुपये की व्यवस्था की गई है । हम ने राज्य सरकारों से सुझाव मांगें थे जिन के अनुसार हम ने १९५७-५८ में ६० रुजालयों को उपकरण के ६० सेट देना स्वीकार कर लिया है ।

सड़क परिवहन

†*११००. श्री संगण्णा : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सड़क परिवहन के विकास के लिये कोई राष्ट्रीय नीति बनाई है ; और

(ख) यदि हां, तो इस का व्यौरा क्या है ?

†परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) और (ख). परिवहन के विभिन्न साधनों, जिन में सड़क परिवहन भी शामिल है, के विकास के लिये राष्ट्रीय नीति बनाने के बारे में भारत सरकार विचार कर रही है ।

†श्री संगण्णा : क्या विदेशी मुद्रा की कठिनाई का देश के सड़क परिवहन कार्यक्रम पर कोई प्रभाव पड़ा है ?

†श्री राज बहादुर : परिवहन नीति निर्धारित करने पर विदेशी मुद्रा की समस्या का प्रभाव अवश्य पड़ा है क्योंकि हमें मोटर गाड़ियों आदि के पुर्जे विदेशों से मंगवाने पड़ते हैं ?

†श्री संगण्णा : पुनः प्रावस्थाबद्ध द्वितीय योजना में सड़क कार्यक्रम की स्थिति क्या है ?

†श्री राज बहादुर : यह प्रश्न राष्ट्रीय परिवहन नीति बनाने और घोषित करने के बारे में है । द्वितीय पंचवर्षीय योजना में शायद २८६ करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है । सम्भव है कि इन आंकड़ों में कुछ गलती हो ।

†मूल अंग्रेजी में

रेलवे पुलिस का बुरा व्यवहार

†*११०३. श्री हाल्दर : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सियालदा रेलवे पुलिस के एक पदाधिकारी को, जो तीसरे दर्जे का टिकट ले कर अप लक्ष्मी कान्तापुर लोकल गाड़ी के पहले दर्जे के डिब्बे में सफर कर रहा था। बल्लीगंज और सियालदा के बीच सियालदा डिवीजन के दो टिकट चैकरों ने २ जुलाई, १९५८ की सुबह को पकड़ लिया ;

(ख) क्या उक्त पुलिस पदाधिकारी अन्य पुलिस कर्मचारियों की सहायता से स्टेशन मास्टर के कमरे से भाग गया ;

(ग) क्या उसी पुलिस पदाधिकारी ने शाम के समय उन दोनों टिकट चैकरों को पकड़ कर तब तक हवालात में रखा जबतक रेलवे के डिवीज़नल कमर्शल सुप्रिटेंडेंट ने उन की ज़मानत की व्यवस्था नहीं की ; और

(घ) यदि हां, तो उस पुलिस पदाधिकारी के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है ?

†रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) से (ग). जी हां, २ जुलाई, १९५८ को इस प्रकार की घटना हुई थी । पुलिस पदाधिकारी अतिरिक्त प्रभार चुकाने के बाद स्टेशन मास्टर के कमरे से बाहर गया था । एक दूसरे पुलिस पदाधिकारी ने उन टिकट चेकरों को गिरफ्तार किया था ।

(घ) गवर्नमेंट रेलवे पुलिस सियालदा के सुपरिंटेंडेंट इस मामले की जांच कर रहे हैं ।

†श्री हाल्दर : क्या इस अवधि में किसी अन्य पुलिस पदाधिकारी को भी निचले दर्जे का टिकट ले कर अपर के दर्जे में अथवा बिना टिकट सफर करने पर जुर्माना किया गया था ?

†श्री शाह नवाज खां : मैं ने ठीक से सुना नहीं ।

†अध्यक्ष महोदय : यह सामान्य प्रश्न इस से कैसे उत्पन्न होता है । वह जानना चाहते हैं कि क्या और पुलिस पदाधिकारी बिना टिकट अथवा तीसरे दर्जे का टिकट ले कर ऊंचे दर्जे में सफर करते पकड़े गये थे ?

†श्री शाहनवाज खां : ऐसा कई बार होता है परन्तु इस पुलिस पदाधिकारी के पास तीसरे दर्जे का टिकट था ।

†अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न ।

†श्री प्रभात कार : मैं इस बारे में एक प्रश्न पूछना चाहता हूं । पुलिस पदाधिकारी ने अतिरिक्त राशि दे दी और चला गया । उस के बाद उच्चतर पुलिस पदाधिकारी ने रेलवे कर्मचारियों को थाने में बुलाया और हवालात में बन्द कर दिया । क्या यह सच है और क्या यह सब इसलिये किया गया कि पुलिस पदाधिकारी से अतिरिक्त किराया लिया गया था ?

†श्री शाहनवाज खां : अभी तो रेलवे विभाग से ही जानकारी मिली है । वह मैं बता चुका हूं । पुलिस जांच कर रही है । वास्तव में हुआ यह था कि टिकट चेकरों ने एक पुलिस पदाधिकारी को पकड़ा जो तीसरे दर्जे का पास ले कर पहले दर्जे में सफर कर रहा था । उन्हों ने उस से अतिरिक्त किराया मांगा परन्तु उस ने भागने की कोशिश की और जब उसे स्टेशन मास्टर के दफ्तर में ले जाया जा रहा था उस ने टिकट चेकरों पर हमला करने की कोशिश की । लोग रेलवे कर्मचारियों

†मूल अंग्रेजी में

की सहायता के लिये पहुंच गये और पुलिस पदाधिकारी से अतिरिक्त भाड़ा वसूल कर लिया गया। सायंकाल को जब इन टिकट चैकरों की ड्यूटी समाप्त हुई तो उन्हें गिरफ्तार कर के थाने ले जाया गया। तब डिवीजनल सुप्रिण्टेंडेंट और चीफ कमर्शल सुप्रिटेंडेंट ने डिप्टी इंस्पैक्टर जनरल आफ पुलिस से कहा कि इन्हें जमानत पर छोड़ दिया जाये। अब सारे मामले की जांच पुलिस सुप्रिटेंडेंट द्वारा की जा रही है और हम रिपोर्ट की प्रतीक्षा कर रहे हैं।

†**श्री रंगा :** क्या कारण है कि यह मामला किसी दण्डाधिकारी के सामने पेश नहीं हुआ और अभी जांच ही हो रही है ? उन का कहना है कि इसे दो मास हो चुके हैं ?

†**अध्यक्ष महोदय :** क्या पुलिस पदाधिकारी को चार्ज शीट दी गई है ?

†**श्री शाहनवाज खां:** मामले की जांच पुलिस सुप्रिटेंडेंट कर रहा है।

†**अध्यक्ष महोदय:** इन हालातों में कौन रेलवे कर्मचारी काम करना पसन्द करेगा ? मैं ऐसे मामलों में दखल नहीं देना चाहता परन्तु पहली बार ऐसा नहीं हुआ है ? पहले भी ऐसी बातें सुनने में आई हैं। एक बार एक पुलिस पदाधिकारी एक डिब्बे में घुस गया था और जब उसे बाहर जाने को कहा गया तो उसने पीटना शुरू कर दिया था। इस प्रकार तो रेलगाड़ियों और स्टेशनों पर काम करने वाले व्यक्ति सुरक्षित नहीं हैं। एक छोटे स्टेशन पर यात्रियों को लूट लिया गया तो माननीय मन्त्री ने कह दिया कि यह कानून और व्यवस्था का मामला है। जहां तक रेलवे लाइन का सम्बन्ध है यह कानून और व्यवस्था का मामला नहीं है। स्टेशन मास्टरों की हिफ़ाजत करना केन्द्रीय सरकार का कर्तव्य है। यह हमारी सम्पत्ति है। आश्चर्य है कि इन लोगों के बचाव के लिये कुछ नहीं किया जाता तीन मास से वह मामला स्थानीय पुलिस के हाथ में है। जब उचित कार्यवाही नहीं की गई थी तो माननीय मंत्रियों को यह काम विशेष पदाधिकारियों को सौंपने में संकोच नहीं करना चाहिये था। यह कोई पहला या दूसरा मामला नहीं है। इस प्रकार की कई घटनायें हो चुकी हैं। इस विषय पर चर्चा के लिये जितना भी समय मांगा जाये मैं देने को तैयार हूं। यह तो यात्रियों और रेलवे कर्मचारियों की जान और माल की हिफ़ाजत का मामला है।

यह मत समझिये कि मैं इस पर सामान्य भाषण दे रहा हूं। ऐसी घटनाएं बार बार होती हैं और यह केन्द्रीय सरकार का विषय है और हमें इसकी बड़ी चिन्ता है ....

†**श्री जाधव :** मैं कुछ बहुत महत्वपूर्ण जानकारी चाहता हूं।

†**अध्यक्ष महोदय :** मैं ने काफी जानकारी दे दी है। अगला प्रश्न।

डाक सर्किल, मैसूर

†*११०४. **श्री जोकीम आल्वा :** क्या परिवहन तथा संचार मंत्री १७ फरवरी, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या २१२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तब से मैसूर राज्य में एक नये डाक तथा तार प्रशासकीय सर्किल बनाने के प्रश्न पर विचार हो चुका है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या निर्णय हुये हैं ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (श्री स० का० पाटिल):** (क) और (ख). मामला विचाराधीन है।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†श्री जोकीम आल्वा: क्या राज्यों का पुनर्गठन हो जाने के बाद डाक तथा तार विभाग ने अलग अलग राज्यों के लिये अलग अलग सर्किल नहीं बनाये ।

†श्री स० का० पाटिल : जी, नहीं । ऐसा नहीं किया गया ।

†श्री जोकीम आल्वा: क्या माननीय मंत्री को यह मालूम है कि मद्रास सर्किल के इस भाग का उल्लेख करने और बम्बई सर्किल के राज्य के दूसरे भाग का उल्लेख करने में बड़ी असुविधा होती है ।

†श्री स० का० पाटिल : महाशय, यह सारा प्रश्न वैज्ञानिकन का है और हम यह सोच रहे हैं कि अन्तिम रूप से क्या किया जाना चाहिये । हम यह सोच रहे हैं कि क्या हमें "एक राज्य के लिये एक सर्किल" की नीति का अथवा क्षेत्रीय प्रणाली की दूसरी व्यवस्था का पालन करना चाहिये । यह सारा मामला विचाराधीन है ।

श्री बासप्पा : क्या मैसूर राज्य ने इस मामले के बारे में कुछ कहा है और क्या उन्होंने सर्किल बनाये जाने की सिफारिश की है ?

†श्री स० का० पाटिल: मैसूर की सरकार इसके लिये बहुत उत्सुक है कि उसके लिये एक अलग सर्किल होना चाहिये और उसकी यह उत्सुकता उचित है । हम इस पर सहायक तथा विचारपूर्ण दृष्टि से सोच रहे हैं ।

†श्री रामनाथन् चेट्टियार : क्या डाक सर्किल भाषा के आधार पर बनायें जायेंगे ?

†श्री स० का० पाटिल : मेरी समझ में डाक सर्किल भाषा के आधार पर नहीं बनाये जायेंगे

†श्री आचार : क्या मैं जान सकता हूं कि इस पर कब तक निर्णय होने की आशा है ?

†श्री स० का० पाटिल : मेरी आज सबेरे ही मुख्य मन्त्री से भेंट हुई थी । मैंने अपनी कठिनाइयां उनके सामने रखीं थीं और उनसे कहा था कि क्या वे हमारी आवास स्थान की तथा अन्य जरूरतों को पूरा करने में सहायता करेंगे । उन्होंने इसके लिए वचन दिया है । इससे हमारे मार्ग की एक बड़ी बाधा दूर हो गई है और हम अतिशीघ्र निर्णय होने की आशा करते हैं ।

श्री भक्त दर्शन : जहां तक मुझे याद है, दो वर्ष पहले माननीय जगजीवन राम जी ने यह आश्वासन दिया था कि राज्यों के पुनर्गठन के बाद इन मंडलों के बारे में फिर से विचार किया जाएगा । मैं जानना चाहता हूं कि इस मामले में इतनी देरी क्यों हो रही है तथा शीघ्रतापूर्वक निर्णय क्यों नहीं किया जा रहा है ?

†श्री स० का० पाटिल : यह कोई सीधा सादा सवाल नहीं है । अलग से एक सर्किल बनाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है । ऐसी बात नहीं है कि एक लिंग्विस्टिक स्टेट बनी, इसलिए सर्किल बनना चाहिए । हम देख रहे हैं कि उस दृष्टि से तथा दूसरी रीति से भी कि जोनल सिस्टम या कोई और दूसरा सिस्टम अच्छा होगा । चूंकि मैसूर प्राविन्स बड़ा है, इसलिए कुछ न कुछ उसके लिए करना चाहिये और वह दूसरी बात है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

दक्षिण वियतनाम को पशुओं का निर्यात

+

†*११०५. { **श्री रघुनाथ सिंह :**
सरदार इकबाल सिंह :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने दक्षिण वियतनाम से पशुओं के निर्यात के लिये समझौता कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और किस प्रकार के पशु निर्यात किये जायेंगे ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) भारत सरकार दक्षिण वियतनाम की प्रार्थना पर २,००० भैंसें कृषि प्रयोजनों के लिये निर्यात करने को तैयार हो गई है। इन जानवरों को जमा करने तथा उनके भेजने से सम्बन्धित पद निर्देश और शर्तें वियतनाम सरकार को सूचित कर दी गई हैं। जब वह शर्तें तथा पद निर्देशों को स्वीकार कर लेगी तब इस लेन देन को अन्तिम रूप दे दिया जाएगा।

(ख) लोक-सभा के पटल पर एक विवरण रखा जाता है **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या १]**

श्री रघुनाथ सिंह: इस स्टेटमेंट से यह जाहिर होता है कि शिपिंग आप के द्वारा होगा। मैं जानना चाहता हूं कि जो एक्सपोर्ट होगा वह इण्डियन शिप्स के द्वारा होगा या फारेन शिप्स के द्वारा ? क्या इसके बारे में डील में कोई प्रोविजन किया गया है ?

श्री मो० वें० कृष्णप्पा : ट्रांसपोर्ट के लिए कोई शिप वाला आगे नहीं आता था। इस वास्ते एक अफसर को कलकत्ता भेजा गया था और उसके बहुत प्रार्थना करने पर एक शिपिंग कम्पनी ने एग्री किया है कि थोड़ी थोड़ी इंस्टालमेंट में वह इनको ले जाएगी।

†**श्री हेम बरुआ** : इस तथ्य की दृष्टि से बहुत वर्षों पहिले हमने अमेरिका को जो ढोर भेजे थे उनसे एक नयी पीढ़ी पैदा की गई है जिसे "ब्राह्मण बैल" कहा जाता है; क्या सरकार का दक्षिण वियतनाम को २००० भैंसें भेज कर इसी प्रकार की कोई नई जाति बनाने का इरादा है ?

†**श्री मो० वें० कृष्णप्पा** : हम उन्हें भैंसें देने के लिये भी तैयार हैं। हमारे पास बहुत भैंसे हैं।

†**श्री जाधव** उठे—

†**अध्यक्ष महोदय** : अब दूसरा प्रश्न लिया जाए।

†**श्री जाधव** : महोदय, मैं आपका ध्यान आकर्षित करने में कठिनाई अनुभव कर रहा हूं।

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या आप बैलों के बारे में कुछ और प्रश्न पूछना चाहते हैं ?

†**श्री जाधव** : मेरा प्रश्न किसी दूसरी बात के लिए है। क्या यह सच है कि भारत में दुधारू पशुओं की कमी है; यदि हां, तो फिर इन भैंसों को क्यों भेजा जा रहा है ?

†**श्री मो० वें० कृष्णप्पा** : हमारे कुछ ऐसे पड़ौसी देश हैं जैसे बर्मा, लंका, वियतनाम, श्याम आदि जो कुछ चीजों के लिये हम पर पूरी तौर से निर्भर हैं और यद्यपि हमारे लिये उन चीजों की कमी

---

†मूल अंग्रेजी में

है फिर भी हमें वहां के लोगों के लिये इन्तजाम करना पड़ता है और इस मामले में पशु निर्यात की नीति को भारत सरकार ने उदार कर दिया है जिससे कि विदेशी मुद्रा कमाई जा सके ।

†**श्री हेम बरुआ :** इन २००० भैंसों में कितने भैंसे हैं ?

†**श्री मो० वें० कृष्णप्पा :** ७० भैंसों के लिये १ भैंसा आवश्यक होगा

वनस्पति तेलों की कीमत

†*११०६. **श्री महन्ती :** क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वनस्पति तेलों की नई निर्यात नीति के परिणामस्वरूप बाजारों में उनकी फुटकर कीमतें बढ़ गई हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस स्थिति को सुधारने के लिये सरकार क्या प्रस्ताव कर रही है ?

†**कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा) :** (क) जी, हां ।

(ख) सरकार देश में वनस्पति तेलों की कीमतों के उतार चढ़ाव पर निगरानी रख रही है समय-समय पर ऐसी उचित कार्यवाही की जाएगी जिससे उनकी कीमतें उचित स्तर पर ही रहें । आजकल खरीफ तिलहनों की कमी के दिन हैं और कुछ ही महीनों के भीतर बाजार में तिलहनों की नई फसल आ जाने पर, ऐसी आशा की जाती है कि कीमतें गिरने लगेंगी ।

†**श्री महन्ती :** क्या हम बढ़ती की प्रतिशत और मात्रा और उसके कारण जान सकते हैं ?

†**श्री मो० वें० कृष्णप्पा:** इन चीजों का निर्यात इस वर्ष जनवरी में शुरू हुआ था । पिछले वर्ष दिसम्बर में मूंगफली के तेल की कीमत ५५/- रुपये प्रति मन थी और आज उसकी कीमत ५९) रुपये मन है । ५०/- में ४/- की बढ़ती हुई है और इस प्रकार ८ प्रतिशत होती है ।

†**श्री महन्ती :** इस तथ्य की दृष्टि से किये निर्यात बढ़ाये जा रहे हैं और जब तक कि उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा नहीं की जाती तब तक इससे उपभोक्ताओं को हानि होगी इसलिये सरकार इस मामले में क्या विशेष कार्यवाही करने का विचार कर रही है ?

†**श्री मो० वें० कृष्णप्पा :** विदेशी मुद्रा कमाने की महत्वपूर्ण वस्तुओं में से खली तथा तिलहन भी एक हैं । खली तथा तिलहन का निर्यात करके हम काफी विदेशी मुद्रा कमा रहे हैं परन्तु उनका निर्यात करते समय हम इस बात का विचार कर लेते हैं कि उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा हो । पिछले वर्ष जुलाई में कीमत ५८/- प्रति मन थी और आजकल ५६/- रुपये प्रति मन है अर्थात् निर्यात होने के बावजूद भी कीमतें पिछले वर्ष की अपेक्षा अधिक नहीं बढ़ी हैं ।

†**श्री महन्ती :** महोदय, माननीय उपमन्त्री ने दो आंकड़े दिये हैं । यदि मैंने उन्हें ठीक से सुना है तो उन्होंने पहिले ५९/- प्रतिमन कीमत कही थी और अब वे ५६/- प्रति मन बताते हैं ।

†**श्री मो० वें० कृष्णप्पा :** मैं अलग अलग महीनों की कीमतें बता रहा हूं । मैंने पहिले जो आंकड़े बताये हैं वे अगस्त के महीने के हैं और दूसरे आंकड़े जुलाई के हैं ।

†**श्री त्यागी :** हमें तिलहनों के निर्यात से लाभ हो रहा है अथवा हानि ?

†**अध्यक्ष महोदय :** क्या हम उन्हें यहां की प्रचलित कीमतों से कम कीमत पर बेच रहे हैं ?

†**श्री मो० वें० कृष्णप्पा :** जी, नहीं । हमें इससे लाभ होता है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री रंगा : क्या सरकार इस बात का आश्वासन देगी कि ज्योंही बाजार में अगली फसल आ जाएगी त्यों ही वह निर्यात पर रोक नहीं लगायेगी और इस प्रकार कीमतें कम न होने देगी और उत्पादकों को हानि न होने देगी ?

†श्री मो० वें० कृष्णप्पा : यह प्रश्न श्री महन्ती के प्रश्न का उत्तर है जो इन चीजों का निर्यात नहीं होने देना चाहते। देश के उत्पादक यह चाहते हैं कि इन निर्यातों को चालू रखा जाये जिससे कि कीमतें एक उचित तथा मितव्यय स्तर पर रहें।

†श्री रंगा : उन्होंने इसे दूसरे ढंग से पूछा था।

†अध्यक्ष महोदय : शान्ति ! शान्ति! माननीय मंत्री एक दम आश्वासन नहीं दे सकते। माननीय सदस्यों को इस पर जोर नहीं देना चाहिये।

†श्री रंगा : महोदय, वे इसके पहिले ऐसा कर चुके हैं। बाजार में फसल आने के पहिले उन्होंने निर्यात बन्द कर दिया था और बाद में उसे खोल दिया था। इसके परिणामस्वरूप केवल व्यापारियों और मिल मालिकों को ही फायदा हुआ था, उपभोक्ताओं को घाटा हुआ तथा उत्पादकों को कुछ नहीं मिला।

†श्री मो० वें० कृष्णप्पा : महोदय, जैसा कि आप कह चुके हैं, मैं आयात और निर्यात के प्रश्न के बारे में कुछ भविष्यवाणी नहीं कर सकता।

†अध्यक्ष महोदय : सारी चीज यह है कि माननीय मन्त्री श्री रंगा के सुझाव का ध्यान रखेंगे कि लाभ दलालों को न मिले वरन् वह उत्पादकों को मिले और इससे उपभोक्ताओं पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।

गांवों में मनी आर्डर बांटने की धन-सीमा

†*११०७. श्री वै० च० मलिक : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गांव के डाकियों तथा अतिरिक्त विभागीय डाक वितरण कर्मचारियों (डिलीवरी स्टाफ) को ४० रुपये तक के मनीआर्डरों का वितरण (डिलीवरी) करने दिया जाता है ;

(ख) क्या सरकार का ध्यान इस तथ्य की ओर गया है कि इस धन-सीमा प्रणाली से मनीआर्डर पाने वाले, विशेषकर महिलाओं को, बड़ी असुविधा होती है ; और

(ग) यदि हां, तो ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसी असुविधाओं को दूर करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है या करने का विचार कर रही है ?

†परिवहन तथा संचार मंत्री (श्री स० का० पाटिल) : (क) जी, हां। यह सीमा प्रत्येक मनीआर्डर के लिये है।

(ख) कुछ शिकायतें आई हैं।

(ग) मामले पर ध्यान दिया जा रहा है।

†श्री वै० च० मलिक : इस धन-सीमा को ४० रुपये से काफी बड़ी राशि तक न बढ़ाने के क्या कारण हैं ?

†श्री स० का० पाटिल : सम्भवतः यह सीमा बढ़ानी पड़ेगी। इसमें कुछ कठिनाइयां हैं और हम उन पर विचार कर रहे हैं। ऐसी सम्भावना है कि उसे अधिकतम सीमा तक बढ़ा दिया जाएगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री वे० च० मलिक : एक गांव का चिट्ठीरसा अथवा पत्र वितरक ज्यादा से ज्यादा कुल कितनी रकम गांव को ले जा सकता है ?

†श्री स० का० पाटिल : ऐसा विचार है कि सीमा को अन्ततः ६०० रुपये तक बढ़ा दिया जाए। चूंकि गांव का चिट्ठीरसा पूरे सप्ताह तक नहीं लौटता अतएव जब तक वह वापस नहीं आ जाता उससे हिसाब नहीं लिया जा सकता। उसकी कोई जमानत नहीं होती। इसके अलावा अन्य बातों पर भी विचार करना पड़ेगा इसलिये यह मामला इतना उलझनपूर्ण है।

†श्री वे० च० मलिक : वर्गानुसारों चिट्ठीरसों से कितनी जमानत की रकम ली जाती है ?

†श्री स० का० पाटिल : यदि मैं गलती नहीं कर रहा तो चिट्ठीरसा जो जमानत देता है वह लगभग ३०० रुपये ही है।

"भारत आइये वर्ष"[1]

†*११०८. श्री हेम राज : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार का ऐसा कोई प्रस्ताव है कि सन् १९६१ को "भारत आइये वर्ष" के रूप में मनाया जाए ; और

(ख) यदि, हां तो इसे सफल बनाने के लिये भारत सरकार क्या सुविधायें देने का प्रस्ताव कर रही है ?

†परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) और (ख) : प्रस्ताव अभी भी अत्यन्त प्रारम्भिक अवस्था में है। इस बारे में भारत सरकार के विभिन्न विभागों और अन्य सम्बन्धित अभिकरणों के परामर्श से अन्तिम निर्णय किया जाएगा।

†श्री हेम राज : इस प्रस्ताव का अन्तिम निर्णय कब तक हो जाएगा ?

श्री राज बहादुर : मैं सोचता हूं कि बहुत जल्दी ही।

†श्री भक्त दर्शन : मैं जानना चाहता हूं कि इस काम के लिये सन् १९६१ का ही वर्ष क्यों छांटा गया ? क्या ज्योतिषियों से कोई मुहूर्त निकलवाया गया है ?

†श्री राज बहादुर : इसके कई कारण हैं। प्रमुख कारण यह है कि उस समय तक जो नये प्रकार के जेट हवाई जहाज हैं वह चालू हो जायेंगे और उनके द्वारा काफी संख्या में बाहर से पर्यटक लोग आ सकेंगे। एक कारण यह भी है कि उस समय तक हम अपने होटलों की व्यवस्था और दूसरे प्रबन्धों को कर सकेंगे।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

रेलवे बुकिंग क्लर्क

†*११०१. श्री त० ब० विट्ठल राव : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम रेलवे के कुछ स्टेशनों पर रेलवे बुकिंग क्लर्कों के काम के घंटे चार-चार घंटों की पारियों में बंटे हैं ;

---

†मूल अंग्रेजी में

[1] "Visit India Year"

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को यह मालूम है कि उनके काम के घंटे समाप्त होने के बीच के समय में कर्मचारियों को कितनी कठिनाई होती है; और

(ग) यदि हां, तो क्या उनके काम के घंटों को एक ही पारी में बदलने का प्रस्ताव है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाह नवाज खां)** : (क) जी, हां।

(ख) कोई कठिनाई नहीं होती।

(ग) जी, नहीं।

अन्तर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संथा[1]

†११०२. **सरदार इकबाल सह** : क्या परिवहन तथा संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इण्डियन एयर लाइन्स कारपोरेशन को अन्तर्राष्ट्रीय वायु परिवहन सन्था का सक्रिय सदस्य बना लिया गया है ; और

(ख) इस संगठन का सदस्य बन जाने से उस पर कौन से मुख्य कार्य और जिम्मेदारियां आ गई हैं ?

†**असैनिक उड्डयन उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन)** : (क) जी, हां।

(ख) इस अन्तर्राष्ट्रीय वायु-परिवहन सन्था का सदस्य बन जाने से इण्डियन एयर लाइन्स कारपोरेशन की यह जिम्मेदारी हो गई है कि वह अन्तर्राष्ट्रीय उड़ानों में इस विश्व सन्था के नियमों, विनियमों तथा प्रक्रियाओं का अनुसरण करें। इण्डियन एयर लाइन्स कारपोरेशन के लेखों का हिसाब अन्तर्राष्ट्रीय वायु परिवहन परिषद् के क्लीयरिंग हाउस, लन्दन के जरिये किया जाएगा। इस प्रकार विभिन्न विमान चालक कम्पनियों से अलग अलग व्यक्तिगत रूप से हिसाब करने की वर्तमान प्रणाली बन्द हो जाएगी। इण्डियन एयर लाइन्स कारपोरेशन को सन्था की सदस्यता का चंदा भी देना पड़ता है।

मनीपुर में पशुओं की बीमारी

*†११०९. **श्री ले० अचौ० सिंह** : क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मनीपुर में पशुओं की महामारी व्यापक रूप में फैल गई है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बीमारी से कितने पशु बीमार हुए हैं और कितने मर गये हैं ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1] International Air Transport Association.

आसनसोल क्षेत्र की खदानों में आग

†*१११०. { **श्री अजित सिंह सरहदी :**
श्री बोस :
श्रीमती कृष्णा मेहता : }

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आसनसोल क्षेत्र की जोति-मुटुक साइडिंग के पास की बन्द खदानों की विस्तृत तथा अनियंत्रित आग से ऊपर की उस साइडिंग के लिये भी खतरा हो गया है जो १२ कोयला क्षेत्रों तथा अल्यूमीनियम कारपोरेशन के उत्पादन को भेजने का एकमात्र मार्ग है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि इसे दूसरी ओर बदलने का सुझाव रखा गया है और इसका खर्च देने के लिये साइडिंग के मालिक तैयार हैं ; और

(ग) यदि हां, तो इसे दूसरी ओर बदलने में क्यों विलम्ब हो रहा है जबकि वर्तमान साइडिंग के बन्द हो जाने से लगभग २५०० व्यक्ति बेकार हो जाएंगे तथा इससे कोयले का उत्पादन भी काफी कम हो जाएगा ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)**: (क) सन् १९५२ में पहिले पहल रेलवे को एक बन्द की गई खदान में जमीन के भीतर आग लगने का पता लगा था अब वह उसके पास की साइडिंग के ४०० फुट तक आ गई है । अब वहां पाइलेट दिन को ही काम करते हैं परन्तु अभी भी साइडिंग को सुरक्षित नहीं घोषित किया गया । रात और दिन, चौबीसों घंटों निगरानी रखने के लिए पहरेदार लगा दिये गये हैं जिससे कोई दुर्घटना न हो यह साइडिंग उन अन्य सब-साइडिंगों की आधार है जिन से पांच कोयला क्षेत्र और अल्यूमीनियम जुड़ा हुआ है तथा उनका माल बाहर जाता है ।

(ख) जी, हां । परन्तु केवल तीन कोयला क्षेत्रों के वे मालिक ही लागत का अपना हिस्सा देने को तैयार हैं जिनकी साइडिंगें हैं । शेष छः कोयला क्षेत्रों को आज कल माल लादने की सुविधा का कोई अधिकार नहीं है और न ही वे इसे दूसरी ओर बदलने के खर्च का हिस्सा देने के लिये जिम्मेदार हैं ।

(ग) तीनों मालिकों द्वारा अनुपात की कुल लागत के हिस्सों के जमा हो जाने पर इसे दूसरी ओर बदलने का काम शुरू हो जाएगा ।

सफदरजंग के निकट सड़क को चौड़ा करना

***११११. श्री भक्त दर्शन** : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री ३० अप्रैल, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या १९३५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सफदरजंग के निकट सड़क को चौड़ा करने और सफदरजंग हवाई अड्डे के पीछे से विनय नगर, नई दिल्ली को मुख्य नगर से मिलाने के लिये एक लिंक रोड बनाने के सम्बन्ध में इस बीच क्या प्रगति हुई है ; और

(ख) उपरोक्त दोनों काम कब तक पूरे हो जायेंगे ?

परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) और (ख) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

सफदर जंग रेल क्रासिंग के पास मौजूदा सड़क को चौड़ा करने से आवागमन (ट्रैफिक) में भारी भीड़ की समस्या पूरी तरह हल नहीं हो सकेगी क्योंकि इस हालत में भी हवाई जहाजों और रेलगाड़ियों के आने जाने से यहां पर आवागमन बराबर रुकता रहेगा । इसलिये नजफखां मक़बरे के बराबर पूरब की तरफ से एक दूसरी सीधी सड़क बनाने के सुझाव पर विचार किया जा रहा है। फलतः गाड़ियां आदि सिर्फ नए रेल क्रासिंग पर रेलगाड़ी के आने जाने के वक्त ही रुकेंगी।

२. सफदर जंग हवाई अड्डे के पीछे (पश्चिम की तरफ से) सड़क को जोड़ देने का इरादा नहीं है क्योंकि इस से सारे आवागमन को एक लम्बा चक्कर पड़ जावेगा। किन्तु विनय नगर के आस पास रहने वाले साइकिल वालों के लिये सरकारी सचिवालय तक सीधे पहुंचने के लिये सफदर जंग के हवाई अड्डे के पीछे से रास्ता बनाने का सुझाव है ।

३. उपर्युक्त काम खर्चे का फैसला और तखमीना तथा खाका मंजूर हो जाने पर ही शुरू किये जायेंगे। आशा है ये काम लगभग डेढ़ साल के अन्दर ही पूरे हो जावेंगे।

रकारी अस्पतालों के डाक्टरों द्वारा प्राइवेट प्रेक्टिस

†*१११२. **श्री पांगरकर** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रशासकीय नियंत्रण में चलने वाले अस्पतालों के डाक्टरों की प्राइवेट प्रैक्टिस को बन्द करने का विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो क्या संभवतः प्राइवेट प्रैक्टिस न करने के लिये कोई भत्ता दिया जायेगा ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) इस मंत्रालय के अधीन चलने वाले अस्पतालों और डिस्पेन्सिरियों में काम करने वाले डाक्टरों पर प्राइवेट प्रैक्टिस करने का प्रतिबन्ध पहिले ही लगा दिया गया है । प्राइवेट प्रैक्टिस के बदले में उन्हें प्राइवेट प्रैक्टिस न करने का भत्ता दिया जाता है ।

दामोदर घाटी निगम के पानी के लिये सिंचाई कर

†*१११३. { **श्री वारियर** :
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने पश्चिम बंगाल राज्य सराकार को यह निदेश दिया है कि वह दामोदर घाटी निगम के पानी के उपयोग किये जाने पर सिंचाई कर लगाने की कार्यवाही करे;

(ख) यदि हां, तो उस ने क्या दरें सुझाई हैं और भारत सरकार के सुझावों का क्या ब्यौरा है; और

(ग) क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने पश्चिम बंगाल सिंचाई (दामोदर घाटी निगम के पानी की सिंचाई दर लगाने का) विधेयक में प्रस्तावित दरों के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार की मंजूरी ले ली है ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) पश्चिम बंगाल के जिन क्षेत्रों को दामोदर घाटी निगम नहर प्रणाली से पानी मिलता है उन पर सिंचाई की पानी की दरें अनिवार्य रूप से लगाने की अत्यन्त आवश्यकता पर भारत सरकार ने पश्चिम बंगाल पर जोर डाला था ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) परन्तु भारत सरकार द्वारा कोई विशेष दरें नहीं सुझाई गईं।

(ग) जी, नहीं। इस सम्बन्ध में पश्चिम बंगाल राज्य सरकार का यह उत्तरदायित्व नहीं है कि वह केन्द्रीय सरकार की पूर्व अनुमति ले।

सिंचाई और विद्युत् परियोजनाओं के लिये मशीनें

†*१११४ { श्री राम शंकर लाल :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री झूलन सिंह :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पहिली पंचवर्षीय योजना में सिंचाई और विद्युत् परियोजनाओं के निर्माण के लिये आयात की गई जमीन खोदने की मशीनरी में निर्माण कार्य में लगे रहने के फलस्वरूप जो टूट फूट हुई है, उस की लागत क्या है; और

(ख) उस की खरीद की मूल कीमत कितनी है ?

सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी) : यह मान लिया जाता है कि "टूट फूट" से माननीय सदस्य का मतलब 'अवक्षयण' से है। जमीन खोदने की जो मशीनें प्रथम पंचवर्षीय योजना में खरीदी गईं थीं, वे देश के विभिन्न भागों में फैली हुई हैं और यह संभव नहीं है कि बिना उचित समय दिये ही राज्य सरकारों/परियोजना अधिकारियों से जानकारी प्राप्त करली जाये।

(ख) प्रथम पंचवर्षीय योजना में नदी घाटी परियोजनाओं के लिये आयात की गई जमीन खोदने की मशीनों की मूल कीमत लगभग १८.३६ करोड़ रुपये है।

राष्ट्रीय राजपथ संख्या ३७

†१११५. **श्रीमती मफीदा अहमद** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह मालूम है कि पलासबाड़ी के निकट राष्ट्रीय राजपथ के लगभग दो फर्लांग ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा भूमि के कटाव के कारण पूर्णतः खराब हो गये हैं;

(ख) क्या खोवांग में देहिंग नदी के भूमि काटने के कारण राजपथ खराब हो गया है; और

(ग) यदि हां, तो इसे बचाने के लिये क्या उपाय किये जायेंगे ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) जी, हां। पलासबाड़ी के निकट राष्ट्रीय राजपथ में लगभग २७५० फुट जगह ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा काट दी गई है।

(ख) जी, हां। देहिंग नदी के द्वारा भूमि का कटाव आसाम ट्रंक रोड (राष्ट्रीय राजपथ संख्या ३७ के २५८ मील पर लगभग ४०० फुट) के किनारे तक आ गया है; और

(ग) पलासबाड़ी में दूसरी ओर बदल कर सड़क पहिले ही बना दी गई है। खोवांग में भी दूसरी ओर बदल कर एक सड़क बना दी गई है और सड़क की सुरक्षा के लिये १७ अस्थायी ग्रोनियां बना दी गई हैं। भू-कटाव रोकने के लिये अन्य सभी संभव प्रयत्न किये जा रहे हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

थान्गास्सेरी (क्विलोन) में पत्तन

†*१११६. **श्री कोडियान** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री २० नवम्बर, १९५७ के अतारांकित प्रश्न संख्या ४५४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि थान्गास्सेरी (क्विलोन) में एक पड़ाव भाड़ा[1] पत्तन स्थापित करने के केरल राज्य सरकार के प्रस्ताव पर क्या निर्णय लिया गया है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज बहादुर)** : लोक सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है । [देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या २]

एयर-इंडिया इंटरनेशनल की मास्को को उद्घाटन-उड़ान

†*१११७. **श्री राम कृष्ण रेड्डी** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १४ अगस्त, १९५८ को एयर इंडिया इंटरनेशनल की मास्को को उद्घाटन-उड़ान यात्रा पर जाने वाले व्यक्तियों का खर्च केवल संघ सरकार उठायेगी या रूस की सरकार भी उठायेगी;

(ख) यात्रा पर जाने वाले व्यक्तियों की मास्को तक यात्रा और वहां से वापस आने की यात्रा तथा मास्को में ठहरने का संभावित खर्च कितना है; और

(ग) ऐसे व्यक्तियों का अतिरिक्त खर्च कौन देगा जो मास्को में अपनी ठहरने की अवधि बढ़ा कर रूस की अर्थ व्यवस्था का अध्ययन करेंगे ?

†**असैनिक उड्डयन उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन)** : (क) खर्च एयर इंडिया इंटर नेशनल ने दिया है ।

(ख) मास्को तक और वहां से वापस आने की हवाई यात्रा के खर्च का हिसाब लगाना कठिन है परन्तु मास्को के पहले दर्जे के वापिसी टिकट का खर्च ३३४३ रुपये है । मास्को में लगभग आठ दिन तक ठहरने का प्रति व्यक्ति का खर्च लगभग ८०० रुपये है ।

(ग) इस की जिम्मेदारी वहां ठहरने की अपनी अवधि बढ़ाने वाले व्यक्ति पर होगी । परन्तु, एयर इंडिया इंटरनेशनल द्वारा दिया गया वापिसी टिकिट एक साल की अवधि तक मान्य रहेगा ।

कुंदा जल विद्युत् परियोजना

†*१११८. **श्री नंजप्पा** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तीसरे बिजली घर की स्थापना से संबंधित कुंदा जल विद्युत् परियोजना की तीसरी प्रावस्था, दूसरी के समाप्त होते ही, शुरू कर दी जायेगी;

(ख) यदि हां, तो क्या उसे कनेडा की सहायता के अन्तर्गत पूरा किया जायेगा; और

(ग) उस की अनुमानित लागत कितनी है तथा उससे कितनी बिजली पैदा होगी ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) से (ग) : लोक सभा के पटल पर एक विवरण रखा जाता है । [देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ३]

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Lighterage.

दिल्ली में बिजली की खपत

†*१११९. **श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : : क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में बिजली की खपत में कटौती करने के बारे में मंत्रालय के निवेदन पर क्या प्रतिक्रिया हुई है; और

(ख) बिजली के संभरण की वर्तमान स्थिति क्या है ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) दिल्ली में बिजली के इस्तेमाल में मित-व्ययिता करने की अपील ४ जून, १९५८ को की गई थी जिस का उत्तर अधिक उत्साहजनक नहीं मिला है । चूंकि दिल्ली विद्युत् सम्भरण उपक्रम ने सारी मांग की पूर्ति अपने उस संयंत्र से भी काम ले कर की जो पहले काम नहीं कर रहा था इस कारण कोई विशेष उपाय नहीं करने पड़े उदाहरण के लिये भार कम करने के लिये विद्युत् सम्भरण की मात्रा में न तो कटौती की गई और न बन्द ही की गई ।

(ख) उपक्रम की ७०,००० किलोवाट विद्युत्-उत्पन्न करने की स्थिर क्षमता में से शाम को अधिकतम मांग ७०,०००/७१,००० किलोवाट हो जाती है । दिन में उस की आवश्यकता लगभग ६२,००० किलोवाट रहती है ।

सिसवा बाजार में टिकट चेकर पर हमला

†*११२०. **श्री बाजपेयी** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गोरखपुर जाने वाली अप पैसेंजर गाड़ी के गार्ड, टिकट चैकर और स्टेशन के अन्य कर्मचारियों पर सिसवा बाजार स्टेशन पर १५ अगस्त, १९५८ को यात्रियों ने हमला कर दिया था;

(ख) दुर्घटना का विस्तृत ब्यौरा क्या है; और

(ग) मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) जी हां ।

(ख) १५-८-५८ को २२७ अप गाड़ी से दो छात्र यात्रा करते समय खड्डा रेलवे स्टेशन पर खोमचे वालो के साथ शरारत करने के संबंध में स्थानीय पुलिस द्वारा रोक लिये गये थे । जब गाड़ी खड्डा स्टेशन से चली तो गाड़ी के अन्य छात्रों ने खतरे की जंजीर खींच ली किन्तु वैक्युम न होने के कारण गाड़ी रुकी नहीं । गाड़ी के सिसवा स्टेशन पहुंचने पर छात्रों की भीड़ ने गार्ड, ड्राइवर और स्टेशन के अन्य कर्मचारियों से इस बात पर जोर दिया कि उन के साथियों को वापस लाने के लिये गाड़ी खड्डा वापस ले जाई जाय । ऐसा नहीं किया गया इस कारण उन्होंने गाड़ी पर पत्थर फेंकने आरम्भ कर दिये और इंजन में काम करने वाले लोगों तथा ड्यूटी पर अन्य जो कर्मचारीवर्ग थे उन पर प्रहार कर दिया जिस से उन के मामूली चोटें आईं । स्टेशन मास्टर ने सहायता के लिये स्थानीय पुलिस को बुला लिया जिस के आने पर भीड़ तितर बितर हो गई ।

(ग) कोटीभार पुलिस ने भारतीय दण्ड विधान की धारा १४७/३२३/३३६ के अधीन और भारतीय रेलवे अधिनियम की धारा १२१ के अधीन मामला दर्ज कर लिया है जिस की जांच गोरखपुर की सरकारी रेलवे पुलिस द्वारा की जा रही है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

बिजली की बहु एकक गाड़ी के डिब्बे

†*११२१. श्री सुब्बया अम्बलम : क्या रेलवे मंत्री ५ अप्रैल, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या २४७१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जेसप्स कम्पनी, कलकत्ता द्वारा बिजली की बहु एकक गाड़ी (ई० एम० यू०) के डिब्बों का संभरण किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो अभी तक कितने डिब्बे सप्लाई किये गये हैं ?

†रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

मद्रास पत्तन न्यास के कर्मचारी

†*११२२. श्री एन्थनी पिल्ले : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मद्रास पत्तन न्यास के कर्मचारियों ने सरकार से यह निवेदन किया है कि उस के कर्मचारियों को भी यात्रा में वही रियायतें देने की मंजूरी दी जाये जो केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को प्राप्त है;

(ख) यदि हां, तो यह आवेदन कब किया गया था; और

(ग) सरकार ने कब अनुमति दे दी ?

†परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी हां।

(ख) २८ नवम्बर, १९५७ ।

(ग) १ जुलाई, १९५८ ।

हिमाचल प्रदेश में कूल्हें

११२३. श्री पद्म देव : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री ९ अप्रैल, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या १५५८ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बीच हिमाचल प्रदेश की विवादग्रस्त कूल्हों की मरम्मत कर दी गई है; और

(ख) क्या इन कूल्हों को बनाने से पहले गांव वालों की राय ले ली गई थी ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन) : (क) तीन विवादग्रस्त कूल्हें अर्थात् करासा, गंडानावर और रनोल कूल्हों में से, रनोल कूल्ह की मरम्मत किये जाने की रिपोर्ट मिली है।

(ख) हिमाचल प्रदेश प्रशासन ने रिपोर्ट की है कि पिछले वर्ष आग से रिकार्ड नष्ट हो जाने के कारण, यह मालूम करना संभव नहीं है कि गांव वालों की राय ली गई थी या नहीं। प्रशासन ने फिर

---

†मूल अंग्रेजी में

भी, दूसरे जरियों से मालूम किया है कि जनता की मिनिस्ट्री के समय में, कुछ गांव वालों ने इन कूल्हों के बनाने के लिये प्रार्थना की थी, यद्यपि उसी क्षेत्र के दूसरे लोगों ने इस का विरोध किया था ।

रेलवे के नये निर्माण कार्य

†*११२४. **श्री श्री नारायण दास** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे प्रशासन ने नई इमारतों, वर्कशापों, स्टेशन यार्डों, तथा कर्मचारियों के लिये क्वार्टर आदि बनाने तथा गंगा के दोनों किनारों के स्टेशनों पर अन्य सुविधाओं की व्यवस्था करने का जिनकी आवश्यकता गंगा पर मोकमेह रेल व सड़क का पुल बन जाने के कारण हो गई है, कोई कार्य-क्रम बनाया है; और

(ख) यदि हां, तो पूर्व रेलवे और पूर्वोत्तर रेलवे दोनों द्वारा इस प्रकार का कार्यक्रम बनाने की प्रमुख विशषतायें क्या हैं ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें०वें० रामस्वामी)**: (क) और (ख) . जी हां, इस प्रकार का निर्माण कार्य अधिकतर गंगा के उत्तरी तट पर हो रहा है अथवा विचाराधीन है, जैसा कि ५-९-५८ को तारांकित प्रश्न संख्या ९७१ के उत्तर में बताया गया है । दक्षिणी तट पर यार्ड में कुछ हेर-फेर किये जा रहे हैं और कर्मचारियों के लिये कुछ क्वार्टर भी बनवाये जा रहे हैं ।

उन निर्माण कार्यों का ब्यौरा बताने वाला जो पहिले से ही प्रगति पर हैं, एक विवरण लोक-सभा पटल पर रखा जाता है । [देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ४]

गौहाटी हवाई अड्डे का विकास

†*११२५. **श्री लीलाधर कटकी** : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गौहाटी (बोरजार) हवाई अड्डे का विकास करने के लिये अब तक क्या कार्यवाही की गई है जिस से कि उस में बड़े आकार के वायुयान जैसे स्काई मास्टर और वाईकाउन्ट आदि आ सकें;

(ख) काम के कब तक पूरे होने की आशा है; और

(ग) क्या डिब्रूगढ़, सिल्चर, इम्फाल और अगरतला हवाई अड्डों के लिये भी इसी प्रकार की योजनायें विचार में हैं ?

†**असैनिक उड्डयन उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन)** : (क) गौहाटी हवाई अड्डे में धवनमार्ग के विस्तार के लिये १२,५६,८७६ रुपये की प्राकल्लित राशि स्काई मास्टर और वाईकाउन्ट जैसे बड़े विमानों के लिये उपयुक्त बनाने हेतु स्वीकृत की गई है ।

(ख) कार्य के लिये टेंडर मांगे जा रहे हैं और टेंण्डर स्वीकार करन की तारीख से लगभग १ वर्ष के भीतर पूरा हो जाने की आशा है ।

(ग) फिलहाल एसी कोई योजनायें विचाराधीन नहीं हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

दिल्ली में जल संभरण

†*११२६. { **श्री बा० चं० कामले :**
श्री बाजपेयी :
श्री श्री नारायण दास :
श्री नवल प्रभाकर : }

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पीने के पानी के उपलब्ध होने के समय के बारे में जनता को सूचित करने और दिल्ली में पीने के पानी की हाल में हुई कमी के दौरान में उसे इस्तेमाल करने के पहले सावधानी बरतन के बारे में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई;

(ख) क्या यह सच है कि पानी की कमी के इस दौरान में भी सिविल लाइन्स और पुरानी दिल्ली में छना हुआ जल लाने सींचने में काम में लाया जाता रहा;

(ग) सम्भरण किये गये पानी में कितनी शुद्धता होती है;

(घ) १४ अगस्त और उससे बाद प्रति दिन जो जल संभरण किया जाता है उस में कितने प्रतिशत अतिरिक्त क्लोरीन रहती है; और

(ङ) अधिक क्लोरीन वाले पानी का जीवधारियों के स्वास्थ्य पर कैसा प्रभाव पड़ता है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) :** (क) जल संभरण पर प्रतिवेदन और उसे उबालने की आवश्यकता संबंधी सूचना नियमित रूप से रेडियो, समाचार पत्र और लाउड स्पीकर वाली मोटरों के द्वारा दी गई थी ।

(ख) निगम ने बताया है कि उन्हें किसी विशिष्ट उदाहरण का पता नहीं लगा है ।

(ग) रसायनिक और रोग संबंधी विश्लेषण के अनुसार संभरण किया गया जल बिल्कुल शुद्ध था ।

(घ) और (ङ). दिल्ली में जिस छने जल का संभरण किया जाता है उस में सामान्यतः प्रति दस लाख में क्लोरीन की मात्रा ०.८ से ले कर ०.५ अंशों तक विद्यमान रहती है । १६ अगस्त, १६५८ से कुछ दिनों तक यह मात्रा १.५ अंश करदी गई थी । अब पुनः इस की मात्रा प्रति दस लाख में घटा कर ०.८ अंश कर दी गई है । लोक स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि क्लोरीन की इतनी मात्रा का जीवधारियों के ऊपर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है ।

उचित मूल्य वाली दूकानों का लूटा जाना

†*११२७. { **श्री दलजीत सिंह :**
श्री महन्ती : }

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश के कुछ भागों में उचित मूल्य की दूकानें लूटी गई हैं;

(ख) यदि हां, तो इस गड़बड़ी के क्या कारण हैं; और

†मूल अंग्रेजी में

(ग) क्या सरकार इन क्षेत्रों के खाद्यान्नों के कोटे में वृद्धि करने पर विचार करेगी ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

यमुना पर रेल का दूसरा पुल

†*११२८. **श्री राम कृष्ण :**
सरदार इकबाल सिंह :
श्री विभूति मिश्र :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या रेलवे मंत्री ११ मार्च, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या ११४६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तुगलकाबाद के निकट यमुना पर दूसरा पुल बनाने की योजना किस प्रक्रम पर है;

(ख) क्या अन्तिम सर्वेक्षण किया जा चुका है;

(ग) यदि हां, तो वह कहां पर होगा;

(घ) अब तक जो कार्य किया गया है उसका क्या ब्योरा है; और

(ङ) पुल की प्राक्कलित लागत कितनी है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) से (ङ). गाजियाबाद-तुगलकाबाद रेल सम्पर्क लाइन जो यमुना के दूसरे पुल से होकर जायेगी उसके लिये अन्तिम रूप से स्थान निश्चित करने का सर्वेक्षण सम्बन्धी क्षेत्रीय कार्य हो चुका है और उत्तर रेलवे प्रशासन प्रतिवेदन और प्राक्कलन के सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय कर रहा है । अतः पुल कहां पर बनेगा तथा प्राक्कलित लागत आदि के बारे में निश्चित रूप से बता सकना समय से बहुत पूर्व होगा ।

रेलवे के सामान की चोरी

११२९. **श्री विभूति मिश्र** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह विदित है कि उत्तरी बिहार के कुछ जिलों में एक संगठित गिरोह कुछ रेलवे अधिकारियों के सहयोग से रेलवे का सामान चुराता है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की है ?

रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी हां । पता लगा है कि समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट में अपराधियों का एक संगठित गिरोह कुछ रेलवे कर्मचारियों से मिलकर चोरी करता है ।

(ख) नरकटियागंज रेलवे पुलिस ने एक मामला दर्ज किया है और उसकी जांच हो रही है । तलाशी लेने पर चोरी का कुछ माल बरामद हुआ है और कुछ लोग गिरफ्तार किये गये हैं जिनमें १० रेलवे कर्मचारी भी हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

गया के निकट माल का लूटना

†*११३०. { **सरदार इकबाल सिंह :**
श्री अमर सिंह डामर :
श्री त्रिदिब कुमार चौधरी : }

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १६ जून, १९५८ को गया के निकट एक मालगाड़ी लूटी गई थी;

(ख) यदि हां, तो घटना का ब्यौरा क्या है;

(ग) कुल कितनी हानि हुई; और

(घ) मामले में क्या कार्यवाही की गई ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) जी हां।

(ख) और (ग). १६-६-५८ को लगभग १२.१५ घंटे पर मालगाड़ी गया स्टेशन के सिगनल पर सिगनल न मिलने के कारण रुक गई थी।

यद्यपि सिगनल तीन मिनट में ही डाउन हो गया था किन्तु वैकुअम की कमी के कारण ड्राइवर उसे चला नहीं सका। इसी बीच कुछ लोगों की एक भीड़ जिसमें कुछ लोग अस्त्रों-शस्त्रों से सुसज्जित भी थे, स्त्रियों और बच्चों सहित पास के गांव से दौड़ आये गाड़ी के तीन वैगनों में से लगभग ११ मन चावल निकाल ले गये।

ड्राइवर ने फायरमैन को दौड़ा कर केबिन के पास भेजा और उससे सूचना पाते ही सरकारी रेलवे पुलिस तथा रेलवे संरक्षण बल के कर्मचारीगण घटनास्थल पर पहुंचे और उपद्रवी उन्हें देखते ही भाग गये।

(घ) सरकारी रेलवे पुलिस ने भारतीय रेलवे अधिनियम की धारा १२८ और भारतीय दण्ड विधान की धारा ३७९ के अधीन मुकदमा दर्ज कर लिया है और जांच पड़ताल जारी है। दीनापुर के सहायक सुरक्षा पदाधिकारी गया पुलिस के जिला सुपरिन्टेण्डेण्ट की सहायता से गया यार्ड तथा उसके आस-पास के क्षेत्र में अपराधियों की इस प्रकार की हरकतों को रोकने के लिये यथासम्भव उपाय कर रहे हैं।

बारासाट-बसीरहाट-हसनाबाद रेलवे लाइन

†*११३१. **श्री हाल्दर** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बारासाट-बसीरहाट-हसनाबाद बड़ी रेलवे लाइन कब तक बन कर तैयार हो जायेगी और उस पर कब से यातायात आरम्भ हो जायेगा ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : बता सकना समय से बहुत पूर्व होगा। पश्चिमी बंगाल द्वारा रेलवे को ज्यों ही भूमि दे दी जायेगी जिसमें मकान बनाने के लिये भूमि भी सम्मिलित है, निर्माण कार्य आरम्भ कर दिया जायेगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

हीराकुड परियोजना के कर्मचारियों की छंटनी

†*११३२. { **श्री पाणिग्रही :**
श्री कुमारन :

क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हीराकुड परियोजना में निम्न श्रेणी के कर्मचारियों की बड़ी संख्या में छंटनी करने के सम्बन्ध में निर्णय कर लिया गया है;

(ख) क्या कर्मचारियों को इस प्रकार का नोटिस दे दिया गया है;

(ग) क्या सरकार की कोई योजना उन्हें कोई दूसरा काम देने की है; और

(घ) क्या हीराकुड परियोजना के कर्मचारियों को निर्माण-भत्ता देना बन्द करने के बारे में निश्चय कर लिया गया है ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) परियोजना में कुछ कार्यों के पूरा हो जाने के कारण मजदूरों तथा अन्य कर्मचारियों की छंटनी करनी पड़ी ।

(ख) जी हां, जो लोग फालतू हो गये उन्हें नोटिस दे दिया गया है ।

(ग) जी हां । फालतू लोगों को अन्य परियोजनाओं या अन्य संगठनों में काम दिलाने का प्रत्येक सम्भव प्रयत्न किया जा रहा है ।

(घ) हीराकुड कर्मचारियों को निर्माण-भत्ता केवल ३१ अगस्त, १९५८ तक ही स्वीकृत किया गया था । अगस्त, १९५८ से आगे भत्ता देने के प्रश्न पर इस समय विचार किया जा रहा है ।

दिल्ली में कुष्ठ रोगी

†*११३३. { **श्री बै० च० मलिक :**
श्री प्रमथ नाथ बनर्जी :

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विदित है कि नई दिल्ली में और विशेषकर कनाट सर्कस में अनेक कुष्ठ रोगी भीख मांगा करते हैं; और

(ख) यदि हां, तो क्या उन्हें इस प्रकार रोक कर उन्हें कुष्ठ गृहों में भेजने के लिये कोई कार्यवाही की जा रही है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) जी, हां ।

(ख) उनको रोज पकड़ा जाता है और शाहदरा के कुष्ठ-गृह में भेज दिया जाता है । किन्तु इस समय इस कुष्ठ गृह में बिल्कुल गुंजाइश नहीं है । अतः ऐसे कुष्ठ रोगियों को दिल्ली से २०-३० मील दूर ले जाकर छोड़ दिया जाता है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

दिल्ली में जल संभरण

†*११३४. { श्री बा० चं० कामले :
श्री वाजपेयी :
श्री श्रीनारायण दास :
श्री पाणिग्रही :
श्री नवल प्रभाकर : }

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में नजफगढ़ नाला वजीराबाद पम्पिंग स्टेशन में मिल गया जिससे दिल्ली में पीने का पानी दूषित हो गया;

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई;

(ग) "कच्चे" मार्ग की खुदाई में और स्वतन्त्रता प्राप्ति से अब तक जिन ठेकेदारों को यह काम सौंपा गया उनके लिये औसतन प्रति वर्ष इस पर कितना व्यय हुआ; और

(घ) "पक्का" मार्ग बनाने में क्या विशेष कठिनाइयां हैं ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) और (ख). दिल्ली नगर निगम के आयुक्त द्वारा भेजी गई रिपोर्ट जिसमें मांगी सूचना विस्तार में दी गई है, सभा-पटल पर रखी जाती है **[पुस्तकालय में रखी हैं देखिये अनुक्रमणिका संख्या २ तालिका ९०८/५८].**

(ग) १९५४ तक "कच्चा" मार्ग खुदवाने में औसतन प्रति वर्ष लगभग २०,००० रुपये व्यय होता था किन्तु १९५५ से यह राशि ४ से ५ लाख रुपये तक पहुंच गई है क्योंकि उसी वर्ष से नदी की प्रमुख धारा बायें तट से होकर जाती है जबकि पानी लेने वाले कुएं और पम्पिंग स्टेशन नदी के दाहिने तट पर हैं । यह सारा कार्य विभाग के मजदूरों द्वारा कराया जा रहा है ।

(घ) नदी के तल में मिट्टी भर जाने और मार्ग बदलने के कारण प्रविधिक रूप से पक्का मार्ग बनाना सम्भव नहीं है ।

कुष्ठ नियंत्रण

†* ११३५. **श्री राम कृष्ण** : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुष्ठ रोग के नियंत्रण के लिये सरकार कोई केन्द्रीय विधान बनाने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) जी हां ।

(ख) मांगी गई जानकारी बताने वाला एक विवरण लोक-सभा पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ५]**

---

†मूल अंग्रेजी में .

छोटी सिंचाई परियोजनायें

†*११३६. **सरदार इकबाल सिंह :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री ६ अप्रैल, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या १५५४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने छोटी सिंचाई परियोजनाओं की कार्यपद्धति के बारे में नियुक्त की गई विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों पर विचार किया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या परिणाम निकला ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन) :** (क) जी हां। सिफारिशें राज्य सरकारों को उनके पथ-प्रदर्शन और जिनको राज्य सरकारें स्वीकार कर सकती हैं ऐसी सिफारिशें कार्यान्वित करने के लिये भेज दी गई हैं।

(ख) राज्य सरकारों द्वारा इन सिफारिशों को यथासम्भव कार्यान्वित करने के लिये आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

रक्सौल हवाई अड्डा

†*११३७. **श्री विभूति मिश्र :** क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रक्सौल हवाई अड्डा बनवाने पर ३१ जुलाई, १९५८ तक कुल कितना व्यय हुआ; और

(ख) क्या निर्माण इस वर्ष समाप्त हो जायेगा ?

†**असैनिक उड्डयन उप मंत्री (श्री मुहीउद्दीन) :** (क) लगभग ४.७६ लाख रुपये।

(ख) जी, नहीं, कार्य के मार्च, १९५८ के अन्त तक समाप्त हो जाने की आशा है।

पालम में डाक तथा तार की सुविधायें

†*६३१. **श्री हरिश्चन्द्र माथुर :** क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पालम हवाई अड्डे पर डाक तथा तार की क्या-क्या सुविधायें उपलब्ध हैं;

(ख) क्या एयरलाइन्स ने इन सुविधाओं में सुधार करने के लिये अभ्यावेदन किया है;

(ग) मांग किस प्रकार की है; और

(घ) इन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया हुई ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (श्री स० का० पाटिल) :** (क) पालम हवाई अड्डे पर १०.०० से १७.०० घंटे तक कार्यकाल वाला डाक तथा तार घर विद्यमान है जहां से डाक वितरण नहीं होता है।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) और (ग). जी हां, असैनिक उड्डयन के महानिदेशक ने इस बात की इच्छा प्रकट की है कि वहां पर चौबीस घंटे काम करने वाला डाक तथा तार घर होना चाहिये ।

(घ) प्रमुख टर्मिनल इमारत में कार्यालय के लिये उपयुक्त स्थान अथवा वहां असमान्य घंटों में कार्य करने वाले कर्मचारियों के लिये रहने का स्थान अथवा यातायात सुविधायें ज्यों ही असैनिक उड्डयन विभाग द्वारा दिला दी जायेंगी, जिससे इस समय इस मामले में पत्र-व्यवहार किया जा रहा है, त्यों ही वहां वांछित सुविधाओं की व्यवस्था कर दी जायेगी ।

भाखड़ा-नांगल परियोजना से जल संभरण

†*६७४. **श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) शरद्कालीन खेती के लिये भाखड़ा से पानी का संभरण राजस्थान और पंजाब के बीच इस वर्ष किस प्रकार वितरित किया जायेगा; और

(ख) क्या संभरित पानी की पूरी मात्रा को काम में लेने की व्यवस्था की गई है ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) भाखड़ा जलाशय में एकत्रित जल राजस्थान और पंजाब के बीच आगामी शरद् ऋतु में १५.२२ और ८४.७८ के अनुपात में वितरित किया जायेगा ।

(ख) जी हां ।

भोपाल-उज्जैन-नागदा पैसेंजर गाड़ी नं० ८८ का पटरी से उतर जाना

† १७५६. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भोपाल-उज्जैन-नागदा पैसेन्जर गाड़ी संख्या ८८, १३ अगस्त, १९५८ को दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी और उज्जैन स्टेशन के निकट इंजन पटरी से उतर गया था; और

(ख) यदि हां, तो इस दुर्घटना के क्या कारण हैं ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें वें० रामस्वामी)** : (क) १ अगस्त १९५८ को लगभग ११ बजे कर ३५ मिनट पर ८८ अप पैसेन्जर गाड़ी एक्स भोपाल से नागदा उज्जैन स्टेशन की ओर बढ़ रही थी उस समय इंजन के टेंडर पहियों के तीन जोड़े पटरी से उतर गये ।

(ख) यह दुर्घटना किसी भीतरी खराबी के कारण दाहिनी ओर की मध्यवर्ती टेंडर बियरिंग स्प्रिंग के पिछले स्प्रिंग हैंगर के टूट जाने के कारण हुई थी ।

केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवायें

†१७५७. **श्री साधू राम** : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के प्रारम्भिक काल में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के डाक्टरों के रक्षित रिक्त स्थानों की कितनी संख्या है;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) प्रारम्भिक काल में ऐसे कितने डाक्टर स्थायी किये जायेंगे;

(ग) क्या उनकी संख्या रक्षित रिक्त स्थानों के समान है; और

(घ) यदि नहीं, तो इनकी संख्या पूरी के लिये सरकार क्या कदम उठाने का विचार रखती है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के प्रारम्भिक काल में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लिये कोई रिक्त स्थान रक्षित नहीं किये गये हैं क्योंकि इस सेवा में वे ही सब डाक्टर हैं जो पहले से भरतीशुदा थे ।

(ख) जानकारी एकत्र की जा रही है ।

(ग) और (घ). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

वर्षा से क्षतिग्रस्तपुल

†१७५८. **श्री ओंकार लाल** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जुलाई, १९५८ में भारी वर्षा के परिणामस्वरूप राष्ट्रीय राजपथों पर क्षतिग्रस्त हुए पुलों की प्रत्येक राज्य में कितनी संख्या है;

(ख) इनमें से कितने पुल हाल ही में बनाये गये थे; और

(ग) इनमें से प्रत्येक पुल की मरम्मत पर कितनी रकम खर्च हुई है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) से (ग). आसाम, राजस्थान, केरल, हिमाचल प्रदेश, मद्रास, उत्तर देश और दिल्ली में राष्ट्रीय राजपथों पर वर्षा से विनष्ट पुलों के बारे में अपेक्षित जानकारी बताने वाला विवरण लोक-सभा के पटल पर रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ६**] शेष राज्यों और प्रशासन के बारे में जानकारी एकत्र की जा रही है और यथासमय लोक-सभा के पटल पर रखी जायेगी ।

राजस्थान में पम्पिंग सेट

†१७५९. **श्री ओंकार लाल** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राजस्थान में पम्पिंग लगाने के लिये सहायता दी है;

(ख) यदि हां, तो इस विषय में राजस्थान सरकार को १९५७-५८ और १९५८-५९ में अभी तक कुल कितनी सहायता दी गई है; और

(ग) राजस्थान सरकार ने उपरोक्त रकम का कितने अंश तक उपयोग किया है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) जी हां ।

(ख) राजस्थान सरकार को १९५७-५८ में २,३४,००० रुपये दिये गये थे और १९५८-५९ में ३,००,००० रुपये आवंटित किये गये हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) जहां तक १९५७-५८ का सम्बन्ध है पूरी जानकारी उपलब्ध नहीं है । अप्रैल से दिसम्बर, १९५७ तक प्राप्त जानकारी के अनुसार, राजस्थान सरकार ने ४३,१०० रुपये प्रयुक्त किये थे ।

१९५८-५९ में प्रयुक्त रकम के बारे में वित्तीय वर्ष की समाति तक जानकारी उपलब्ध होने की सम्भवना नहीं है ।

राजस्थान सर्किल में डाक तथा तार कर्मचारियों के लिये क्वार्टर

†१७६०. **श्री ओंकार लाल** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान सर्कल में डाक तथा तार कर्मचारियों के लिये १९५७-५८ और १९५८-५९ में अभी तक कितने क्वार्टर बनाये गये हैं; और

(ख) द्वितीय पंच वर्षीय योजना अवधि में इस सर्कल में कितने क्वार्टर बनाये जायेंगे ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (श्री स० का० पाटिल)** : (क)

१९५७-५८	एक भी नहीं
१९५८-५९ में अभी तक . . .	एक भी नहीं

(ख) ३३४ ।

हिन्दी में तार भेजने की सुविधाएं

†१७६१. **श्री ओंकार लाल** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान के उन जिलों के नाम और संख्या क्या क्या हैं जहां हिन्दी में तार भेजने की सुविधायें हैं ; और

(ख) इस सुविधा का उपबन्ध शेष जिलों में कब तक किया जायेगा ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (श्री स० का० पाटिल)** : (क) हिन्दी तार भेजने की सुविधायें राजस्थान राज्य के सम्पूर्ण २६ जिलों में कर दी गई है । इन के अतिरिक्त सम्पूर्ण राजस्थान के डाक तथा तार सर्कल जिस में मध्य प्रदेश का भी कुछ भाग सम्मिलित है हिन्दी में तार भेजने की सुविधा विद्यमान है । (१) अजमेर (२) अलवर (३) बांसवाड़ा (४) बाड़मेर (५) भरतपुर (६) भीलवाड़ा (७) बीकानेर (८) बूंदी (९) चित्तौड़ गढ़ (१०) चुरू (११) दुर्गापुर (१२) जयपुर (१३) जालौर (१४) जैसलमेर (१५) झालावाड़ (१६) झुंझनू (१७) जोधपुर (१८) कोटा (१९) नागौर (२०) पाली (२१) सवाई माधोपुर (२२) सीकर (२३) सिरोही (२४) श्रीगंगानगर (२५) टोंक (२६) उदयपुर ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

रेल गाड़ियों में खतरे की जंजीर का खींचा जाना

†१७६२. **श्री ओंकार लाल** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५८ में अभी तक पश्चिम रेलवे में खतरे की जंजीर खींचने की प्रति माह कितने घटनायें हुई हैं ;

†मूल अंग्रेजी में

(ख) कितनी बार यह घटनायें औचित्यहीन सिद्ध हुईं ; और

(ग) उपरोक्त अवधि में कितने मामलों में अपराधियों पर मुकद्दमे चला कर उन्हें दंडित किया गया ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां)** : (क) से (ग) . लोक-सभा के पटल पर एक विवरण रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ७**]

राजस्थान में राष्ट्रीय राज पथ पर स्थित डाक बंगले

†१७६३. **श्री ओंकार लाल** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजपथ पर कितने डाक बंगले स्थित हैं ; और

(ख) द्वितीय पंचवर्षीय योजना में उन के निर्वहन के लिये कितनी रकम का उपबन्ध है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) अपेक्षित जानकारी एकत्रित की जा रही है और यथा समय लोक-सभा के पटल पर रख दी जायेगी ।

(ख) सामान्य मरम्मत और राष्ट्रीय राजपथों के निर्वहन के लिये राज्य सरकारों को दिये गये निर्वहन व्यय में से ही यह रकम दी जाती है । द्वितीय पंचवर्षीय योजना में केवल नवीन इमारतों के निर्माण कार्य का ही वर्णन है और डाक बंगलों के लिये योजना में विशिष्ट उपबन्ध नहीं है ।

राजस्थान की गवेषणा योजनाएं

†१७६४. **श्री ओंकार लाल** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री राजस्थान सरकार से १९५७-५८ और १९५८-५९ में अभी तक प्राप्त और कृषि गवेषणा की भारतीय परिषद् से अनुमोदित गवेषणा योजनाओं की संख्या और स्वरूप बताने की कृपा करेंगे ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : अपेक्षित जानकारी देने वाला एक विवरण लोक-सभा के पटल पर रखा जाता है : [**देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ८**]

सड़क विकास योजनाओं के लिये अनुदान

†१७६५. **श्री राम कृष्ण** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार द्वारा सड़क विकास योजनाओं के लिये विभिन्न राज्यों को १९५७-५८ में स्वीकृत अनुदानों का पूर्णरूपेण उपयोग नहीं किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक राज्य में अनुदानों की कुल कितनी रकम का उपयोग नहीं किया जा सका ।

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजबहादुर)** : (क) जी हां । २८९.५३ लाख रुपये में से ४.८९ लाख रुपये का उपयोग नहीं किया गया था ।

(ख) लोक-सभा के पटल पर एक विवरण रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ९**].

---

†मूल अंग्रेजी में

उत्तर रेलवे के स्टेशन

† १७६६. { सरदार कबाल सिंह :
श्री राम कृष्ण :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर रेलवे में १९५७-५८ में रेलवे स्टेशनों की कितनी संख्या थी ; और

(ख) उस वर्ष कुल कितने नये स्टेशन बनाये गये थे ?

†रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) उत्तर रेलवे में यातायात के लिये चालू रेलवे स्टेशनों की कुल संख्या ३१ मार्च, १९५८ को १,२१६ थी ।

(ख) पन्द्रह ।

अतिरिक्त रेलगाड़ियां

†१७६७. श्री राम कृष्ण : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि रेलवे की विभिन्न जोन में (प्रत्येक जोन में अलग-अलग) १९५८ और १९५९ में कितनी अतिरिक्त रेलगाडियां चलाने का प्रस्ताव है ?

†रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : यात्री डिब्बों की उपलब्धि, इंजन तथा अधिक लाइनें बिछाने की क्षमता और माल के आने-जाने की ओर यथोचित ध्यान देने के साथ-साथ रेलवे इस बात का प्रयत्न कर रही है कि विभिन्न सैक्शनों में यात्रियों की भीड़ कम करने के प्रयोजन से अधिक से अधिक गाड़ियां चलाई जायें । इस आशय का संकेत देना अव्यवहार्य है कि १९५८ की शेष अवधि और १९५९ में कितनी अतिरिक्त गाड़ियां चलाने की सम्भावना है ।

भिवानी रेलवे स्टेशन में सुविधायें

†१७६८. श्री राम कृष्ण : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर रेलवे की रेवाड़ी-भटिंडा लाइन पर भिवानी रेलवे स्टेशन में १९५६-५७ और १९५७-५८ में उपबन्धित सुविधाओं का स्वरूप और ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या चालू वर्ष और द्वितीय पंचवर्षीय योजना की शेष अवधि में उपरोक्त स्टेशन पर सुविधाओं के उपबन्ध के कार्यक्रम को अन्तिम रूप दे दिया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो १९५८-५९ और द्वितीय पंचवर्षीय योजना की शेष अवधि में उपबंधित की जाने वाली सुविधाओं का क्या स्वरूप है ?

†रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) १९५६-५७ में प्लेटफार्म पर १० बैंचों की व्यवस्था की गई थी और एक टेलीफोन लगाया गया था । १९५७-५८ में इस स्टेशन पर किसी सुविधा का उपबन्ध नहीं किया गया ।

(ख) जी हां ।

(ग) द्वितीय पंचवर्षीय योजना की शेष अवधि में जिन सुविधाओं के उपबन्ध का कार्यक्रम १९५८-५९ में बनाया गया है वे इस प्रकार हैं :—

(१) स्टेशन की इमारत में परिवर्द्धन एवं परिवर्तन जिस में अपर श्रेणी के यात्रियों के लिये एक पृथक् बुकिंग विन्डो और एक पूछताछ कार्यालय है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(२) प्रतीक्षाभवन का विस्तार;

(३) प्लेटफार्म पर छाया की ३०० फीट लम्बी व्यवस्था ;

(४) जल-कुटी ;

(५) फ्लश वाले पाखाने ; और

(६) बुकिंग ग्राफिस में बिजली लगाना ।

शाक-भाजी

†१७६९. श्री विभूति मिश्र : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किन्हीं रोगनिरोधक शाक-भाजियों की किस्मों का विकास किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो ग्राम जनता के उपभोग के लिये यह शाक-भाजियां कितनी सीमा में उपलब्ध हो सकती हैं ?

†खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन) : (क) भारतीय कृषि अनुसंधान गवेषणा इंस्टीट्यूट, नई दिल्ली और पंजाब, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, बम्बई, पश्चिम बंगाल और जम्मू तथा काश्मीर में अधिक उपज तथा रोग निरोधी शाक-भाजियों की किस्में विकसित करने का कार्य प्रगति पर है किन्तु अभी तक रोग निरोधी किस्मों का विकास नहीं हो सका है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

स्थानापन्न स्कन्ध सत्यापकों का निचले पदों पर वापस भेजा जाना[१]

†१७७०. श्री त० ब० विट्ठल राव : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मध्य रेलवे ने हाल ही में कुछ अनर्ह स्थानापन्न स्कन्ध सत्यापकों को द्वितीय श्रेणी के क्लर्क बना दिया है ;

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार कितने व्यक्तियों के पदों में कमी की गई है ; और

(ग) उन्होंने कितने वर्ष तक स्थानापन्न स्कन्ध सत्यापकों के पद पर काम किया है ?

रेलवे उपमंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) जी हां । अर्ह स्कन्ध सत्यापकों की कमी के परिणामस्वरूप ग्रेड २ के कुछ अनर्ह क्लर्कों की अस्थायी पदोन्नति इस शर्त पर की गई थी कि अर्ह स्कन्ध सत्यापक उपलब्ध होने पर उन के स्थान पर रख लिये जायेंगे । चूंकि अब ये उपलब्ध हो गये हैं, अतः अनर्ह कर्मचारी अपने पुराने पदों पर वापस लौटा दिये गये हैं ।

(ख) २१.

(ग) एक वर्ष ३ महीने से ले कर चार वर्ष और ४ महीने तक ।

अर्कोणम् बम्बई-पार्सल एक्सप्रेस

† १७७१. श्री त० ब० विट्ठल राव : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे ने अर्कोणम् से बम्बई तक चलने वाली "पार्सल एक्सप्रेस" बन्द कर दी है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

१. Reversion of officiating Accounts Stock Verifiers.

(ख) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या आम भेजने वाले व्यापारियों के एक एसोसियेशन ने इस कार्यवाही के विरुद्ध सरकार के समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत किया है ?

†रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां): (क) और (ख). इस प्रश्न का निर्देश संभवतः अर्कोणम् से रायचूर तक १९५७ में चलने वाली दैनिक कोचिंग स्पेशल (पार्सल व माल की मिली जुली) गाड़ी से है जब अर्कोणम् से रायचूर तक चलने वाली एक निर्धारित मालगाड़ी को कोचिंग स्पेशल बना दिया गया था और कोचिंग दरों पर बुक कराये गये आमों के अतिरिक्त, जगह की गुजाइश होने पर माल की दर पर बुक कराई गई अन्य वस्तुयें भी इन गाड़ियों में जाती थीं।

इतना होने पर भी कोचिंग स्पेशल सर्विस संतोषजनक नहीं थी क्योंकि माल भेजने का समय अर्कोणम् और रायचूर के बीच अनुचित रूप से दुर्वह था और आमों से लदे हुए वान की पुनः पैकिंग करने तथा रायचूर से आगे बिना विलम्ब सामान भेजने में कठिनाई अनुभव होती है। इस वर्ष कोचिंग स्पेशल आरम्भ नहीं की गई किन्तु आमों की लदाई के लिये विभिन्न स्टेशनों का कोटा निश्चित कर संतोषजनक वैकल्पिक व्यवस्था कर दी गई है।

(ग) आम बुकिंग करने के लिये सम्पूर्ण कोटा समाप्त करने के लिये अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे। अतः २७ जून, १९५८ से अन्य व्यवस्था कर दी गई है। इस पद्धति के अन्तर्गत सब स्टेशनों को निर्धारित दिनों में अप्रतिबंधित रूप में आमों के बुकिंग की अनुमति दे दी गई। १९५८ में वैगनों और 'स्माल्स' में आम की फसल पर १९५७ की अपेक्षा काफी मात्रा में आम उठाये गये। यह नीचे के आंकड़ों से स्पष्ट है :—

	वैगन		टोकरियों के रूप में 'स्माल्स'	
	१९५७	१९५८	१९५७	१९५८
कोचिंग . . .	४०	८९६	३९०,८३४	४११,२८५
गुड्स . . .	४४७	८२२	कुछ नहीं	१४०

बेलोनिया (त्रिपुरा) में खास भूमि

†१७७२. श्री बांगशी ठाकुर : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि त्रिपुरा में तहसील बेलोनिया, भौहरीपुर के अन्तर्गत लगभग २० वर्ष से ३०० एकड़ खास भूमि गैरकानूनी अधिकार में है ;

(ख) क्या आदिम जातियों, अल्प संख्यक और शरणार्थियों को मिला कर भूमिहीन श्रमिकों में इस खास भूमि के वितरण का कोई प्रस्ताव त्रिपुरा प्रशासन के समक्ष प्रस्तुत किया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार इस विषय में कब और क्या कदम उठाने का विचार रखती है ?

†खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन) : (क) जी नहीं। उपरोक्त तहसील में सरकारी खास भूमि के लगभग २९० एकड़ का अधिकांश भाग १९३९ से गैरकानूनी अधिकार में है।

†मूल अंग्रेजी में

(ख) जी नहीं ।

(ग) उत्पन्न नहीं होता ।

दिल्ली के दरियागंज में गन्दे पानी का नाला

†१७७३. **श्री राधा रमण** : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गन्दे पानी का एक बड़ा और खुला हुआ नाला दिल्ली गेट और बेला रोड के पास से निकलता है और उस की दुर्गन्ध से दरियागंज के निवासियों और आम जनता को पर्याप्त असुविधा हो रही है ; और

(ख) यदि हां, तो इस विषय में क्या कार्यवाही की गई है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) और (ख). १९५८ की २४ जून के प्रातःकाल तक इस नाले में गन्दगी की पर्याप्त मात्रा और पुरानी दिल्ली से नई दिल्ली की ओर जाने वाला मल-प्रवाह रहता था । नालियों को साफ करने वाली यंत्रचालित मशीनों से इस की व्यवस्था-बद्ध और पूरी सफाई करने के कारण इस नाले में गन्दी नालियों का प्रवाह उपरोक्त तारीख से रोक दिया गया है और दुर्गन्ध में पर्याप्त कमी हो गई है ।

कटहल[1]

†१७७४. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री १९५६-५७, १९५७-५८ और १९५८-५९ में अभी तक प्रत्येक राज्य में कटहल का कुल उत्पादन बताने की कृपा करेंगे ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : प्रत्येक राज्य में कटहल के उत्पादन के वर्षवार आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं । प्रत्येक राज्य में अनुमानित वार्षिक उत्पादन बताने वाला विवरण लोक-सभा के पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या १०]**

सवारी गाड़ी की क्रेन से टक्कर

† १७७५. **पण्डित द्वा० ना० तिवारी** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन परिस्थितियों के अधीन २३ मई, १९५८ को पैसेंजर ट्रेन की बैक-वान अन्डुल स्टेशन (पूर्वी रेलवे) पर प्रयुक्त क्रेन से टकरा गई और अनेक व्यक्ति गम्भीर रूप में घायल हो गये ;

†**रेलवे उप मंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)**: (क) २३ मई, १९५८ की रात्रि के दो बजे जब ३५७ए पैसेंजर ट्रेन का एक खाली रेक संतरागाची स्टेशन से दौरिया स्टेशन की ओर जा रहा था तो अन्डुल स्टेशन पर लाइन लांघते हुए ७५ टन वाले स्टीम क्रेन के केन से यह टकरा गया ।

क्रेन के ड्राइवर की मृत्यु हो गयी और ३५७ए ट्रेन के खाली रेक में बैठे हुए २८ यात्रियों को चोटें आईं जिन में ४ की स्थिति गम्भीर थी ।

(ख) और (ग). यह मामला अभी न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है ।

---

†अंग्रेजी में

[1]Jack Fruit.

अखिल भारतीय विज्ञान चिकित्सा संस्था

†१७७६. **पंडित द्वा० ना० तिवारी** : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई दिल्ली में अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्था का कुल स्थापना परिव्यय (निर्माण और यंत्र पर होने वाले परिव्यय को मिला कर) आवर्ती और अनावर्ती कितना है ;

(ख) यह कालेज पूरे पैमाने पर कार्य कब प्रारम्भ करेगा ; और

ग) यहां प्रत्येक वर्ष, कुल कितने विद्यार्थियों को प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्त तक ५७९.०४ लाख रुपये अर्थात् ११०.६१ लाख रुपये आवर्ती और ४६८.४३ लाख रुपये अनावर्ती व्यय ।

(ख) और (ग). अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट प्रशिक्षण तथा गवेषणा कार्य प्रारम्भ हो चुका है । अंडरग्रेजुएट कोर्स सितम्बर, १९५६ में आरम्भ हुआ था और हर वर्ष ५० विद्यार्थियों को प्रवेश मिलता है । अंडर ग्रेजुएट विद्यार्थियों की पूरी संख्या २५० १९६१ तक हो जायेगी । इस समय इंस्टीट्यूट में २१ पोस्टग्रेजुएट विद्यार्थी काम कर रहे हैं । पोस्ट ग्रेजुएट विद्यार्थियों का १२० का पूरा कोटा १९६३ में पहुंच जायेगा ।

पिछड़े क्षेत्रों में डाक तथा तार कार्यालय

†१७७७. **श्री दलजीत सिंह** : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) द्वितीय पंचवर्षीय योजना अवधि में पिछड़े क्षेत्रों में कितने डाक तथा तार घर खोलने का प्रस्ताव है ;

(ख) इस क्षेत्र में अभी तक कितने डाक तथा तार घर खोले गये हैं ;

(ग) १९५८ में अभी तक पंजाब में ऐसे कितने कार्यालय खोले गये हैं ;

(घ) क्या पंजाब के पिछड़े क्षेत्र में एक गांव दुलेहर की ओर से वहां उपरोक्त सुविधाओं के उपबन्ध के लिये एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ; और

(ङ) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (श्री स० का० पाटिल)** : (क) देश में तार सम्बन्धी सुविधाओं के विस्तार की दृष्टि से किसी क्षेत्र को विशेष रूप से पिछड़ा क्षेत्र घोषित नहीं किया गया है । द्वितीय पंचवर्षीय योजना में १४०० तार घर खोलने का प्रस्ताव है ।

(ख) ७४० ।

(ग) ११ ।

(घ) जी हां ।

(ङ) प्रस्ताव औचित्यसंगत नहीं है अतः वह स्वीकार नहीं किया जा सकता है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

दावे

† १७७८. पंडित द्वा० ना० तिवारी : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५६-५७ और १९५७-५८ में प्रत्येक ज़ोन में रेलवे से किये गये कितने दावे मामले दायर करने से पहले ही निपटा दिये गये थे और कितने मामले दायर करने के बाद निपटाये गये थे ?

†रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें रामस्वामी) : सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है जिस में अपेक्षित जानकारी निहित है । [देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ११]

कटरागंज रेलवे स्टेशन का टिकट कलैक्टर

†१७७९. श्री त्रिदिब कुमार चौधरी : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिमी बंगाल के पश्चिमी दिनाजपुर जिले की उत्तर पूर्व रेलवे के कटरागंज रेलवे स्टेशन के निकट कलैक्टर, श्री के० एल० भट्टाचार्य, की १९ जून, १९५८ को हत्या कर दी गई थी जबकि वह ड्यूटी पर थे ;

(ख) उन की हत्या किन परिस्थितियों में हुई थी ; और

(ग) रेलवे प्रशासन ने अपराधियों को दण्ड देने के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ?

†रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) से (ग). यह सच है कि श्री के० एल० भट्टाचार्य, कालियागंज रेलवे स्टेशन के रिफ्रेशमेंट रूम के सामने पटरी के पास प्लेटफार्म पर मरे हुए पाये गये थे । पुलिस मामले की जांच कर रही है । परिणाम अभी तक ज्ञात नहीं हुआ है ।

पंजाब से गेहूं का निर्यात

†१७८०. सरदार इकबाल सिंह : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५८ के मई, जून और जुलाई मासों में पंजाब से कुल कितने गेहूं का निर्यात किया गया था ; और

(ख) किन किन राज्यों को भेजा गया है और प्रत्येक राज्य को कितना कितना भेजा गया है ?

†खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन) : (क) लगभग ४८ हज़ार टन ।

(ख) दिल्ली को . .	लगभग ४७ हज़ार टन
हिमाचल प्रदेश को .	लगभग २०० टन
जम्मू और काश्मीर को .	लगभग ८०० टन

विमान चालकों की केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्था

†१७८१. सरदार इकबाल सिंह : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार इंडियन एयर लाइन्स कार्पोरेशन के विमान चालकों के प्रशिक्षण के लिये एक केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्था स्थापित करने का कोई विचार रखती है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यह संस्था किस स्थान पर स्थापित की जायेगी ; और

(ग) वहां पर दिये जाने वाले प्रशिक्षण और इस संस्था के कार्यों के ब्यौरे क्या हैं ?

† **असैनिक उड्डयन उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन)**:(क) इंडियन एयर लाइन्स कारपोरेशन अपने विमान चालकों के लिये एक केन्द्रीय प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करने का विचार रखती है ।

(ख) बेगमपेट (हैदराबाद) ।

(ग) प्रस्थापना यह है कि उस केन्द्रीय प्रशिक्षण केन्द्र में प्रारम्भ में निम्नलिखित कोटियों के विमान चालकों को प्रशिक्षण दिया जायेगा :—

१. नये भरती किये गये पाइलट ;

२. डी० सी०-३ किस्म के जहाज़ में पाइलट-इन-कमाण्ड के रूप में काम करने वाले पाइलट ;

३. सभी पाइलटों के लिये डी० सी०-३ किस्म के जहाजों पर प्रत्यास्मरण **पाठ्यक्रम** । इस में ग्राउण्ड हिदायतें और छलपूर्ण उड़ान करने का प्रशिक्षण भी सम्मिलित है ।

वास्तव में हमारी इच्छा यही है कि इन पाइलटों को वाइकाउण्ट जहाज़ों को चलाने और उन्हें कमाण्ड करने में प्रशिक्षित किया जा सके ।

तीसरे दर्जे के डिब्बों में सोने के डिब्बे

† **१७८२. सरदार इक़बाल सिंह** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तीसरे दर्जे के डिब्बों में सोने के डिब्बे लगाये जाने लगे हैं ;

(ख) यदि हां, तो किस किस गाड़ी में ये लगाये गये हैं ; और

(ग) ये डिब्बे कहां तक लोकप्रिय सिद्ध हुए हैं ?

† **रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां)** : (क) जी, हां । कुछ एक गाड़ियों में प्रयोगात्मक रूप में लगाये गये हैं ।

(ख) सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या १२]**

(ग) गाड़ियों में यात्रा करने वाले लोग इस का अच्छा उपयोग करते हैं । बहुत सी गाड़ियों में लगभग ७० से १०० प्रतिशत तक बर्थों का प्रयोग किया जाता है ।

रेलवे बोर्ड की मितव्ययता समिति

† **१७८३. सरदार इकबाल सिंह** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि रेलवे बोर्ड की मितव्ययता समिति द्वारा अभी तक क्या क्या काम किया गया है ?

† **रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां)** : रेलवे बोर्ड की मितव्ययता समिति ने स्थापित होते ही रेलवे बोर्ड के पास मंजूरी के लिये आने वाले रेलवे के प्रतिदिन के कार्यों से सम्बन्ध रखने वाले मामलों और द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित सभी योजनाओं और परियोजनाओं

---

†मूल अंग्रेज़ी में

से सम्बन्ध रखने वाले मामलों पर निरन्तर विचार करना प्रारम्भ कर दिया है । उन में निम्नलिखित प्रयोजनों को सदा दृष्टि में रखा गया है :—

(१) प्रस्थापनाओं में कांट छांट करना ताकि फालतू इमारतों, ढांचों और अन्य निर्माण कार्यों को छोड़ा जा सके और व्यय को परिवहन सम्बन्धी बढ़ती हुई मांग के लिये आवश्यक कार्यों तक सीमित रखना ।

(२) न केवल अतिरिक्त पदों की रचना न कर के बल्कि ऐसे काम को खत्म कर के जिसे पंचवर्षीय योजना को नुकसान पहुंचाये बिना खत्म किया जा सकता है और शक्ति का अधिक प्रत्यायोजन आदि कर के जन-शक्ति का संरक्षण करना ।

(३) अधिक उत्पादन करने वाले उपायों से वर्तमान जनशक्ति और उपकरणों का अधिक से अधिक उपयोग करना ।

टिड्डी नियंत्रण

† १७८४. **सरदार इकबाल सिंह : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि टिड्डियों के आक्रमण की रोकथाम करने के लिये केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों द्वारा अभी तक क्या क्या कार्यवाही की गई है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : इस सम्बन्ध में निम्नलिखित कार्यवाहियां की गई हैं :—

(१) टिड्डी-सर्वेक्षण और टिड्डी-नियंत्रण के लिये भारत सरकार के डायरेक्टरेट आफ प्लांट प्रोटेक्शन, क्वेरेन्टाइन एण्ड स्टोरेज के प्रविधिक कर्मचारियों की देख भाल में रेगिस्तानी क्षेत्रों में चालीस टिड्डी आउट पोस्ट स्टेशन स्थापित किये गये हैं, हैं, जिन में नवीनतम उपकरण और विषैली औषधियां होती हैं ।

(२) टिड्डियों के बारे में पहले ही जानकारी प्राप्त करने और नियंत्रण कार्यों से निकट सम्पर्क रखने के लिये विभिन्न आवश्यक स्थानों पर वायरलैस सैट लगा दिये गये हैं ।

(३) क्षेत्र-कार्यों के लिये प्रत्येक आउट पोस्ट पर आवश्यक मोटर गाड़ियां रखी गयी हैं ।

(४) हवाई-कार्यों के लिये एक हवाई यूनिट बनाया गया है जिसमें तीन जहाज रखे गये हैं ।

(५) जिन राज्यों में टिड्डियों के आक्रमण होते रहते हैं उनकी राज्य सरकारों से यह प्रार्थना की गयी है कि वे अपने निरोधक टिड्डी रोधी संघटनों को सुधार लें ।

(६) केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के कर्मचारियों के हित के लिये टिड्डी-नियंत्रण के सरल उपायों के बारे में प्रशिक्षण पाठ्यक्रम चलाये गये हैं ।

†मूल अंग्रेजी में

(७) भारत सरकार प्रतिरक्षा सम्बन्धी अतिरिक्त कार्यवाही के रूप में संयुक्त राष्ट्र संघ के खाद्य तथा कृषि संघटन द्वारा चलाये जा रहे अन्तर्राष्ट्रीय निरोधक टिड्डी रोधी आन्दोलन में चार वर्षों से निरन्तर भाग ले रही है और १९५८ में चौथी बार भाग लिया है । इसमें सरकार ने अरेबियन पेनिनसुला को एक टिड्डी रोधी मिशन भेजा था क्योंकि अरेबियन पेनिनसुला से ही भारत और पाकिस्तान की ओर टिड्डियों का आक्रमण होता है ।

खाद्यान्नों का राष्ट्रीय संचित भांडार[1]

†१७८५. **सरदार इकबाल सिंह :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खाद्यान्नों के राष्ट्रीय संचित भांडार के लिये खाद्यान्न गोदाम बनाने के सम्बन्ध में अभी तक कितनी प्रगति हुई है ; और

(ख) ये गोदाम किन किन स्थानों पर बनवाये जायेंगे ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन) :** (क) और (ख). अभी तक ३.१२ लाख टन खाद्यान्न रखने के लिये गोदाम तैयार किये गये हैं अथवा खरीदे गये हैं और १.६३ लाख टन खाद्यान्न रखने वाले गोदाम तैयार किये जा रहे हैं । २.१२ लाख टन खाद्यान्न रखने के लिये एक और गोदाम भी शीघ्र ही तैयार किया जायेगा । सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है जिसमें उनकी स्थापना के स्थान बताये गये हैं । [देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या १३]

खाद्यान्नों का अधिग्रहण

† १७८६. **सरदार इकबाल सिंह :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अत्यावश्यक पण्य (संशोधन) अधिनियम, १९५७ के पारित होने के बाद अभी तक कितने खाद्यान्न का अधिग्रहण किया गया है ;

(ख) पंजाब राज्य से कितने खाद्यान्न का अधिग्रहण किया गया था ;

(ग) प्रत्येक प्रकार की वस्तु के लिये क्या क्या कीमत दी गयी थी ; और

(घ) ये भाव किस आधार पर निर्धारित किये गये थे ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन) :** (क) ३१-८-५८ तक भारत सरकार द्वारा अथवा भारत सरकार की ओर से जिन खाद्यान्नों का अधिग्रहण किया गया था, उनके परिमाण निम्न लिखित हैं :

चावल . . .	लगभग १,९०,७०० टन
चना . . .	लगभग २२,६०० टन

†मूल अंग्रेजी में

[1]National Reserve of Foodgrains.

(ख) लगभग २२,००० टन चावल ।

(ग) सभा-पटल पर एक विवरण रखा गया है जिसमें अपेक्षित जानकारी निहित है । [देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या १४]

(घ) आन्ध्र प्रदेश तथा पंजाब से प्राप्त किये गये चावल और राजस्थान से प्राप्त किये गये चने की कीमतें निम्नलिखित आधारों पर निर्धारित की गयी थी :—

चावल

आन्ध्र प्रदेश

क्योंकि मूल्यों के सम्बन्ध में कोई करार नहीं किया गया था और न ही कोई नियंत्रित भाव था, इसलिये अधिनियमित की धारा ३ की उपधारा (३ क) के उपबन्धों के अनुसार पूर्ववर्ती तीन महीनों के बाजार भावों की औसत दर पर ही भाव निर्धारित कर लिया गया था । और चावल के भावों पर नियंत्रण लगजाने के बाद प्राप्त किये गये चावल पर नियंत्रित मूल्य ही अदा किया गया है ।

पंजाब

पंजाब से अधिगृहीत चावल की कीमत चालू नियंत्रित भाव के आधार पर ही निर्धारित की गई थी ।

चना

राजस्थान

१९५७ में राजस्थान में जिस चने का अधिग्रहण किया गया था, उसके लिये अधिनियम की धारा ३ की उपधारा (३क) के उपबन्धों के अनुसार पूर्ववर्ती तीन महीनों के औसत बाजार भावों के आधार पर ही मूल्य निर्धारित किये थे । १९५८ में चालू नियंत्रित भावों के आधार पर ही मूल्य निर्धारित किये गये हैं ।

पंजाब में चावल की खरीद

†१७८७. { सरदार इकबाल सिंह :
श्री दलजीत सिंह :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५७ तथा १९५८ में अभी तक सरकार ने पंजाब से कितना चावल खरीदा है ; और

(ख) किस भाव से खरीदा है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन) :** (क)

१९५७ में	लगभग ४१,३०० टन
१९५८ में . . . . (२१-८-५८ तक)	लगभग ६३,८०० टन

†मूल अंग्रेजी में

(ख) चावल निम्न लिखित दरों पर खरीदा गया था :—

किस्म	बन्द बोरों में प्रति मन की कीमत
	रु० नये पैसे
बेगमी	१८·००
दारा तथा सेला जोशी	१६·५०
बासमती कच्चा	२५·००
बासमती उबला हुआ (सेला)	२२·७५
हंसराज मुश्की, परमल, रामजवायन तथा चहोरा :	
(क) कच्चा	२२·२५
(ख) उबला हुआ	२०·५०
सफेद टोटा	१२·२५
मोंगरा	१६·२५
कनी	८·५०

टिप्पण : (१) ऊपर बतायी गयी कीमतें औसत किस्म के चावलों के लिये हैं जो प्रत्येक किस्म के लिये निश्चित विशेषताओं के अनुसार हो। इसमें किस्म के अनुसार कटौती भी हो सकती है।

(२) ये कीमतें नई बोरियों में बन्द खाद्यान्न के लिये हैं। खुले अन्न के लिये कीमत उक्त कीमतों से ५० नये पैसे प्रति मन कम है।

सोहना में खनिज जल

†१७८८. **सरदार इकबाल सिंह :** क्या स्वास्थ्य मंत्री ९ अप्रैल, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या १५५९ के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूसी विशेषज्ञों के प्रतिवेदन के परिणाम स्वरूप सोहना खनिज जल के उपयोग के लिये पंजाब में कोई स्थान ढूंढ लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस योजना के सम्बन्ध में कितनी प्रगति हुई है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) :** (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

माल डिब्बों का निर्माण

† १७८९. **सरदार इकबाल सिंह :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने १९५७-५८ में माल डिब्बों के निर्माण के लिये किन्हीं भारतीय फर्मों को आर्डर दिये थे ;

†मूल अंग्रेजी में

(ख) उन फर्मों के क्या क्या नाम हैं और उन्हें कितना कितना आर्डर दिया गया है ; और

(ग) ये डिब्बे कब तक प्राप्त हो जायेंगे ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) जी हां ।

(ख) लोक सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है जिसमें १६५७-५८ के आर्डर निहित हैं । **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या १५]**

(ग) . . .

पुरानी फर्में :— . . .

(१) जुलाई, १६५८ तक १३,७८८ डिब्बे प्राप्त हो चुके हैं ।

(२) आशा है कि शेष दिसम्बर, १६५८ तक प्राप्त हो जायेंगे ।

नयी फर्में . . . .

जिन फर्मों को सम्बद्ध विवरण के अनुसार प्रयोगात्मक रूप से आर्डर दिये गये थे :—

क्योंकि ये फर्में अभी विकसित हो रही हैं,यह निश्चित रूपसे नहीं कहा जा सकता कि उनकी प्राप्ति अवश्य होगी ।

[पं]जाब में छोटी सिंचाई योजनायें

†१७६०. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १६५८-५६ में पंजाब में सिंचाई की छोटी योजनाओं के लिये कितनी राशि निर्धारित की गयी है ; और

(ख) कौन कौन सी परियोजनायें तैयार की जायेंगी ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) और (ख). लोक सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है जिसमें अपेक्षित जानकारी दी गयी है । **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या १६]**

विमान दुर्घटना

†१७६१. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या २५ मई, १६५८ को गुड़गांव के निकट चार्टर उड़ान पर उड़ते हुये एक ब्रिटिश माल वाहक जहाज की दुर्घटना हो गई थी ;

(ख) यदि हां, तो उस दुर्घटना के क्या क्या कारण थे ; और

(ग) उसमें कितने व्यक्ति हताहत हुये थे ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†असैनिक उड्डयन उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन): (क) जी, हां।

(ख) दुर्घटना की जांच सम्बन्धी अन्तिम प्रतिवेदन अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) चार मारे गये थे और एक व्यक्ति आहत हुआ था।

मनमाड, निफाड और उगांव स्टेशनों का नवनिर्माण

†१७९२. **श्री जाधव**: क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मनमाड, निफाड और उगांव स्टेशनों के नवनिर्माण का कार्य कब प्रारम्भ किया जायेगा : और

(ख) क्या उगांव में एक माल 'साइडिंग' और सिगनल आदि का प्रबन्ध भी होगा ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां)** : (क) मनमाड यार्ड के नवनिर्माण की प्रस्थापना को १९६०-६१ के कार्यक्रम में सम्मिलित करने का विचार है।

निफाड स्टेशन का नवनिर्माण इस समय हो रहा है।

उगांव स्टेशन को 'डी' क्लास से 'सी' क्लास में बदल देने के संम्बन्ध में इस समय बातचीत चल रही है।

(ख) उगांव में फिलहाल माल 'साइडिंग' बनाने के सम्बन्ध में कोई प्रस्थापना नहीं है। फिर भी उस स्टेशन पर बढ़िया सिगनलिंग और इन्टरलाकिंग के बारे में व्यवस्था की जायेगी।

दिल्ली रेलवे स्टेशन पर लाइसेंस प्राप्त भारिकों (पोर्टर्स) की हड़ताल

†१७९३. **श्री वाजपेयी**: क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि १२ जुलाई, १९५८ को दिल्ली रेलवे स्टेशन पर १०० लाइसेंस-प्राप्त भारिकों (पोर्टर्स) ने लगभग दो घण्टे के लिये हड़ताल कर दी थी

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या उसके सम्बन्ध में अन्त में कोई फैसला हो गया है ; और

(घ) यदि हां, तो उसमें क्या क्या निर्णय किया गया है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) और (ख). वह हड़ताल नहीं थी। १२ जुलाई, १९५८ को कुछ एक पोर्टर दिल्ली स्टेशन के सुपरिन्टेंडेंट से उस बात का अभ्यावेदन करने गये थे कि वे इस आदेश से सहमत नहीं हैं कि प्रति रात बारी बारी कम से कम १०० भारिक (पोर्टर) स्टेशन पर उपस्थित रहें।

(ग) और (घ). लाइसेंसप्राप्त भारिकों ने यह आश्वासन दिया था कि वे रात में अधिक से अधिक संख्या में स्टेशन पर विद्यमान रहेंगे, इसलिये यह हिदायत जारी कर दी गयी थी कि रात को १०० पोर्टरों की उपस्थिति की शर्त का सख्ती से पालन न किया जाये।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

पोत इंजीनियरी कालेज, कलकत्ता

†१७६४. श्री रघुनाथ सिंह : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पोत इंजीनियरी कालेज, कलकत्ता की स्थापना के समय से लेकर अभी तक प्रति वर्ष कितने इंजीनियरों ने डिप्लोमा प्राप्त किये हैं ; और

(ख) उक्त कालेज से डिप्लोमा प्राप्त कितने व्यक्तियों को अभी तक नौकरी प्राप्त हुई है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) कालेज १९४८ में स्थापित हुआ था, उसमें अगस्त, १९४९ का चार वर्ष के कोर्स के लिये सब से पहला दल भर्ती किया गया था। इन विद्यार्थियों ने १९५३ में वहां से पास किया। अतः १९५३ और उसके बाद के वर्षों में कालेज से पास होकर निकलने वाले इंजीनियरों की संख्या निम्न प्रकार से है :—

वर्ष	डिपलोमा प्राप्त करने वाले इंजीनियर
१९५३ . . .	४८
१९५४ . . .	४७
१९५५ . . .	४७
१९५६ . . .	४७
१९५७ . . .	४५
१९५८ . . .	५०
कुल . .	२८४

(ख) सिवाय दो व्यक्तियों के शेष सभी को नौकरी प्राप्त हो गयी है। उन व्यक्तियों का कुछ भी अता पता नहीं मिलता।

इर्विन अस्पताल, नयी दिल्ली

†१७९५. **श्री वाजपेयी :** क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इर्विन अस्पताल, नई दिल्ली, से सम्बद्ध मेडिकल कालेज में कितने विद्यार्थियों को दाखिल किया गया है ; और

(ख) इस नये कालेज में कितने विद्यार्थियों (लड़के और लड़कियों) को दाखिला न मिल सका ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) ६० ।

(ख) -

पुरुष	स्त्रियां	कुल
३७९	२१७	५९६

†मूल अंग्रेजी में

गोला रोड स्टेशन

† १७९६. **श्री बि० दासगुप्त** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण पूर्व रेलवे के गोला रोड स्टेशन पर रेलवे कर्मचारियों के लिये क्वार्टर तैयार किये जा रहे हैं ;

(ख) इस कार्य के लिये कुल कितनी राशि मंजूर की गयी है ;

(ग) यह कार्य कब प्रारम्भ किया गया था ;

(घ) इस कार्य के कब तक पूरा हो जाने की आशा है ; और

(ङ) क्या इस कार्य के लिये चालू वर्ष में कोई अतिरिक्त राशि भी मंजूर की गयी है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) जी, हां । टाइप १ के क्वार्टरों के १२ यूनिट तैयार किये जा रहे हैं ।

(ख) ४४,००० रुपये ।

(ग) फरवरी, १९५८ में ।

(घ) मार्च, १९५९ तक ।

(ङ) जी, नहीं ।

इंजनों का खराब हो जाना

† १७९७. **श्री राजेन्द्र सिंह** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जुलाई से दिसम्बर, १९५७ तक पूर्वोत्तर रेलवे के समस्तीपुर और सोनपुर (मेकेनिकल) डिस्ट्रिक्ट्स में कितने इंजन खराब हुये थे ;

(ख) उसके खराब होने के क्या कारण थे ; और

(ग) भविष्य में इंजनों को खराब हो जाने से बचाने के लिये क्या क्या कार्यवाही की गयी है ?

† **रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) तथा (ख).

खराब हो जाने के कारण	समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट	सोनपुर डिस्ट्रिक्ट
	संख्या	संख्या
(१) शैडों में खराब कर्म कौशल .	११	८
(२) चालक का कुप्रबन्ध . .	६	२
(३) खराब कोयला . . .	२	—
(४) खराब सामान . . .	—	१
(५) खराब डिजाइन . .	—	३
	१९	१४

†मूल अंग्रेजी में

(ग) (१) ज़िम्मेवार कर्मचारियों को अनुशासन तथा अपील नियमों के अधीन उपयुक्त दण्ड दिया गया है। इस सम्बन्ध में ये हिदायतें भी जारी कर दी गयी हैं कि इस बात का विनिश्चय कर लिया जाया करे कि संभरित किया जाने वाला कोयला बढ़िया किस्म का है।

(२) खराब सामान के सभी मामलों का रसायन शास्त्री तथा धातुविज्ञान वेत्ता अच्छी प्रकार से विश्लेषण करते हैं और इस बारे में उचित कार्यवाही की जाती है।

(३) खराब डिजाइनों के मामले के बारे में रिसर्च डिजाइन और स्टैण्डर्डाइजेशन ओरगेनाइज़ेशन द्वारा जांच की जाती है।

(४) रेलवे में प्रत्यास्मरण पाठ्यक्रमों और विशेष प्रशिक्षण देने का कार्य तो पहले से ही हो रहा है।

भारत मानक संस्था, नई दिल्ली

†१७९८. **श्री संगण्णा** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत मानक संस्था, नई दिल्ली, ने जल संभरण, प्लम्बिग, नालियों और सफाई के सम्बन्ध में कई प्रकार की संहितायें तैयार की हैं ; और

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार ने उन्हें स्वीकार कर लिया है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) और (ख). भारत मानक संस्था, नई दिल्ली, ने जल संभरण, प्लम्बिग, नालियों और सफाई के सम्बन्ध में कई संहितायें तैयार करने का कार्य प्रारम्भ किया है, अभी वह कार्य हो रहा है।

दिबनापुर रेलवे स्टेशन

१७९९. **श्री मोहन स्वरूप** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विदित है कि दिबनापुर स्टेशन पर यात्रियों के ठहरने के लिये कोई उचित प्रबन्ध न होने के कारण यात्रियों को बहुत कठिनाई होती है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार वहां पर तुरन्त एक अस्थायी शेड बनाना चाहती है ?

रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) और (ख). दिबनापुर सिर्फ हाल्ट स्टेशन है। यहां यातायात बहुत थोड़ा है और इसे देखते हुये इस सवाल पर विचार हो रहा है कि इस हाल्ट स्टेशन को जारी रखा जाय या नहीं। इस स्टेशन पर यात्री-सुविधा की व्यवस्था करना इसी फैसले पर निर्भर है।

माल गाड़ी में चोरी

१८००. **श्री मोहन स्वरूप** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जिला आगरा में भांडई स्टेशन पर माल गाड़ी के डिब्बों में से काफी माल चोरों के एक गिरोह ने चुरा लिया था ;

(ख) क्या यह सच है कि जब माल गाड़ी स्टेशन पर खड़ी थी, तो उसके दो डिब्बे अलग कर दिये गये और चोर उन डिब्बों का माल ले कर भाग गये ;

---

†मूल अंग्रेज़ी में

(ग) क्या यह भी सच है कि चोरी की घटनायें कोटा और कोसी स्टेशनों के निकट भी हुई हैं ;

(घ) यदि हां, तो इससे रेलवे विभाग को अनुमानतः कितनी हानि हुई ; और

(ङ) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी है ?

रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी हां। १० और ११ जुलाई, १९५८ की रात को जब एक मालगाड़ी भांडई स्टेशन पर खड़ी थी तो पता चला कि उसके एक डिब्बे में से बीड़ी के २४ खांचे चोरी चले गये हैं। आगरा यार्ड में जगह नहीं थी, इसलिये यह गाड़ी भांडई स्टेशन पर खड़ी की गयी थी।

(ख) जी, नहीं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) बीड़ी के जो २४ खांचे चुराये गये थे उनकी कीमत ४,८०० रुपये थी। इनमें से ३,८०० रुपये की कीमत के १९ खांचे भांडई स्टेशन के पास खेतों में पाये गये।

(ङ) आगरा पुलिस ने मामले को दर्ज कर लिया है और इसकी जांच हो रही है। रेलवे सुरक्षा दल के जो सैनिक भांडई स्टेशन पर खड़ी मालगाड़ी की निगरानी के लिये तैनात थे, उन्होंने ड्यूटी में असावधानी दिखायी जिसके लिये उन पर कार्रवाई की जा रही है।

डाक कर्मचारियों के खिलाफ विभागीय कार्यवाही

†१८०१. **श्री त० ब० विट्ठल राव** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मेरठ सिटी के डाकखानों में काम करने वाले कितने क्लर्कों के खिलाफ़ १९५७ और १९५८ में विभागीय कार्यवाही की गयी है ; और

(ख) क्या इनमें से एक को, जिसके खिलाफ़ अदालत में मुकदमा चलाया गया था, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने बिल्कुल उन्हीं आरोपों से मुक्त कर दिया था ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (श्री स० का० पाटिल)** : (क) १९५७ में एक और १९५८ में दो (जिनमें १ व्यक्ति १९५७ वाला भी था)।

(ख) जी नहीं।

केन्द्रीय जांच अभिकरण

१८०२. **श्री क० भे० मालवीय** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय जांच अभिकरण के कुछ कर्मचारियों को विधि सम्बन्धी कार्य करना पड़ता है ;

(ख) यदि हां, तो इन पदों पर काम करने वाले कर्मचारियों को क्या क्या काम दिये गये हैं ; और

(ग) उन कर्मचारियों ने कितने मामलों में विधि सम्बन्धी राय दी है ?

---

†मूल अंग्रेज़ी में

रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) उत्तर नकार में है ।

(ख) और (ग). सवाल नहीं उठता ।

रंजीत नगर बस्ती

†१८०३. सरदार इकबाल सिंह : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिमी दिल्ली की एक बस्ती, रंजीत नगर ने एक गन्दी का रूपधारण कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बस्ती की हालत सुधारने के लिये क्या कार्यवाही की गयी है ?

†स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) जी हां ।

(ख) नगर नियोजन संगठन ने पूसा इंस्टीट्यूट और रेलवे लाइन के बीच पड़ने वाली पटेल रोड के पश्चिम की तरफ पड़ने वाले पूरे क्षेत्र के लिये जिसमें रंजीत नगर कालोनी भी शामिल है, एक पुनर्विकास योजना बनायी है । इस क्षेत्र को अब दिल्ली विकास अधिनियम, १९५७ के अधीन 'विकास-क्षेत्र' घोषित किया जाने वाला है ।

यह होने के बाद दिल्ली विकास प्राधिकार पुनर्विकास योजना को क्रियान्वित करेगा।

मनीपुर में कीटनाशक पदार्थों का वितरण

†१८०४. श्री ले० अचौ सिंह : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पिछले दो महीनों में मनीपुर में कीटनाशक पदार्थ किसानों को राज-सहायता-प्राप्त दरों पर बांटे गये थे ; और

(ख) यदि हां, तो राज-सहायता की दर कितनी है और अब तक कितने परिमाण में कीटनाशकों का वितरण किया जा चुका है ?

†खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन) : (क) जी हां ।

(ख) राज-सहायता की दर ५० प्रतिशत है । १४ (चौदह) टन से भी अधिक कीट-नाशकों का वितरण किया जा चुका है ।

त्रिपुरा में कृषि ऋण

†१८०५. श्री दशरथ देब : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रिपुरा के सदर परगने में अब तक कितनी राशि कृषि ऋण और 'दादान' के रूप में दी जा चुकी है ; और

(ख) सदर परगने की प्रत्येक तहसील में कितने-कितने व्यक्तियों को यह ऋण मिला है ?

†खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन) : (क) चालू वित्तीय वर्ष में अब तक सदर परगने में दिये गये ऋण का विवरण इस प्रकार है :—

(१) कृषि सम्बन्धी ऋण . . . २१,९२५ रुपये ।

(२) दादान को समाप्त करने के लिये ऋण . १४,६०० रुपये ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख)

क्रमांक	तहसील का नाम	ऋण पाने वालों की संख्या	
		कृषि	दानान
१.	सदर	१०	८८
२.	पुराना अगरतला	२०	९०
३.	मोहनपुर	४	२
४.	बमुटिया	१९	—
५.	ईशानचन्द्रनगर	३०	—
६.	बिशालगढ़	३	—
७.	कमल सागर	३	—
८.	ताकरजाला	४	३३
९.	चरिलम	१५	१७५
१०.	सिमना	कुछ नही	कुछ नहीं
	जोड़	१०८	३८८

कस्तूर स्टेशन पर रेलवे साइडिंग

१८०६. श्री महेन्द्र नाथ सिंह : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्व रेलवे के आसनसोल डिवीजन में कस्तूर स्टेशन पर रेलवे साइडिंग है ;

(ख) क्या सरकार को विदित है कि कस्तूर रेलवे स्टेशन से गिट्टी बाहर भेजी जाती है, जहां आदिम जाति के लोग पत्थर तोड़ने का काम करते हैं और यही उनका एकमात्र धन्धा है ;

(ग) क्या सरकार को यह भी विदित है कि विकास योजनाओं और बांधों के निर्माण के कारण गिट्टी की मांग बढ़ गयी है और इस कारण वहां से गिट्टी अधिक मात्रा में भेजी जाया करेगी ;

(घ) यदि हां, तो कस्तूर रेलवे स्टेशन पर रेलवे साइडिंग बन्द करने के क्या कारण हैं ; और

(ङ) क्या इस विषय पर पुनर्विचार किया जायेगा ?

रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : पूर्व रेलवे के आसनसोल डिवीजन में कस्तूर नाम का कोई स्टेशन नहीं है। शायद माननीय सदस्य का मतलब पूर्व रेलवे के आसनसोल-झाझा सेक्शन के जामताड़ा और करमाटांड स्टेशनों के बीच कसीतार ब्लाक हट स्टेशन से है। यदि ऐसा है तो उत्तर इस प्रकार है :—

(क) रेलवे साइडिंग १९५५ से बन्द कर दी गयी है ।

(ख) यह नहीं मालूम है कि आदिम जाति के लोग केवल पत्थर तोड़ कर अपनी जीविका कमाते हैं । लेकिन वहां पूछताछ से पता लगा है कि वे खेती भी करते हैं और जब खेती के काम से उन्हें फुरसत रहती है, तो वे पत्थर की खानों में काम करते हैं ।

(ग) और (ङ). सिर्फ रेलवे की लागत से इस स्टेशन पर साइडिंग बनाने के लिये यातायात काफी नहीं है । 'इमदादी साइडिंग' की शर्तों के अधीन एक साइडिंग और लूप बनाने के सवाल पर विचार हो रहा है ।

(घ) इस सेक्शन पर गाड़ियों की तादाद बढ़ गयी, जिसकी वजह से परिचालन में कठिनाइयां होने लगीं और इसलिये यह साइडिंग बन्द कर दी गयी । इस सेक्शन पर बढ़े हुए यातायात के परिचालन के लिये यह जरूरी था कि लूप लाइन बनायी जाये और साइडिंग को हटाकर दूसरी जगह बनाया जाये । लेकिन इस स्टेशन पर यातायत थोड़ा है, इसे देखते हुए सिर्फ रेलवे की लागत से इनकी व्यवस्था करना उचित नहीं समझा गया ।

कतरनियां घाट स्टेशन तक सवारी गाड़ी

१८०७. **श्री भ० दी० मिश्र** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्षा ऋतु में सवारी गाड़ी कतरनियां घाट तक जाने की बजाय निशानगढ़ तक जाती है ;

(ख) क्या सरकार को यह विदित है कि कतरनियां घाट स्टेशन अनाज की एक महत्वपूर्ण मंडी है, जहां नेपाल से आने वाला लाखों मन धान और लाही खरीदा जाता है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार खाद्यान्न भेजने का भी वैसा ही प्रबन्ध करना चाहती है जैसा इमारती लकड़ी और वन उत्पादन आदि के लिये किया गया है ताकि वर्षा में अनाज एक स्थान पर इकट्ठा होने के कारण गल-सड़ न जाये ।

रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी हां ।

(ख) सरकार को यह नहीं मालूम है कि कतरनिया घाट में नेपाल से लाखों मन धान और लाही की खरीद की जाती है, लेकिन बाहर भेजने के लिये इस स्टेशन पर अनाज आता है ।

(ग) इस स्टेशन से इमारती लकड़ी, जंगली उपज[1] आदि की तरह अनाज भी "पहले आवे, सो पहले पावे" वाले मान्य सिद्धांत के अनुसार भेजा जाता है, लेकिन साथ ही अग्रता वर्गीकरण[2] का भी ध्यान रखा जाता है । ११-७-५८ से १०-८-५८ तक इस स्टेशन से आनज के २५ माल डिब्बे भेजे गये और ११-८-५८ को आनज भेजने के लिये माल-डिब्बे की कोई मांग बाकी नहीं थी । इसी अवधि में धान और लाही भेजने के लिये तो कोई मांग नहीं की गयी, लेकिन पत्थर और इमारती लकड़ी के क्रमशः ३२४ और ९० माल-डिब्बे भेजे गये । इसलिये, इमारती लकड़ी और जंगली उपज भेजने के लिये जो प्रबन्ध किया गया है, धान और लाही के लिये वैसा ही प्रबन्ध करने का सवाल नहीं उठता ।

फल परिरक्षण उद्योग

†१८०८. **श्री दलजीत सिंह** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में फल परिरक्षण उद्योग खोलने की योजनायें क्रियान्वित करने के लिये कार्यवाही की है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Forest Produce.

[2]Priority Classification.

(ख) यदि हां, तो अब तक क्रियान्वित की गयी योजनाओं का ब्यौरा क्या है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) जी हां ।

(ख) लोक-सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या १७**]

बम्बई में मीन-क्षेत्रों का विकास

†**१८०७. श्री पांगरकर :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मीन-क्षेत्रों का विकास करने के लिये १९५८-५९ में बम्बई सरकार को कुछ अनुदान मंजूर किये गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो कितने ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) और (ख). मीन-क्षेत्रों के विकास की योजनाओं के लिये १९५८-५९ में ५·३२७५ लाख रुपयों की राशि का उपबन्ध किया गया है। १९५८-५९ की पहली तीन तिमाहियों में राज्य के वास्तविक व्यय और चौथी तिमाही के प्राक्कलित व्यय के आधार पर यह राशि वास्तव में जनवरी/फरवरी, १९५८ में दी जायेगी।

ट्रेनों में बिजली के संभरण की व्यवस्था

†**१८१०. श्री सिंहासन सिंह :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान जुलाई १९५८ के "इंडियन रेलवेज़", खंड ४ में प्रकाशित पूर्वोत्तर रेलवे के चीफ इलैक्ट्रिकल इंजीनियर, श्री नारायण अय्यर के ट्रेनों में बिजली के संभरण की व्यवस्था में परिवर्तन सम्बन्धी लेख की ओर आकृष्ट हुआ है ;

(ख) क्या उसमें दिये गये तथ्यों की जांच की गयी है ; और

(ग) इस मामले में क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) से (ग). लोक-सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या १८**]

बाबतपुर हवाई अड्डा (बनारस)

†**१८११. श्री गणपति राम :** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बाबतपुर हवाई अड्डा (बनारस) की हवाई जहाज उतरने की पट्टी, मकानों और अन्य निवासयोग्य इमारतों ने अलग-अलग कुल कितने एकड़ भूमि घेर रखी है ;

(ख) क्या यह सच है कि पक्की पट्टी के उत्तर में ओर कच्ची पट्टी के आसपास कई एकड़ जमीन बेकार पड़ी हुई है और घास उगाने के लिये उसका उपयोग किया जाता है ; और

(ग) यह जमीन अनाज पैदा करने के लिये क्यों नहीं काम में लायी जाती ?

†**असैनिक उड्डयन उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन)** : (क) बाबतपुर (बनारस) हवाई अड्डे का रकबा ५७० एकड़ है। इसमें से ३८२ एकड़ जमीन को आपरेशनल कामों के लिये और

---

† मूल अंग्रेजी में

१२७ एकड़ जमीन की जरूरत तकनीकी और रिहायिश के कामों में के लिये है। बची हुई ६१ एकड़ जमीन अभी हाल ही में सिविल एविएशन की जायद करार कर दी गई है, और इस जमीन का तसफिया उत्तर प्रदेश की सरकार की राय से किया जा रहा है ।

(ख) और (ग). कोई भी जमीन बेकार नहीं पड़ी है । आपरेशन एरिया का एक हिस्सा पक्का है ; इसलिये काश्तकारी के काबिल नहीं है। दूसरा हिस्सा (२० एकड़) जिसमें (१) पक्के रनवे की पट्टी और (२) कच्चा रनवे है, सिर्फ घास काटने के लिये पट्टे पर दिया गया है। इस रकबे में काश्तकारी की आज्ञा नहीं दी जा सकती, क्योंकि इसे हवाई जहाजों के लिये जरूरत पर उतरने के लिये ठीक ठाक रखना होता है। ८० एकड़ का रकबा (जिसमें सरप्लस की हुई ६१ एकड़ जमीन भी शामिल है) काश्तकारी के कामों के लिये पट्टे पर दिया जा चुका है ।

औरंगाबाद और नान्देव के बीच के स्टेशनों पर रेलवे कर्मचारियों के लिये क्वार्टर

†१८१२. **श्री अं० वें० धारे** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि काचीगुडा-मनमाड लाइन पर औरंगाबाद और नान्देव के बीच के स्टेशनों पर रेलवे कर्मचारियों के लिये क्वार्टरों की कमी है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार इन कर्मचारियों को कब तक क्वार्टर देने वाली है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : संभवत: माननीय सदस्य का मतलब मध्य रेलवे के काचीगुडा-मनमाड सेक्शन पर औरंगाबाद और नान्देव के बीच के स्टेशनों से है। यदि हां, तो उत्तर इस प्रकार है :—

(क) जी हां। इस सेक्शन के १,०६५ अत्यावश्यक कर्मचारियों में से ६७० को क्वार्टर दिये गये हैं ।

(ख) कर्मचारियों के क्वार्टरों का निर्माण आरम्भ में अत्यावश्यक कर्मचारियों के रहने की व्यवस्था करने के लिये एक कार्यक्रम के आधार पर किया जाता है। १९५९-६० में इस सेक्शन पर २५९ क्वार्टरों का निर्माण करने का विचार है। हर साल कितने क्वार्टरों का निर्माण होगा इसका निश्चय सम्पूर्ण रूप से रेलवे के पास धन की उपलब्धि और निर्माण सम्बन्धी प्राथमिकताओं के आधार पर किया जाता है ।

समन्वेषी[1] नल कूप संगठन

†१८१३. **श्री सुब्बया अम्बलम्** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) समन्वेषी नलकूप संगठन ने प्रत्येक राज्य में कुल कितने नलकूप लगाये हैं और इन पर कुल कितना व्यय हुआ है ;

(ख) प्रत्येक राज्य में उनमें से कितने सफल और कितने आर्थिक दृष्टि से लाभप्रद पाये गये हैं ; और

†मूल अंग्रेजी में

[1]Exploratory.

(ग) अमरीकी फर्म की प्रविधिक सेवाओं के लिये कितनी राशि का भुगतान किया गया है ?

†खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन) : (क) और (ख). जुलाई, १६५८ तक प्रत्येक राज्य में किये गये समन्वेषी छिद्रों की संख्या और उनमें से जितनों में नलकूप लगाये गये हैं उनकी संख्या नीचे के विवरण में दी जाती है :

	राज्य का नाम	किये गये छिद्रों की संख्या	नलकूपों में परिवर्तित छिद्रों की संख्या
१.	मध्य प्रदेश	३०	१६
२.	बम्बई	५१	८
३.	राजस्थान	१०	१
४.	मद्रास	४०	२७
५.	केरल	५	१
६.	बिहार	१५	६
७.	पंजाब	२६	७
८.	उत्तर प्रदेश . . .	१७	८
६.	आंध्र प्रदेश . . .	११	७
१०.	पश्चिम बंगाल . . .	३	३
	जोड़ . .	२११	८४

मार्च, १६५८ तक इस परियोजना पर हुआ कुल व्यय, जिसमें प्रविधिक सेवाओं के लिये डालरों में किया गया भुगतान शामिल नहीं है, लगभग २१६.१७ लाख रुपये है ।

(ग) परामर्शदाताओं की एक अमरीकी फर्म, मेसर्स राल्फ एम० पार्सन्स कम्पनी को उनकी प्रविधिक सेवाओं के भुगतान के सम्बन्ध में किया गया व्यय लगभग ७६५,००० डालर था ।

अमृतसर में डाकखाने की इमारत

†१८१४. **श्री दलजीत सिंह** : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्वर्ण मन्दिर के डाकखाने की कई मंजिली इमारत के निर्माण में कितना समय लगा है ;

(ख) निर्माण पर कितना व्यय हुआ है ; और

(ग) इस इमारत में कितने स्थान की व्यवस्था है ?

†मूल अंग्रेजी में

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (श्री स० का० पाटिल)** : (क) यह दो मंजिली इमारत का निर्माण, दिसम्बर, १९५५ और सितम्बर, १९५६ के बीच के लगभग १० महीनों में हुआ था ।

(ख) विभागीय व्यय समेत १,१७,६०० रुपये ।

(ग) सब-पोस्टमास्टर के क्वार्टर और सुविधाओं वाले ब्लाक समेत ३,५६० वर्ग फुट ।

उड़ीसा में खंड-कार्य कर्मचारियों की कमी

†**१८१६. श्री वें० च० मलिक** : क्या सामुदायिक विकास मंत्री १७ फरवरी, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या ३१२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में खंड कर्मचारियों की कमी की बाधा दूर कर दी गयी है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या तब से उड़ीसा सरकार ने जनवरी और अप्रैल, १९५८ में मंजूर किये गये खंडों में विस्तार कार्य आरम्भ कर दिया है ?

†**सामुदायिक विकास मंत्री (श्री सु० कु० डे)** : (क) चिकित्सा कर्मचारियों, महिला सामाजिक शिक्षा संगठकों और ग्रामसेविकाओं को छोड़कर शेष सभी वर्गों के खंड कर्मचारियों की कमी दूर कर दी गयी है ।

(ख) जी हां ।

रेलवे सेवा आयोग, कलकत्ता

†**१८१७. श्रीमती इला पालचौधरी** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि १९५७ में कलकत्ते के रेलवे सेवा आयोग ने पूर्व, दक्षिण-पूर्व और पूर्वोत्तर रेलवे के लिये टिकट-कलेक्टरों, क्लर्कों आदि के लगभग १,००० पदों का विज्ञापन किया था ;

(ख) क्या यह भी सच है कि लगभग ८०,००० व्यक्तियों ने एक रुपये कीमत वाले विहित आवेदन-पत्रों पर इन पदों के लिये आवेदन-पत्र भेजे थे ;

(ग) यदि हां, तो क्या ये सभी स्थान भर लिये गये हैं ; और

(घ) यदि नहीं, तो क्यों ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) जी हां ।

(ख) से (घ). जानकारी एकत्र की जा रही है और लोक-सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

अत्यावश्यक पण्य अधिनियम, १९५५ के अधीन दण्डित व्यक्ति

†**१८१८. श्री ले० अचौ सिंह** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५७ और १९५८ में मनीपुर में अत्यावश्यक पण्य अधिनियम, १९५५ और मनीपुर खाद्यान्न अधिनियम, १९५७ के अधीन कुल कितने व्यक्तियों को दंडित किया गया है ;

†मूल अंग्रेजी में

(ख) इन व्यक्तियों को अधिक से अधिक कितनी अवधि के कारावास का दंड दिया गया है ;

(ग) क्या कुछ अभियुक्तों के मामले में ज्युडिशियल कमिश्नर से अपील करने पर सजा की अवधि घटा दी गई है ; और

(घ) यदि हां, तो कितने व्यक्तियों के सम्बन्ध में ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) से (घ). मनीपुर प्रशासन से आवश्यक जानकारी मांगी गयी है और मिलने पर वह लोक-सभा पटल पर रख दी जायेगी।

छोटी सिंचाई योजनायें

†१८१९. **श्रीमती मफीदा अहमद** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या यह सच है कि राज्यों की छोटी सिंचाई योजनाओं के लिये अतिरिक्त राशि दी जाने वाली है ; और

(ख) यदि हां, तो कितनी ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) और (ख). हैदराबाद और कलकत्ते के प्रादेशिक छोटी सिंचाई सम्मेलनों में कुछ राज्य सरकारों ने २९१.२ लाख रुपयों के अतिरिक्त उपबंध की मांग की थी और उसके आवंटन के प्रश्न पर अभी विचार किया जा रहा है।

राज्यों में मैडिकल प्रैक्टीशनर

†१८२०. **श्री जाधव** : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रत्येक राज्य के शहरी और ग्राम्य क्षत्रों में कितने कितने मैडिकल प्रैक्टीशनर और लाइसेंशियेट मैडिकल प्रैक्टीशनर हैं और सम्बन्धित क्षेत्रों की जनसंख्या से उनका कितना अनपात बैठता है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : जानकारी एकत्र की जा रही है और यथासमय लोक-सभा पटल पर रख दी जायेगी।

गाड़ियों का लेट चलना

†१८२१. **श्री दलजीत सिंह** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जून और जुलाई, १९५८ में उत्तर रेलवे पर दिल्ली से अमृतसर जाने वाली गाड़ियां कितनी बार लेट चलीं ;

(ख) इस प्रकार की अनियमितता के क्या कारण हैं ; और

(ग) स्थिति में सुधार के लिये क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां)** : (क) इस जानकारी का एक विवरण लोक-सभा पटल पर रखा जाता है। [देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या १९]

---

†मूल अंग्रेज़ी में

(ख) लेट चलने के मुख्य कारण यह हैं :

(१) इंजीनियरिंग सम्बन्धी प्रतिबन्धों में समयसारणी में निर्धारित समय से अधिक समय लगना।

(२) घनघोर वर्षा और रास्ता टूट जाना।

(३) खतरे की जंजीर का खींचा जाना।

(४) इंजनों द्वारा और समयोपरांत क्रासिंगों में समय नष्ट होना।

(ग) (१) प्रत्येक स्थान पर गाड़ी रुकने के कारणों की पूरी जांच की जाती है और जहां रुकना हुआ हो वहां गाड़ी रोकने पर कर्मचारियों को उचित ताड़ना दी जाती है।

(२) गाड़ी समय से चलाने के बारे में कर्मचारियों को जागरूक बनाने के लिये समय से चलाने के आन्दोलन आरम्भ किये जाते हैं।

(३) जिन सेक्शनों पर गाड़ियां बराबर लेट चलती हैं उन पर लेट चलने के कारणों का पता लगाने के लिये अफसर और इंस्पेक्टर यात्रा करने को तैनात किये जाते हैं।

(४) रास्ते में काफी समय देने और उनको रोके जाने से बचाने के लिये कुछ गाड़ियों के चलने के समय का पुनरीक्षण कर दिया गया है।

रेल की दोहरी लाइन बिछाना

†१८२२. **श्री दलजीत सिंह :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या द्वितीय पंचवर्षीय योजना में उत्तर रेलवे के मुकेरियन रेलवे हो कर जालन्धर-पठानकोट सेक्शन पर दोहरी पटरी बिछाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) :** (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

उपज

१८२३. **श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत की वर्तमान प्रति एकड़ औसत उपज क्या है?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन) : अब तक की उपलब्ध जानकारी का एक विवरण सभा पटल रख दिया गया है। [देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या २०]

अतिथि नियंत्रण आदेश

†१८२४. **श्री रघुबीर सहाय :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन-किन राज्यों में अतिथि नियंत्रण आदेश जारी किये गये हैं; और

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या जारी किये गये आदेशों की प्रतियां सभा-पटल पर रखी जायेंगी ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)**: (क) पश्चिम बंगाल, बिहार, बम्बई और केरल राज्यों तथा त्रिपुरा और दिल्ली के संघ राज्य-क्षेत्रों में ।

(ख) सम्बन्धित आदेशों की प्रतियां लोक-सभा पटल पर रखी जाती हैं । [देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या २१]

पंजाब की नदियों के पानी पर नियंत्रण करना

†१८२५. **श्री दलजीत सिंह** : क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब की नदियों के पानी पर नियंत्रण करने की कितनी योजनाओं का केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग अध्ययन कर रहा है;

(ख) १९५८–५९ में अब तक कितनी योजनाओं का अनुमोदन किया जा चुका है; और

(ग) अब तक कुल कितना व्यय हुआ है ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)**: (क) केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग इस समय पंजाब राज्य की किसी बड़ी अथवा मध्यम आकार की सिंचाई योजना का अध्ययन नहीं कर रहा है ।

(ख) एक भी नहीं ।

(ग) द्वितीय पंचवर्षीय योजना में शामिल बड़ी और मध्यम आकार की सिंचाई योजनाओं पर १९५७–५८ के अन्त तक ३७.६९ लाख रुपये व्यय होने का अनुमान है ।

उत्तर रेलवे पर ऊपरी पुल

†१८२६. **श्री दलजीत सिंह** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५७–५८ और १९५८–५९ में अब तक कुल कितने ऊपरी पुलों का निर्माण किया गया है; और

(ख) द्वितीय पंचवर्षीय योजना में इस रेलवे पर कितने ऊपरी पुलों का निर्माण किया जाने वाला है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)**: (क) १९५७–५८ में दो पैदल चलने वालों के ऊपरी पुलों और तीन सड़क वाले ऊपरी पुलों का निर्माण किया गया । १९५८–५९ में अब तक दो पैदल चलने वालों के ऊपरी पुलों और एक सड़क वाले ऊपरी पुल पर काम पूरा हुआ है ।

(ख) द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में ३४ पैदल चलने वालों के ऊपरी पुलों और १४ सड़क वाले ऊपरी पुलों की परिकल्पना की गयी थी, लेकिन रुपये की कमी और इस्पात बचाने की आवश्यकता ने इस प्रकार के निर्माण कार्यों की योजना बनाने पर प्रतिबन्ध लगा दिया है ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

होशियारपुर में तार और टेलीफोन की सुविधायें

†१८२७. श्री दलजीत सिंह : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब राज्य के होशियारपुर जिले के ३००० या उस से अधिक आबादी वाले कितने गांवों में तार या टेलीफोन की सुविधा का उपबन्ध नहीं है; और

(ख) इन सुविधाओं का प्रबन्ध किस समय तक कर दिया जायेगा ?

†परिवहन तथा संचार मंत्री (श्री स० का० पाटिल): २६ गांवों में (२००० और ५००० के बीच आबादी वाले) टेलीफोन की सुविधा नहीं है और १८ में तार की।

(ख) जब भी प्रत्येक प्रस्ताव उचित समझा जायेगा।

लैटर बक्स

†१८२८. श्री दलजीत सिंह : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब के कांगड़ा जिले के कितने गांवों में लैटर बक्सों का उपबन्ध नहीं है; और

(ख) ये पत्र-बक्स कब तक लग जायेंगे ?

†परिवहन तथा संचार मंत्री (श्री स० का० पाटिल) : (क) कांगड़ा जिले में कुल ८०६२ गांव हैं। डाक तथा तार विभाग प्रत्येक गांव में लैटर-बक्स नहीं लगवाता। विभाग की नीति ग्राम्य क्षेत्रों में केवल उन्हीं इलाकों में लैटर-बक्स लगाने की है जिन से प्रति दिन दो या उस से अधिक पत्र डाक से भेजे जाते हैं और जो निकटतम डाकखाने या लैटर-बक्स से एक मील या उस से अधिक दूरी पर स्थित हैं। कांगड़ा जिले में केवल ८७४ ऐसे गांव हैं जिन में लैटर-बक्स लगाना उचित है और इन सभी गांवों में आवश्यक संख्या में लैटर-बक्स लगा दिये गये हैं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

अनाज का स्टाक

†१८२९. { श्री हेम राज :
श्री ओंकार लाल :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५५, १९५६, १९५७ और १९५८ में अब तक प्रत्येक राज्य के केन्द्रीय गोदामों में कितने कितने मूल्य के अनाजों का कितना कितना स्टाक है;

(ख) कितना अनाज बर्बाद या नष्ट हो गया; और

(ग) प्रत्येक राज्य में उस की कितनी कितनी कीमत थी ?

†खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन): (क) से (ग). लोक-सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है जिस में यह जानकारी दे दी गयी है। [देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या २२]

†मूल अंग्रेजी में

दिल्ली गेट के पास टेलीफोन एक्सचेंज

१८३०. {**श्री नवल प्रभाकर :**
श्री भक्त दर्शन :

क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली गेट के पास जो टेलीफोन एक्सचेंज बनाया जा रहा है उस से कितने टेलीफोन काम करेंगे;

(ख) इस के कब तक पूरा हो जाने की आशा है; और

(ग) उस पर मशीनरी आदि के खर्च को मिला कर कुल कितना व्यय होने का अनुमान है ?

परिवहन तथा संचार मंत्री (श्री स० का० पाटिल) : (क) अनुमानतः ३८०० ।

(ख) १९६१ के प्रारम्भ में ।

(ग) ६७.१९ लाख रुपये ।

सदस्य द्वारा पदत्याग

†**अध्यक्ष महोदय :** मुझे सभा को सूचित करना है कि श्री त्रि० ना० सिंह ने आज से अर्थात् १० सितम्बर, १९५८ से लोक सभा में अपने स्थान से पदत्याग कर दिया है क्योंकि उन्हें योजना आयोग का सदस्य नियुक्त कर दिया गया है ।

स्थगन प्रस्ताव के बारे में

उत्तर प्रदेश विधान सभा के सत्र में विरोधी दल के सदस्यों द्वारा भाग न लिया जाना

†**श्री ब्रजराज सिंह** (फिरोजाबाद): आपने मेरे स्थगन प्रस्ताव को प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी उस के सम्बन्ध में मैं कुछ कहना चाहता हूं । आप ने मुझे लिखा कि यह एक चले आने वाले मामले से संबद्ध बात है । मेरा निवेदन है कि उत्तर प्रदेश विधान सभा में विरोधी दलों के सदस्यों को सत्र से बाहर रहने के लिये बाध्य किया गया है । विरोधी दल के १४५ सदस्यों में से एक भी सदस्य प्रशासन में भाग नहीं ले रहा है । ऐसी अवस्था में संविधान के अनुच्छेद ३५५ को लागू किया जाना चाहिये । अभ्यन्तरिक अशान्ति है और हड़तालें हो रही हैं । जलूस निकाले जा रहे हैं और लोग भूख हड़ताल कर रहे हैं । अतः मैं समझता हूं कि केन्द्र को हस्तक्षेप करना चाहिये । मेरा निवेदन है कि स्थगन प्रस्ताव की अनुमति दी जाये ।

†**श्री ही० ना० मुकर्जी** (कलकत्ता-मध्य) : प्रविधिक प्रश्नों को छोड़ते हुए, मेरा विचार है कि उत्तर प्रदेश में जो स्थिति उत्पन्न हो गई है उसे ठीक करने के लिये कुछ किया जाना आवश्यक है । प्रयत्न करके ऐसी स्थिति निर्माण की जाये कि खाद्य समस्या को सुलझाने के लिये सभी के सहयोग के साथ प्रयत्न किया जा सके । मैं यह नहीं कहता कि उत्तर प्रदेश में जो सब हुआ वह ठीक हुआ या गलत, लेकिन जो हुआ वह यह है कि उत्तर प्रदेश में विरोधी दलों ने विधान सभा का बहिष्कार कर दिया है ।

---

†मूल अंग्रजी में

[श्री ही० ना० मुकर्जी]

अभी परसों प्रधान मंत्री ने खाद्य समस्या को हल करने के लिए केन्द्र तथा राज्यों की जिस सहयोग-नीति की घोषणा की है उस में उत्तर प्रदेश की अनुपस्थिति से स्थिति बड़ी विचित्र हो गयी है और इस नीति को क्रियान्वित करने का कोई लाभ नहीं हो सकेगा। अतः मेरा निवेदन है कि सभा को विचार प्रकट करने का अवसर दिया जाना चाहिये। यदि यह संभव नहीं है तो आप सरकार को यह सुझाव दें कि वह उत्तर प्रदेश की स्थिति का समाधान करे। यदि ऐसा नहीं किया गया तो खाद्य समस्या को हल करने के लिये जो प्रयत्न किये जायेंगे उन में सफलता नहीं मिल सकती।

†**श्री फ्रेंक एन्थनी** (नामनिर्देशित—आंग्ल भारतीय) : राज्य विधान मंडलों के सदस्यों के अधिकारों का मुझे भी बहुत ध्यान है। पर जिस प्रकार प्रति दिन यहां स्थगन प्रस्ताव उपस्थित किये जाते हैं उस से सभा के कार्य में बाधा पड़ती है और समय बरबाद होता है। यदि समस्या को सुलझाने के लिये कुछ करना है तो बाहर भी किया जा सकता है? राजनैतिक स्वार्थों को लेकर सभा का समय बरबाद करना ठीक नहीं है।

†**श्री स० म० बनर्जी** (कानपुर) : मैं एक बात कहना चाहता हूं।

कुछ माननीय सदस्य खड़े हुये—

†**अध्यक्ष महोदय,** : शान्ति, शान्ति :

श्री जगदीश अवस्थी (बिल्हौर) : इस सम्बन्ध में मुझे निवेदन करना है कि कल आपने व्यवस्था दी थी कि यह स्टेट का सब्जैक्ट है। मैं कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में इस वक्त जो पार्लियामेंटरी डिमोक्रेसी है वह खतरे में पड़ गई है। अब केवल इस सदन को अधिकार प्राप्त है कि वह इस पर विचार करे। आप इस को देखिये।

(अन्तर्बाधायें)

चिल्लाने से कोई लाभ नहीं मैं भाषण बन्द नहीं करूंगा। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस वक्त उत्तर प्रदेश में केवल एक पार्टी का, एक व्यक्ति का साम्राज्य स्थापित है और वहां डिमोक्रेसी खतरे में पड़ गई है। ऐसी अवस्था में मैं जानना चाहता हूं कि इस सदन के अलावा कौनसी ऐसी जगह है जहां हम इस पर विचार कर सकते हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अब स्टेट में जो स्थिति है, उसे देखते हुए आप अपनी विवेक शक्ति का प्रयोग करें और सदन को अधिकार दें कि इस पर विचार-विमर्श हो ताकि भविष्य में ऐसी घटनायें न घट सकें। आप यह देखिये कि वहां पर जो माननीय सदस्य थे, उन के साथ सब से प्रथम सशस्त्र पुलिस बुला कर दुर्व्यवहार किया गया, उन को खींचा गया। यह बातें कल स्पष्ट हुईं। मैं समझता हूं कि कल यहां पर विरोधी पक्ष ने अपने विचार प्रकट किये थे, इस आशा से कि आप समय देंगे और विचार करने देंगे। मैं अनुभव कर रहा हूं कि वह समय आ गया है जब लोक-सभा को निश्चित रूप से बहस कर के इस पर विचार-विमर्श करना होगा वर्ना भविष्य में, अगर हम विचार नहीं करते हैं अन्य राज्यों में इस प्रकार की अवस्था चलती रहेगी और लोकतन्त्र खतरे में पड़ जायेगा। इसलिये मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप सदन की समस्त कार्यवाही रोक कर इस पर विचार-विमर्श करने दें।

कुछ माननीय सदस्य खड़े हुए —

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं और कुछ नहीं सुनना चाहता।

†**श्री यादव** (बाराबंकी) : आप पहले मेरी बात तो सुनें।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं कुछ नहीं सुनूंगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री रंगा (तेनालि) : यदि आप उन की बात सुनेंगे तो अन्य लोग भी अपनी बात कहने का आग्रह करेंगे।

†अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति। आज एक स्थगन प्रस्ताव आया है। मैंने श्री ब्रज राज सिंह को लिख दिया था कि मैं स्थगन प्रस्ताव के लिये अनुमति नहीं देता। उस के बाद भी वह खड़े हो गये और बोले। उसके बाद श्री ही० ना० मुकर्जी ने भी कहा कि कुछ न कुछ अवश्य किया जाना चाहिये। मैं नहीं समझता कि आखिर क्या किया जा सकता है। यह कोई नहीं चाहता कि यहां या बाहर कहीं कोई गड़बड़ी हो। सम्पूर्ण गड़बड़ी तथाकथित खाद्य स्थिति के कारण उत्पन्न हुई है।

†श्री हेम बरूआ (गोहाटी) : यह तथाकथित खाद्य स्थिति नहीं है वास्तविक खाद्य स्थिति है।

कुछ माननीय सदस्य खड़े हुए—

†अध्यक्ष महोदय : मुझे कुछ कहने तो दीजिये। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि बाढ़े आईं, अकाल पड़े और समय समय पर अन्य कठिनाइयां आईं। हमारे सामने कई प्रश्न आये और मैं हर बार खाद्य स्थिति पर चर्चा करने का अवसर देता रहा हूं। उत्तर प्रदेश विधान सभा में भी खाद्य स्थिति पर वाद-विवाद हुआ। वहां तो सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव तक भी पेश किया गया। चूंकि वहां सरकार ने अपनी नीति के औचित्य को प्रमाणित किया, इसलिये बहुमत सरकार के पक्ष में है। अगर ऐसा नहीं होता तो वहां सरकार को पदच्युत कर दिया गया होता।

यदि वाद-विवाद के बाद भी कुछ सदस्य बाहर जाकर कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश करते हैं तो पुलिस की मदद अवश्य ली जायेगी और फिर यदि लोग गिरफ्तार किये जाते हैं तो सभा में स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाते हैं।

†श्री ब्रज राज सिंह : सारी स्थिति इसलिये पैदा हुई क्योंकि (**अन्तर्बाधायें**)

†अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति।

†श्री नाथपाई (राजापुर) : बिना वारंट के लोगों को गिरफ्तार किया गया है।

†अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य वकील हैं और उन्हें मालूम होना चाहिये कि कुछ मामलों में बिना वारंट के भी गिरफ्तारी की जा सकती है।

कल इसी प्रकार के एक मामले पर चर्चा हुई थी। कुछ लोगों ने कहा कि वहां पुलिस ने लोगों को जबरदस्ती बाहर निकाला या धक्के दिये। इस सम्बन्ध में मैं कुछ भी नहीं कहना चाहता। यदि दूसरी प्रतिक्रिया के रूप में विरोधी दल के सदस्यों ने सत्र का बहिष्कार किया तो मैं इस संबंध में क्या कर सकता हूं। यदि माननीय सदस्य सभा भवन से उठ कर बाहर चले जायें तो इस का मतलब यह तो नहीं कि सभा का कार्य बन्द कर दिया जाये। सभी लोकतन्त्रात्मक संसदों में यही होता है कि विरोधी दल अपनी बातें कहता है पर उसे स्वीकार करने या अस्वीकार करने का अधिकार बहुसंख्यक दल को होता है। फिर विरोधी दल चाहे तो बहुसंख्यक दल के निर्णय में सहयोग करे या न करे। यदि विरोधी दल के लोग सभा से बाहर चले जाते हैं या सभा का बहिष्कार करते हैं तो उन्हें ऐसा करने से कौन रोक सकता है। क्या आप समझते हैं कि मैं उन्हें बाध्य कर सकता हूं कि वे सभा के कार्य में अवश्य हाथ बंटायें।

श्री मुकर्जी ने कहा कि विरोधी दल के सहयोग से सरकार को काम चलाना चाहिये और सरकार को चाहिये कि विरोधी दल को संतुष्ट करें। मैं उन की बात से सहमत हूं। यदि लोग चाहते हैं तो वे

---

†मूल अंग्रेज़ी में

[अध्यक्ष महोदय]

आकर मुझ से परामर्श करें। साम्यवादी दल, प्रजा समाजवादी दल तथा समाजवादी दल सभी दलों के प्रतिनिधि यहां हैं। वे चाहें तो आकर मुझ से परामर्श कर सकते हैं। मैं उन्हें बता सकता हूं कि क्या किया जाये। इस के अतिरिक्त मैं और क्या कर सकता हूं। सभा की बैठक में बाधा डालने के लिये बार-बार इन बातों को उठाने से कोई लाभ नहीं।

†**श्री स० म० बनर्जी** : उस दिन प्रधान मंत्री ने जो वक्तव्य दिया था उस के बाद मैं ने उन से अनुरोध किया था कि वह उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री पर असर डाल कर हालत को सुधारने का प्रयत्न करें। प्रधान मंत्री द्वारा आश्वासन दिये जाने के बाद भी कि ३० सदस्यों को बुलाया जायेगा उत्तर प्रदेश सरकार ने कोई सहानुभूतिपूर्ण रवैया नहीं अपनाया और वही पुराना रवैया चल रहा है। विरोधी सदस्यों ने सभा का बहिष्कार कर दिया है क्योंकि उन का अपमान किया गया, उन्हें ठोकरें मारी गयीं। गृह-मंत्री के पास इन बातों का क्या जवाब है?

†**श्री जगदीश अवस्थी** : सभा भवन के दरवाजे बन्द कर लिये गये और श्री राजनारायण सिंह को उठा कर बाहर फेंक दिया गया।

†**श्री नाथपाई** : एक बात हम लोगों को बहुत तकलीफ दे रही है। क्या प्रक्रिया संबंधी बातों के कारण इस प्रकार लोकतन्त्र का गला घोटने दिया जायेगा। संसदीय संस्थाओं में लोकतन्त्र के एकमात्र संरक्षक होने के नाते यह आप का कर्तव्य है कि जब हम ऐसी घटनाओं के विरोध में आवाज उठायें तो आप हमारी रक्षा करें। श्री राजनारायण सिंह के साथ जो अपमानजनक व्यवहार हुआ—उन्हें ठोकर मार कर निकाला गया उन पर थूका गया—यह उन का अपमान नहीं है यह हमारे लोकतन्त्र का अपमान है। मैं चाहता हूं आप इस का अनुमोदन करें। यदि ऐसा नहीं होता तो संसदीय परम्पराओं की रक्षा नहीं हो सकती।

†**अध्यक्ष महोदय** : श्री नाथपाई की बात मैंने सुनी। उनका कहना है कि श्री राजनारायण सिंह के साथ पुलिस ने ज्यादती की। पर ऐसा क्यों हुआ? यदि कोई सदस्य अध्यक्ष की आज्ञानुसार अपने स्थान पर नहीं बैठता तो अध्यक्ष उसे बाहर जाने का आदेश देता है। पर वह बाहर नहीं जाता। तब मार्शल को बुलाया जाता है फिर भी वह बाहर नहीं जाता। अध्यक्ष यह देख कर कि ऐसी स्थिति में काम चलाना असंभव है, बाहर चला जाता है। ऐसी स्थिति एक सदस्य ने उत्पन्न कर दी और आप चाहते हैं कि मैं यह कहूं कि अध्यक्ष ने मार्शल को भेज कर गलत काम किया। आप लोग श्री राज नारायण सिंह से यह कहने के बजाय कि उन्होंने यह काम गलत किया मुझ से कहते हैं कि मैं कहूं कि पुलिस ने ज्यादती की है। बेचारा अध्यक्ष क्या करता? अन्त में पुलिस ने आकर हस्तक्षेप किया और राज नारायण सिंह को उठा कर बाहर ले गयी।

बड़े खेद की बात है कि श्री राज नारायण सिंह की निन्दा कोई नहीं करता और मुझ से सब लोग कहते हैं कि मैं पुलिस के कार्यों की निन्दा करूं। यह सब बहुत गलत तरीका है। पुलिस ने, अध्यक्ष ने वही किया जो उन्हें करना चाहिये था। वहां जो कुछ हुआ उसे मैं यहां नहीं होने दूंगा।

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा सम्कल्पों संबन्धी समिति

छब्बीसवां प्रतिवेदन

†**सरदार अ० सिंह० सहगल** (जंजगीर): मैं गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का छब्बीसवां प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं।

---

†मूल अंग्रेजी में

स्थगन प्रस्ताव के बारे में—जारी

कुछ माननीय सदस्य खड़े हो कर एक साथ कुछ कहने लगे

†**अध्यक्ष महोदय** : शान्ति, शान्ति । मैं कुछ नहीं सुन सकता । आप राज्य के माननीय सदस्यों को जाकर समझायें । अब हम अगला कार्य लेंगे ।

†**श्री ही० ना० मुकर्जी** : आप बहुसंख्यक दल के मत को स्वीकार करने की बात हम पर जबरदस्ती थोपना चाहते हैं यह संसदीय लोकतन्त्र के बिल्कुल विरुद्ध है । इन परिस्थितियों में हम सभा में नहीं रह सकते ।

इसके पश्चात् श्री ही० ना० मुकर्जी और कुछ अन्य माननीय सदस्य सदन से उठ कर बाहर चले गये ।

श्री यादव : चूंकि मुझे बोलने का मौका नहीं दिया गया, इसलिये मैं सभा से बाहर जा रहा हूं ।

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि भारतीय चिकित्सा परिषद् अधिनियम, १९५६ में संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

†**श्री नाथपाई** : क्या मैं कुछ पूछ सकता हूं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : आप अपने स्थान पर बैठ जाइये । चर्चा समाप्त हो चुकी है ।

†**श्री महन्ती (ढेंकानाल)** : मैं दो बातें कहना चाहता हूं । श्री फ्रैंक एन्थनी ने कहा कि सभा का समय बरबाद किया जा रहा है और आपने खाद्य स्थिति को तथाकथित खाद्य स्थिति बताया । मुझे इन दोनों बातों पर घोर आपत्ति है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : किसी स्थगन प्रस्ताव के सम्बन्ध में यदि कोई माननीय सदस्य यह समझता है कि उस के द्वारा सभा का समय बरबाद किया जा रहा है तो वह ऐसा कह सकता है । जहां तक खाद्य स्थिति का संबंध है केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार दोनों का कहना है कि कोई खाद्य संकट नहीं है पर कुछ माननीय सदस्य कहते हैं कि खाद्य संकट है । इसी कारण मैं ने बीच की बात—तथाकथित खाद्यस्थिति—कहा है ताकि कोई आपत्ति न उठाई जाये ।

आप लोग कहते हैं कि पुलिस ने दुर्व्यवहार किया । उस ने हिंसा का प्रयोग किया पर आप इस बात को क्यों भूल जाते हैं कि वहां पर विरोधी दल संवैधानिक व्यवस्था को नष्ट करना चाहता था । आप क्या यह चाहते हैं कि हम संवैधानिक व्यवस्था को भंग करने में मदद करें । माननीय सदस्य के दुर्व्यवहार की निन्दा न कर के आप पुलिस की निन्दा कर रहे हैं ? मैं पुलिस की नहीं माननीय सदस्य के आचरण की निन्दा करता हूं ।

†**श्री नाथपाई** : मैं एक बात कहना चाहता हूं ।

†**अध्यक्ष महोदय**: मैं अब बोलने की अनुमति नहीं दूंगा । कृपया वह अपने स्थान पर बैठ जायें । मैं इस विषय पर आगे कोई चर्चा नहीं होने दूंगा ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

भारतीय चिकित्सा परिषद् (संशोधन) विधेयक

†स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि भारतीय चिकित्सा परिषद् अधिनियम, १९५६, में संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

भारतीय चिकित्सा परिषद् अधिनियम, १९५६ को राष्ट्रपति की अनुमति ३० दिसम्बर, १९५६ को मिली थी । उस अधिनियम की धारा १ की उपधारा (३) के अनुसार, उसके प्रभावी होने की तिथि केन्द्रीय सरकार को अधिसूचना द्वारा निश्चित करनी थी । लेकिन उसके प्रवर्तन से पहले जरूरत इस बात की है कि राज्यों में, और विशेषकर पुनर्गठित राज्यों में, राज्य चिकित्सा पंजियां तैयार कर ली जायें । यह इसलिये जरूरी है कि केन्द्रीय अधिनियम के अन्तर्गत गठित की जाने वाली चिकित्सा परिषद् के सदस्यों में वे लोग भी रहेंगे जिनके नाम इन पंजियों में दर्ज होंगे । राज्य सरकारें यह पंजियां तैयार करा रही हैं; लेकिन इस में कुछ समय तो लगेगा ही । पर, इसी बीच में, इस अधिनियम को प्रभावी न बनाने से, कठिनाई यह पैदा होती है कि कई ऐसे चिकित्सक तब तक अपने नाम इन पंजियों में दर्ज नहीं करा सकेंगे, जो भारतीय नागरिक भी हैं और चिकित्सकों की अर्हतायें भी रखते हैं, लेकिन जिनकी विदेशों से प्राप्त अर्हताओं को भारतीय चिकित्सा परिषद् अधिनियम, १९३३ में मान्यता नहीं दी गई है । इसे देखते हुए, सरकार का विचार है कि इस अधिनियम को तुरन्त ही प्रभावी बना दिया जाना चाहिये ।

इस नये अधिनियम के प्रभावी होते ही, भारतीय चिकित्सा परिषद् अधिनियम, १९३३ के अन्तर्गत गठित की गई परिषद् अपना काम बन्द कर देगी । नये अधिनियम में ऐसी भी कोई व्यवस्था नहीं है कि नयी परिषद् के गठित होने तक मौजूदा परिषद् को चलने दिया जाये । उसके गठन में कुछ समय तो लगेगा ही, क्योंकि नये अधिनियम की धारा ३ के अन्तर्गत चुनाव तभी किया जा सकता है जब कि अधिनियम प्रभावी हो जाये । इस कठिनाई को दूर करने के लिये ही, राज्य सभा में पुरःस्थापित किये गये विधेयक में मूलतः यह व्यवस्था की गई थी कि अधिनियम की धारा ३ के खण्ड (ग) के अन्तर्गत भारतीय चिकित्सा पंजी तैयार की जाने के दौरान में, तैयारी की उस अवधि में, राज्य सरकारें परिषद् के लिये व्यक्तियों को नामजद कर सकेंगी ।

राज्य-सभा ने यह संशोधन किया था ।

और जब लोक-सभा में इस विधेयक पर चर्चा हुई तो यह विचार हुआ कि खण्ड ३(१) के उपखण्ड (ज) के नीचे दिया गया परन्तुक अनावश्यक है । इसलिये अधिनियम की धारा ३ के खण्ड (ग) के अन्तर्गत राज्य सरकारों द्वारा की जाने वाली नामज़दगी की व्यवस्था को हटा देना पड़ा । चिकित्सा परिषद् का अस्तित्व अवछिन्न बनाये रखना ही अच्छा समझा गया । इसलिये प्रस्ताव यह किया गया है कि नये अधिनियम के प्रभावी होने के बाद नयी परिषद् का गठन होने तक मौजूदा परिषद् को ही बनाये रखा जाये । इसलिये अब भारत सरकार को राज्य सरकारों की चिकित्सा पंजियां तैयार होने तक रुकने की जरूरत नहीं । वह तुरन्त ही नये अधिनियम को प्रभावी बना सकती है । नये अधिनियम के प्रभावी हो जाने पर कुछ अन्य अर्हतायें रखने वाले और विदेशी अर्हतायें प्राप्त भारतीय नागरिक भी राज्य चिकित्सा पंजियों में अपने नाम दर्ज करा सकेंगे ।

†अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†डा० सुशीला नायर (झांसी) : इस विधेयक का उद्देश्य केवल इतना ही है कि नयी चिकित्सा परिषद् के बनने तक मौजूदा चिकित्सा परिषद् को बरकरार रखा जाये । यह बहुत जरूरी है; और इसीलिये सभी को इसका स्वागत करना चाहिये ।

चिकित्सा परिषद् इसलिये बनाई गई है कि वह चिकित्सा सम्बन्धी शिक्षा, चिकित्सा-कार्य और चिकित्सा-व्यवसाय का एक उचित मानदण्ड बनाये रखें । चिकित्सीय शिक्षा के क्षेत्र में निःसंदेह ही काफी प्रगति हुई है । अब समय है कि मौजूदा चिकित्सा परिषद् के कार्यों का लेखा-जोखा किया जाये ।

हमें इस बात का लेखा-जोखा करना चाहिये कि मौजूदा चिकित्सा परिषद् ने चिकित्सा सम्बन्धी शिक्षा का मानदण्ड बनाये रखने में कितना योग दिया है ।

देखना यह चाहिये कि मौजूदा चिकित्सा परिषद् किस हद तक देश के सभी चिकित्सा कालेजों से सम्पर्क बनाये रख सकी है । उसे देश और विदेशों की चिकित्सा सम्बन्धी शिक्षा के बारे में कितनी जानकारी रही है ।

हमें इस पर भी विचार करना है कि वह देश की चिकित्सा सम्बन्धी शिक्षा को एक नयी दिशा देने में कहां तक कामयाब हुई है ।

चिकित्सा सम्बन्धी शिक्षा को एक नयी दिशा देने की समस्या ही सब से महत्वपूर्ण है । हमें केवल इस पर जोर नहीं देना है कि चिकित्सा कालेजों से पास होने वाले चिकित्सकों की संख्या बढ़ती जाये । जरूरत तो इस बात की है कि जल्द से जल्द देश की जनता के लिये चिकित्सीय सुविधायें जुटाई जा सकें ।

चिकित्सा परिषद् को इस बात पर विचार करना है कि चिकित्सा कालेजों से निकलने वाले डाक्टरों को वैद्य और हकीमों के साथ मिलकर काम करना कैसे सिखाया जाये । उनको यह कैसे सिखाया जाये कि वे वैद्य और हकीमों को अपने से नीचा न समझें ।

आज प्रशिक्षित चिकित्सकों में यह भावना पैदा करना बहुत जरूरी है कि वे देश की जनता की आवश्यकताओं को देखते हुए, देश के संसाधनों के मुताबिक, काम करना और अपने आपको ढालना सीखें ।

हम ने दिल्ली में एक अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान प्रतिष्ठान स्थापित किया है । सभी लोगों को उससे बड़ी-बड़ी आशायें हैं । लेकिन मैं यह नहीं समझ पाती कि उसे चिकित्सा परिषद् के क्षेत्राधिकार के बाहर क्यों रखा गया हैं । यदि सरकार चिकित्सा परिषद् को इस योग्य नहीं समझती कि वह प्रतिष्ठान का पर्यवेक्षण कर सके, तो परिषद् को बदल दिया जाना चाहिये । प्रतिष्ठान के निदेशक को भी चिकित्सा परिषद् का सदस्य बनाया जा सकता है । चिकित्सा परिषद् बनाने का तो उद्देश्य ही यही है कि वह इस पूरे क्षेत्र में सहयोजना और सहकार्य पैदा करे । तभी देश की चिकित्सा सम्बन्धी शिक्षा का मानदण्ड कायम रखा जा सकता है ।

साथ ही, अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान प्रतिष्ठान को दिल्ली विश्वविद्यालय के क्षेत्राधिकार से भी बाहर रखना बहुत अनुचित है । प्रतिष्ठान देश के सभी चिकित्सा कालेजों के लिये शिक्षकों को प्रशिक्षित करेगा, इसलिये जरूरी है कि वह चिकित्सा परिषद् के सम्पर्क में रहे । माननीय मंत्री को इस पर विचार करना चाहिये ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[डा० सुशीला नायर]

मैं इस विधेयक का स्वागत करती हूं ।

†श्री कोडियान (क्विलोन—रक्षित—अनुसूचित जातियां) : बड़ी खुशी की बात है कि सरकार ने आखिरकार भारतीय चिकित्सा परिषद् अधिनियम, १९५६ को कार्यान्वित करने का फैसला कर लिया है ।

इस अधिनियम को पारित हुए एक वर्ष और आठ महीने हो चुके हैं । सरकार कहती है कि इसे प्रवर्तित न करने का कारण यह था कि राज्य चिकित्सा पंजियां तैयार नहीं हुई थीं । इस विलम्ब की पूरी जिम्मेदारी राज्य सरकारों के कन्धों पर रखना ग़लत है । इसलिये कि १९५६ के इस अधिनियम के प्रवर्तित होने के बाद ही राज्य सरकारों को अपने राज्यों के सभी लाइसेंसशुदा चिकित्सकों की राज्य चिकित्सा पंजी तैयार करनी थी । इसके पहले यह काम हो भी नहीं सकता था । पंजियां पूरी करने के लिये इस अधिनियम का प्रवर्तित होना जरूरी था ।

इस अधिनियम को प्रभावी बनाने पर कठिनाई यह पड़ेगी कि मौजूदा चिकित्सा परिषद् अपना काम बन्द कर देगी, फिर नयी चिकित्सा परिषद् बनाई जायेगी । इन दोनों के बीच में कोई चिकित्सा परिषद् ही नहीं रहेगी । यह हमारे विधान की त्रुटि है । यदि विधेयक में पहले से ही इसकी व्यवस्था कर दी जाती, तो इस संशोधन विधेयक की जरूरत ही नहीं पड़ती । इसीलिये अब मौजूदा चिकित्सा परिषद् की कार्यावधि बढ़ानी पड़ रही है । मैं इसका समर्थन करता हूं ।

लेकिन बड़ी विचित्र सी बात तो यह है कि हम से मौजूदा चिकित्सा परिषद् की कार्यावधि बढ़ाने के लिये तो कहा जा रहा है, पर उसके अभी तक के कार्य के बारे में हमें कुछ भी नहीं बताया जा रहा है । हमें इसका अनुमोदन करने से पहले यह जानना जरूरी है कि चिकित्सा परिषद् ने अभी तक क्या, कैसा और कितना कार्य किया है ।

हमारी सारी स्वास्थ्य परियोजनायें इसीलिये असफल हो जाती हैं कि हमारे पास पर्याप्त संख्या में प्रशिक्षित शिक्षक नहीं हैं । इसलिये देश की चिकित्सा सम्बन्धी शिक्षा में सुधार करना आवश्यक है । मंत्रालय के अपने ही एक प्रकाशन में यह बात मानी है कि देश में चिकित्सा सम्बन्धी शिक्षा का मानदण्ड ऊंचा नहीं उठा है । इसे तो सभी मानते हैं । लेकिन प्रश्न तो यह है कि इसका सुधार करने के लिये किया क्या जा रहा है । इसके लिये सब से बुनियादी आवश्यकता तो यह है कि हम अधिक से अधिक संख्या में डाक्टर प्रशिक्षित करने की सुविधायें जुटायें ।

मैं डा० सुशीला नायर की इस बात का समर्थन करता हूं कि अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान परिषद् को चिकित्सा परिषद् के क्षेत्राधिकार में ही रखना चाहिये ।

१९५६ के अधिनियम को कार्यान्वित करने में अब जरा भी विलम्ब नहीं किया जाना चाहिये, क्योंकि देश में ऐसे बहुत से डाक्टर हैं जिनके पास कुछ ऐसी विदेशी डिग्रियां हैं जिन्हें १९३३ के अधिनियम में मान्यता नहीं दी गई थी ।

दूसरी चीज यह है कि हमें ऐसे देशों की चिकित्सा सम्बन्धी डिग्रियों को मान्यता नहीं देनी चाहिये, जो हमारे देश की ऐसी डिग्रियों को मान्यता नहीं देते । हमारे देश के डाक्टरों को विदेशी चिकित्सा विश्वविद्यालयों में उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने की सुविधायें भी दी जानी चाहियें ।

लाइसेंसशुदा चिकित्सक भी देश की जनता की बड़ी सेवा कर रहे हैं । वे चिकित्सा कालेजों के स्नातकों के बराबर अर्हतायें तो नहीं रखते, लेकिन उन्हें चिकित्सा परिषद् से अलग नहीं रखा

†मूल अंग्रेजी म

जाना चाहिये । १९५६ के अधिनियम में यह बात मान ली गई है । अब मेरा अनुरोध है कि अखिल भारतीय चिकित्सा पंजी बन कर तैयार होने के समय तक भी उनको चिकित्सा परिषद् से अलग न रखा जाये । तब तक चिकित्सा परिषद् में उन्हें अपने सात प्रतिनिधि भेजने का अधिकार दिया जाये ।

†**श्री नांजप्प** (नीलगिरि) : यह विधेयक १९५६ के पूरे अधिनियम को प्रवर्तित करने के लिये है, इसलिये मैं इसका स्वागत नहीं कर सकता ।

१९३३ के अधिनियम के अनुसार देश के बहुत से चिकित्सक अखिल भारतीय चिकित्सा पंजी में अपने नाम दर्ज नहीं करा सके थे । १९५६ के अधिनियम ने उन्हें यह अधिकार दिया और साथ ही चिकित्सा परिषद् के लिये अपने प्रतिनिधि चुनने का भी अधिकार दिया । लेकिन १९५६ के अधिनियम के प्रवर्तित न होने के कारण, वे अभी तक कोई भी फायदा नहीं उठा सके हैं ।

उनको अखिल भारतीय चिकित्सा पंजी में सम्मिलित न करने का एक कारण यह बताया गया है राज्यों के पुनर्गठन के कारण पंजी तैयार नहीं की जा सकी । राज्यों का पुनर्गठन बहुत पहले हो चुका है और उन राज्यों की विधान सभाओं के चुनाव हुए भी अब डेढ़ वर्ष हो गया है ।

इन चिकित्सकों के नाम राज्य सूची में तो हैं ही, इसलिये उन्हें अखिल भारतीय चिकित्सा पंजी में सम्मिलित करने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिये । काम सिर्फ इतना ही है कि उनके सही पते हासिल कर लिये जायें । हर जिले के जिला चिकित्सा अधिकारी अपने पूरे जिले की सूची बना कर भेज सकते हैं ।

समाचार पत्रों में या पैम्फलेटों के जरिये विज्ञापन करके भी यह सूचियां तैयार कराई जा सकती हैं । यह कोई बड़ा काम नहीं है । लेकिन पता नहीं इसे टाला क्यों जा रहा है ।

इस संशोधन विधेयक को प्रस्तुत करने का दूसरा कारण यह बताया जा रहा है कि नयी चिकित्सा परिषद् बनने तक मौजूदा चिकित्सा परिषद् की कार्यावधि बढ़ा दी जाये । यह ठीक नहीं है । इस से उन तमाम लोगों को शिकायत होगी जिन के नाम चिकित्सा पंजी में दर्ज नहीं हो पाये हैं । कुछ महीनों तक चिकित्सा परिषद् के निलम्बित होने से कुछ भी नहीं बिगड़ेगा । चन्द ही महीनों में नयी चिकित्सा परिषद् का चुनाव कराया जा सकता है ।

मैं अनुरोध करता हूं कि अखिल भारतीय चिकित्सा पंजी में सभी के नाम सम्मिलित करके, शीघ्र ही चिकित्सा परिषद् का चुनाव कराया जाये ।

†**डा० मेलकोटे** (रायचूर) : मैं इस संशोधन का स्वागत करता हूं ।

ब्रिटिश शासनकाल में लाइसेंसशुदा डाक्टरों और चिकित्सा कालेजों के स्नातक डाक्टर में विभेद किया जाता था । लाइसेंसशुदा डाक्टरों को नीचा समझा जाता था । इस विभेद के खिलाफ़ देश के सभी चिकित्सकों ने और उनकी संस्था—'अखिल भारतीय चिकित्सा संस्था सम्मेलन'—ने शुरू से ही आवाज़ उठाई है ।

पिछले युद्ध के समय में ब्रिटिश शासन को लाइसेंसशुदा डाक्टरों की सेवा की जरूरत पड़ी थी, और तभी उनको अन्य डाक्टरों के बराबर का दर्जा दिया गया था । उनमें से अभी भी कितने ही सेना में ऊंचे-ऊंचे पदों पर मौजूद हैं । लेकिन हमारी भारतीय चिकित्सा परिषद् तो अभी भी उनको बराबरी का दर्जा नहीं देना चाहती । उन्हें तीसरी अनुसूची के भाग २ में ही रखा गया है ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

[डा० मेलकोटे]

मैं तो यह महसूस करता हूं कि लाइसेंसशुदा डाक्टरों को चिकित्सा परिषद् में अपने सात प्रतिनिधि भेजने का अधिकार देना ही काफ़ी नहीं है। राज्य चिकित्सा पंजियों के तैयार होने में विलम्ब के कई कारण हैं, लेकिन लाइसेंसशुदा डाक्टरों की अपनी भावना यह है कि कालेजों के स्नातक बड़े-बड़े डाक्टर उनको अपने बराबर दर्जा नहीं देना चाहते और इसीलिये राज्य चिकित्सा पंजियों की तैयारी में विलम्ब किया जा रहा है। मैं इसीलिये इस अधिनियम को प्रवर्तित करने के निर्णय का स्वागत करता हूं। देश में सभी इस के पक्ष में हैं।

मैं डाक्टर सुशीला नायर की इस बात का समर्थन करता हूं कि अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान प्रतिष्ठान को भारतीय चिकित्सा परिषद् के क्षेत्राधिकार में ही रखा जाये। इस प्रतिष्ठान का काम है कि वह दूसरी चिकित्सा संस्थाओं का मानदण्ड निश्चित करे। भारतीय चिकित्सा परिषद् का भी यही दायित्व है। यह काम चिकित्सा परिषद् का ही है कि वह देखे कि सभी संस्थायें एक मानदण्ड बनाये रखती हैं या नहीं। प्रतिष्ठान द्वारा निश्चित मानदण्डों को परखने का कार्य चिकित्सा परिषद् ही कर सकती है।

तीसरी चीज़ यह है कि अब देश में कहीं भी लाइसेंसशुदा डाक्टरों को प्रशिक्षित करने या लाइसेंस देने की प्रणाली नहीं है। इसलिये अब नये लाइसेंसशुदा डाक्टर बनने का कोई सवाल ही नहीं रह जाता और अगले पचास या साठ वर्षों में देश में लाइसेंसशुदा डाक्टर ही नहीं रह जायेंगे। हमारी भारतीय चिकित्सा परिषद् यह नहीं चाहती कि विदेशों में जाकर अतिरिक्त अर्हतायें प्राप्त करें। कुछ अमरीकी और जर्मन चिकित्सा संस्थायें भी हमारी वैद्यक की डिग्रियों को मान्यता देती हैं। वैद्यक की डिग्रियां प्राप्त करने के बाद, लोग यहां से विदेशों में जाकर और ऊंची एलोपेथिक डिग्रियां प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन हमारी चिकित्सा परिषद् उनको यहां लौटने पर मान्यता देने को तैयार नहीं। वह कहती है कि ऐसे लोगों के पास भारतीय एलोपैथी की डिग्रियां तो नहीं हैं, इसलिये उनके नाम पंजी में दर्ज नहीं किये जा सकते। इसीलिये, मैं कहता हूं कि भारतीय चिकित्सा परिषद् को पुरानी लीक पर ही नहीं चलना चाहिये, बल्कि एक नयी दिशा में चलना चाहिये। मैं तो कहता हूं चिकित्सा परिषद् के चुनाव होने तक के समय के लिये सरकार को लाइसेंसशुदा डाक्टरों के सात प्रतिनिधि नामजद करके चिकित्सा परिषद् में भेजने चाहियें। देश के सभी लाइसेंसशुदा डाक्टर इसका स्वागत करेंगे।

†**श्री मू० चं० जैन (कैथल)** : मैं इस संशोधन विधेयक का स्वागत करता हूं।

इसके बारे में मुझे शिकायत यह है कि इस अधिनियम में संशोधन करने में सरकार ने १८ महीने क्यों लगा दिये। इस प्रकार सरकार ने सारे देश के चिकित्सा से सम्बन्धित व्यक्तियों को इस अधिनियम के लाभ से १८ महीने तक वंचित रखा है। ऐसे विलम्ब से प्रशासन पर कलंक लगता है। पंजाब के लोगों ने १९५६ के इस अधिनियम को प्रभावी बनाने के लिये मंत्रालय को लिखा भी था, लेकिन मंत्रालय ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। भविष्य में ऐसा विलम्ब नहीं होना चाहिये।

†**श्री करमरकर** : मैं अपने सभी माननीय साथियों का आभारी हूं जिन्होंने इस वाद-विवाद में भाग ले कर इस विधेयक का एक स्वर से समर्थन किया है। यह भी ठीक ही था कि उन्होंने अपने कुछ सुझाव भी दिये हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

सब से पहले बोलने वाले मेरे माननीय मित्र ने सुझाव दिया कि इसका भी कुछ अनुमान लगाया जाना चाहिए कि क्या परिषद् ने उतना काम किया है जितने की हम ने उससे आशा की थी।

मेरा यह कर्तव्य है कि सभा को मैं बताऊं कि भारतीय चिकित्सा परिषद् ने, जिसका काम यह था कि चिकित्सा शिक्षा का स्तर सर्वोत्तम प्रकार का बनाया जाये, अपने इस कार्य को सराहनीय रूप में पूरा किया है। माननीय सदस्य जानते हैं कि गत दो वर्षों में कितनी शीघ्रता से मेडिकल कालिज बने हैं। यह बहुत अच्छा है परन्तु इन कालिजों को जितनी अर्हता वाले अध्यापक चाहिए थे उतनी अर्हता वाले उन्हें हमेशा नहीं मिले हैं। अपनी संस्थाओं, अपने निरीक्षकों के द्वारा भारतीय चिकित्सा परिषद् का यही काम रहा है कि वह इन बातों पर ध्यान रखें। उन्होंने अपने इस काम को पूरी तरह से किया है और विद्यार्थियों के अध्ययन के लिये पर्याप्त प्रबन्ध करने के लिये सुन्दर सुझाव दिये हैं। संभवतया डा० सुशीला नायर ने यह सुझाव दिया था कि भारतीय चिकित्सा परिषद् को इस पर भी विचार करना चाहिए कि डाक्टरों को क्षेत्रों में जो बड़ी संख्या में डाक्टर काम कर रहे उनके साथ काम करने के लिये किस प्रकार प्रशिक्षित किया जाये। नई व्यवस्था में समन्वय रखना बड़ा आवश्यक है। सभा में यह बार बार बताया जा चुका है कि इस मामले में सरकार का विचार यह है कि केवल समन्वय ही नहीं होना चाहिए अपितु चिकित्सा की अन्य पद्धतियों में जो कुछ भी अच्छी बातें हों उनको स्वीकार करना चाहिए। इस सम्बन्ध में कोई मतभेद नहीं हो सकता और मैं समझता हूं कि शीघ्रता से एक नवीनता आती जा रही है। आधुनिक चिकित्सा पद्धति मानने वाले डाक्टरों आदि के लिये यह उचित नहीं है कि चिकित्सा की अन्य पद्धतियों अथवा उसके चिकित्सकों से अपने को ऊंचा समझें और उनसे अलग रहने का प्रयत्न करें। मैं आशा करता हूं कि परिवर्तन आता जा रहा है जिससे देश के सर्वोत्तम चिकित्सकों का हम लाभ उठा पायेंगे।

डा० सुशीला नायर तथा डा० मेलकोटे ने यह मत व्यक्त किया कि अखिल भारतीय चिकित्सा संस्था को भारतीय-चिकित्सा परिषद् के क्षेत्र से अलग क्यों रखा गया, हाल में ही लगभग दो वर्ष पूर्व, संसद् ने एक अधिनियम पारित किया था जिसके अनुसार यह चिकित्सा संस्था बनाई गई थी। संसद् ने उस समय इस संस्था को चिकित्सा परिषद् की जांच से अलग रखा था। इतने शीघ्र इसका पता लगाना असम्भव है कि चिकित्सा परिषद् से बाहर रह कर संस्था ने किस प्रकार का काम किया है।

इस सम्बन्ध में दोनों ओर से बहुत कुछ कहा जा सकता है। एक ओर तो यह मत है जो डा० सुशीला नायर तथा डा० मेलकोटे ने व्यक्त किया है कि जब हमने भारतीय चिकित्सा परिषद् इस उद्देश्य से बनाई है कि चिकित्सा शिक्षा का स्तर सर्वोत्तम प्रकार का बनाया जाये तो फिर इस उच्च संस्था को चिकित्सा परिषद् के क्षेत्र से बाहर क्यों रखा जाये। दूसरे पक्ष का यह मत है कि चिकित्सा विज्ञान की अखिल भारतीय संस्था का उद्देश्य बड़ा महान् है इसलिये सम्भव है कि इसको यदि किसी अन्य संस्था की जांच से, एक एकीकृत संस्था अथवा एक विश्वविद्यालय के समान अलग रखा जाये तो वह उद्देश्य को अच्छी तरह से पूरा करेगी। रुड़की इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय इसी प्रकार से काम कर रहा है। वास्तव में ख्याल यह था कि इस संस्था को अधिक से अधिक स्वायत्तता दी जाये। खैर, मैं इस मामले को सरकार द्वारा फिर विचार करने के लिये रखूंगा।

†**अध्यक्ष महोदय** : इन दो वर्षों का इस सम्बन्ध में क्या अनुभव है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री करमरकर : अभी यह संस्था बनी ही नहीं है । अब तक केवल १८ अवर-स्नातक निकले हैं । अभी ठीक तरह से काम आरम्भ नहीं हुआ है । लगभग तीन चार वर्ष लग जायेंगे जब वास्तव में काम आरम्भ किया जायेगा । उनका भवन भी अभी नहीं बना है और इसीलिये उनकी क्लास उस भवन में हो रही है जिसको मूलतः नर्सों के कालिजों के लिए निर्धारित किया गया था । इस समय इस प्रकार की स्थिति है ।

जैसा कि मैंने बताया, सभा में बताई गई बातों पर ध्यान दिया जायेगा और इस पर पुनर्विचार किया जायेगा । क्योंकि अखिल भारतीय चिकित्सा परिषद् एक स्वायत्तशासी संस्था है इसलिये हमें उनकी राय भी लेनी होगी उनकी राय जानने के लिए मैं सभा के विचारों को संस्था को भी भेज दूंगा । क्योंकि सरकार को इस पर पुनः विचार करना है इसलिये मैं सरकार की राय के बारे में इस समय कुछ नहीं कहना चाहता हूं ।

श्री कोडियान तथा अन्य एक सदस्य ने कहा कि सभा में इस को इतने विलम्ब से क्यों प्रस्तुत किया गया मैं यह बताना चाहता हूं कि पुराने अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार हम नई चिकित्सा परिषद् बना सकते थे और नाम निर्देशन कर सकते थे । अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार नई चिकित्सा परिषद् में कमियां होने पर भी हम काम तो कर ही सकते थे परन्तु प्रश्न उठता था कि क्या यह बुद्धिमानी होती । इस बीच राज्य सरकारों की ओर से भी कुछ विलम्ब हो गया जितना शायद नहीं होना चाहिए था । मैं इस सम्बन्ध में राज्यों के लिये कुछ कहना नहीं चाहता हूं क्योंकि उनकी अपनी भी कुछ कठिनाइयां होती हैं और जब वह किसी अधिनियम को लागू करने के लिए कोई तिथि बताती हैं तो राज्य सरकारों के सहयोग के लिए और अधिनियम के सुचारू रूप से क्रियान्वित करने के लिये हमें उनकी बात माननी पड़ती है । हमने पर्याप्त प्रतीक्षा की और अब यह सोचा कि यदि अधिनियम की भावना को बनाये रखना है तो अब प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए ।

इसीलिये हमने, इस विधेयक को प्रस्तुत किया । हमने यह ठीक नहीं समझा कि सारे सदस्यों का नाम निर्देशन करके एक दोषपूर्ण चिकित्सा परिषद् बनाई जाये । हमने यह ठीक समझा कि ठीक प्रकार से गठित एक संस्था से यानी कानून के अनुसार अब जो भारतीय चिकित्सा परिषद् बनी है उससे ज्यादा अच्छी तरह से काम किया जा सकता है । और इसीलिये राज्य सरकारों की पंजियां पूरी होने तक हमें प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिये । जैसा कि मैंने बताया हमारा यह विचार भी नहीं था कि ऐसी परिषद् बनाई जाये जो चुनाव सिद्धान्तों आदि के विपरीत है ।

इसलिये हमने यह विधेयक प्रस्तुत किया । हम चाहते तो यह भी कर सकते थे कि अधिनियम को राष्ट्रपति की अनुमति मिलने के पश्चात् छः अथवा सात महीनों तक राज्य सरकारों की पंजियां पूरी होने तक प्रतीक्षा करते और फिर कह देते कि जिन राज्यों की पंजियां पूरी नहीं हैं वे उसके नतीजे खुद भुगतेंगे । परन्तु हमने इस व्यवस्था को ठीक नहीं समझा ।

यह मत भी व्यक्त किया गया कि चुनाव आदि के पश्चात् भारतीय चिकित्सा परिषद् बनने तक वर्तमान भारतीय चिकित्सा परिषद् में ही, जिसकी अवधि हम बढ़ाना चाहते हैं लाइसेंसशुदा चिकित्सकों का प्रतिनिधित्व कर देना चाहिए ।

श्रीमान्, मेरा ध्यान कई बार लाइसेंसशुदा चिकित्सकों की शिकायतों की ओर दिलाया गया है । उनका ऐसा विचार है कि नई व्यवस्था में उनके हितों पर ध्यान नहीं रखा गया है । मेरा अपना विचार है कि यदि हम देश के लाइसेंसशुदा चिकित्सकों की मूल्यवान सेवायों को भुला देंगे तो उनके साथ अन्याय करेंगे । वह पद्धति पहले थी प्रचलित परन्तु बाद में लाइसेंस शुदा चिकित्सकों तथा चिकित्सा स्नातकों की विभिन्नता को दूर करके सभी के लिए एक डिग्री बना दी गई ।

---

†मूल अंग्रेजी में

प्रतिनिधित्व के मामले में, मैंने देखा है कि उनका विचार है कि कभी कभी उनके हितों की उपेक्षा की जाती है। मैं उनकी भावनाओं को समझता हूं यद्यपि यह बात सर्वथा ठीक नहीं होती है। एक संशोधन सभा के सम्मुख प्रस्तुत हुआ है कि इस अन्तरिम अवधि में भी भारतीय चिकित्सा परिषद् अधिनियम, १९५६ की तीसरी अनुसूची के भाग एक में बताई गई चिकित्सा अर्हताओं वाले व्यक्तियों का नामनिर्देशन किया जाये।

पहले हमारा विचार था कि क्योंकि ऐसी व्यवस्था अन्तरिम अवधि के लिए की जा रही है इसलिए चिकित्सा परिषद् को लाइसेंसशुदा चिकित्सकों का रखा जाना आवश्यक नहीं है। परन्तु क्योंकि इतना समय व्यतीत हो चुका है और अधिनियम में सिद्धान्ततः हमने स्वीकार कर लिया है कि उनका प्रतिनिधित्व होगा तो पुनः विचार करने के पश्चात् और माननीय सदस्यों को सुनने के पश्चात् मेरा विचार है कि लाइसेंसशुदा चिकित्सों को इस सम्बन्ध में शिकायत का मौका नहीं दिया जाना चाहिये। इसलिये मैं सभा को बताना चाहता हूं कि समय आने पर मैं इसके लिये एक संशोधन प्रस्तुत करूंगा कि पंक्ति १५ में "१९३३" के पश्चात् यह शब्द जोड़े जायें—"उन सात सदस्यों को मिला कर, जो उसमें केन्द्रीय सरकार द्वारा किसी भी राज्य चिकित्सा पंजी में दर्ज हुए उन लोगों में से नामज़द किये गये होंगे, जिनके पास इस अधिनियम की तीसरी अनुसूची के भाग १ में दी गई चिकित्सा अर्हतायें होंगी"। जैसी आप अनुमति देंगे, अर्थात् मैं स्वयं अथवा और कोई सदस्य इस संशोधन को प्रस्तुत कर देंगे। इससे माननीय सदस्यों की इच्छा पूरी हो जायेगी।

मैं इससे अधिक और समय लेना नहीं चाहता हूं। डा० सुशीला नायर तथा अन्य कई महानुभावों ने बड़े सुन्दर सुझाव दिये हैं और उन पर पूर्णतया विचार किया जायेगा।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है:—

कि भारतीय चिकित्सा परिषद् अधिनियम, १९५६ में संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये"।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड २—(धारा ३४ के स्थान पर नई धारा का रखा जाना)

†**श्री करमरकर** : मैं प्रस्ताव करता हूं

पृष्ठ १—पंक्ति १५ में "१९३३" के पश्चात् यह जोड़ा जाये :—

" With the addition of seven members nominated thereto by the Central Government from among persons enrolled on any of the State Medical Registers who possess the medical qualifications included in Part I of the Third Schedule to this Act"

["उन सात सदस्यों को मिला कर, जो उसमें केन्द्रीय सरकार द्वारा किसी भी राज्य चिकित्सा पंजी में दर्ज हुए उन लोगों में से नामजद किये गये होंगे, जिनके पास इस अधिनियम की तीसरी अनुसूची के भाग १ में दी गई चिकित्सा अर्हतायें होंगी"]

†**श्री कोडियान** : मैं अपना संशोधन संख्या २ प्रस्तुत करता हूं।

†**श्री हाल्दर** (डायमण्ड हार्बर—रक्षित—अनुसूचित जातियां) : मैं अपना संशोधन संख्या १ प्रस्तुत करता हूं।

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

१९५६ के भारतीय चिकित्सा परिषद् अधिनियम में यह रखा था कि परिषद् को यह अधिकार होगा कि किन अर्हताओं को मान्यता दी जाये। इसमें कोई सन्देह नहीं है कि सरकार का विचार सभी

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री हाल्दर]

चिकित्सकों को लाइसेंस देने का है परन्तु देहातों में ऐसे चिकित्सक भी हैं जिनके पास कोई डिग्रियां नहीं हैं और फिर भी वह वहां की जनता की चिकित्सा करते हैं। हमें इनकी दशा पर भी विचार करना चाहिये।

दूसरी बात यह है कि भारतीय चिकित्सा परिषद् से केन्द्रीय सरकार अथवा स्वास्थ्य मन्त्रालय का इन अधिकारों का लेना ही पर्याप्त नहीं हैं क्योंकि उस स्थिति में परिषद् का संचालन कुछ सरकारी कर्मचारियों के हाथ में आ जायेगा और जनता की शिकायतें दूर नहीं होंगी। आज हम देखते हैं कि हमारे अस्पतालों, मैडिकल कालिजों में कितना कुप्रबंध है। इर्विन अस्पताल के विरुद्ध रोज ही शिकायतें सुनने को मिलती हैं। हाल ही में कलकत्ते में बंगाल के मुख्य मन्त्री से एक प्रतिनिधि मण्डल अस्पतालों की बुराइयों के सम्बन्ध में मिला था। तीन महीने पहले आर० जी० कार मैडिकल कालिज का प्रबन्ध बंगाल सरकार ने अपने हाथ में ले लिया था। परन्तु इसका प्रबन्ध सरकार द्वारा ले लेना ही पर्याप्त नहीं है अपितु रोगियों और डाक्टरों का ध्यान रखना भी आवश्यक है। इसीलिए मेरा यह कहना है कि यदि केन्द्रीय सरकार इनका प्रबन्ध अपने हाथ में ले लेती है तो इससे समस्या सुलझ नहीं जायेगी। मैं समझता हूं कि देश में एक ऐसी संस्था है जिसको यदि अधिकार दिए जायें तो यह समस्या सुलझ जायेगी।

†**श्री करमरकर** : मैं श्री हाल्दर की बात अच्छी तरह नहीं समझ सका हूं। ऐसा मालूम होता है कि उनको कुछ ऐसा भ्रम है कि सरकार कुछ संस्थाओं को ले लेना चाहती है। इस प्रकार की कोई बात नहीं है। हमारा इरादा यह है ज्यूंही १९५६ का अधिनियम लागू होगा पुराना अधिनियम रद्द हो जायेगा। इस प्रकार उस अधिनियम के अधीन बनी भारतीय चिकित्सा परिषद् भी खत्म हो जायेगी। नये अधिनियम को लागू करने यानी पुराने को हटाने में और वर्तमान अधिनियम के अनुसार नई परिषद् के बनाने में कुछ समय लगेगा। विधेयक का उद्देश्य पुरानी तथा नई परिषद् को लगातार बनाये रखने का है।

दूसरा संशोधन एक विशेष श्रेणी में से सात व्यक्तियों को लेने के सम्बंध में है। यदि नई परिषद् बनने से पहले कोई स्थान रिक्त हो जाता है तो किसी न किसी को तो नाम निर्देशित करने के अधिकार दिये ही जायेंगे और इसके लिये सरकार से बढ़ कर कौन हो सकता है। हम चाहते हैं कि रिक्त स्थानों के लिये नाम निर्देशत करने के अधिकार इस उत्तरदायी सरकार को दिये जायें। मैं आशा करता हूं कि माननीय सदस्य मेरी बात समझ गये होंगे। मैं उनके संशोधन का विरोध करता हूं।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य अपने संशोधनों पर आग्रह नहीं कर रहे हैं।

संशोधन संख्या १ और २ सभा की अनुमति से वापस लिये गये

---

†मूल अंग्रेजी में

†उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं सरकारी संशोधन मतदान के लिये रखता हूं। प्रश्न यह है कि :

पृष्ठ १, पंक्ति १५ में "१९३३" के पश्चात् यह जोड़ा जाये :—

" with the addition of seven members nominated thereto by the Central Government from among persons enrolled on any of the State Medical Registers who possess the medical qualification's included in Part I of the Third Schedule to this Act".

["उन सात सदस्यों को मिला कर, जो उसमें केन्द्रीय सरकार द्वारा किसी भी राज्य चिकित्सा पंजी में दर्ज हुये उन लोगों में से नामज़द किये गये होंगे, जिनके पास इस अधिनियम की तीसरी अनुसूची के भाग १ में दी गई चिकित्सा अर्हतायें होंगी "]

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खंड २ संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड २, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खंड १, अ अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये ।

†**श्री करमरकर** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को संशोधित रूप में पारित किया जाये ।"

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को संशोधित रूप में पारित किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

दिल्ली किराया नियंत्रण विधेयक

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार)** : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"दिल्ली किराया नियंत्रण विधेयक, १९५८ को दोनों सभाओं की ४५ सदस्यों की एक संयुक्त समिति को सौंपा जाये जिसमें ३० सदस्य अर्थात्, श्री राधा रमण, चौधरी ब्रह्म प्रकाश, श्री च० क० नायर, श्री नवल प्रभाकर, श्रीमती सुचेता कृपालानी, श्रीमती सुभद्रा जोशी, श्री न० र० घोष, श्री रामी रेड्डी, डा० सुब्बारायन, श्री क० भे० मालवीय, श्री कृष्ण चन्द्र, श्री बाल्मीकी, श्री उमराव सिंह, श्री कालिका सिंह, श्री नेसवी, श्री राने, श्री चन्द्र शंकर, श्री भोला राउत, श्री फ० गो० सेन, सरदार इक़बाल सिंह, श्री बासप्पा, श्री दातार, श्री वें० प० नायर, श्री परुलेकर,

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री दातार]

श्री खुशवक्त राय, श्री राम गरीब, श्री माने, श्री उ० ल० पाटिल, श्री सुबिमन घोष, श्री बै० ना० कुम्भार, इस सभा के हों और १५ सदस्य राज्य सभा के हों,

कि समिति की बैठक गठित करने के लिये गणपूर्ति संयुक्त समिति के कुल सदस्यों की संख्या की एक तिहाई होगी,

कि समिति इस सभा को अगले सत्र के पहले दिन तक अपना प्रतिवेदन देगी,

कि अन्य मामलों में संसदीय समितियों से सम्बन्धित इस सभा के प्रक्रिया नियम ऐसे परिवर्तनों और रूपभेदों के साथ लागू होंगे जो अध्यक्ष द्वारा किये जायें, और

कि यह सभा, राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा उक्त संयुक्त समिति में सम्मिलित हो और राज्य सभा अपने द्वारा संयुक्त समिति में नियुक्त किये जाने वाले सदस्यों के नाम लोक-सभा को बतायें ।"

श्रीमान्, संहारक महायुद्ध के आरम्भ होने के परिणामस्वरूप सरकार तथा जनता के सम्मुख किराये के नियंत्रण का प्रश्न उठा । जब कभी सरकार ने देखा कि किरायों में अनुचित वृद्धि होती जा रही है तभी कार्यवाही की । १९३९ में द्वितीय महायुद्ध के आरम्भ होने के तुरन्त पश्चात् १९३९ का आदेश जारी किया गया । उस आदेश से नई दिल्ली में किराया नियंत्रण लागू किया गया और जो किराये १-१-३९ को लागू थे उन्हें नियमोचित किराया मान लिया गया । यह व्यवस्था की गई कि मकान मालिक इससे अधिक किराया न ले सकेंगे । उसके पश्चात् १९४४ में दिल्ली किराया अध्यादेश लागू किया गया और समस्त पुरानी दिल्ली पर भी किराये के नियंत्रण की व्यवस्था लागू कर दी गई । वहां के लिये भी १९३९ का किराया ही नियमोचित किराया रखा गया । दुकानें इत्यादि के किराये के लिये यह व्यवस्था की गई कि जिन का किराया १५ रुपये महीना से कम है उनमें थोड़ी वृद्धि की गुंजाइश रखी जाये । निर्माण तथा मरम्मत के लिये भी थोड़ी सी वृद्धि की व्यवस्था की गई थी । जो वृद्धि इस आधार पर की जा सकती थी वह सुधार या होने वाली लागत के ६$^{1}/_{4}$ प्रतिशत तक ही हो सकती थी । इसके पश्चात १९४७ में दिल्ली–अजमेर मेरवाड़ा किराया नियंत्रण अधिनियम पारित किया गया । इससे यह किया गया कि १९३९ तथा १९४४ की व्यवस्थाओं द्वारा जो किराया नियमोचित रखा गया था उसे "आरंभिक" किराये की संज्ञा दी गयी । तब यह भी समझा गया कि मकान बनाने की सामग्री के मूल्य बढ़ जाने के कारण थोड़ी और वृद्धि का भी उपबन्ध होना चाहिये । अतः १९४७ में पहली बार किराये में कुछ प्रतिशत की वृद्धि की गई और इस विधेयक में भी वह प्रतिशत दिया गया है जिसे हम "बुनियादी किराया" कह सकते हैं ।

इस विधेयक को ठीक तरह से समझने के लिये तीन शब्दों को पहले समझना होगा । एक तो है "आरम्भिक" किराया जो १९३९ तथा १९४४ के आदेशों से हुआ था, दूसरा है "बुनियादी किराया" । यद्यपि ये शब्द पहले प्रयोग नहीं होते हैं किन्तु इस विधेयक को समझने के लिये यह जानना आवश्यक है कि "बुनियादी किराया" किस चीज को कहते हैं ।

इस विधेयक की द्वितीय अनुसूची में "बुनियादी किराये" की व्याख्या की गई है । कंडिका २ में "आरम्भिक किराये" की परिभाषा दी गई है और वह वह किराया था जो २ जून, १९४४ से पूर्व था । आरम्भिक किराये के पश्चात् "बुनियादी किराया" निश्चित किया गया और उसका उल्लेख अनुसूची की तृतीय कंडिका में है । उसमें थोड़ी वृद्धि की आज्ञा दी गई है । उसमें लिखा है :

"जहां एक मकान, जिस पर कंडिका (२) लागू हो, निवास के लिये या अस्पताल चलाने, स्कूल चलाने, पुस्तकालय खोलने या वाचनालय बनाने या अनाथालय खोलने के लिये किराये पर दिया गया हो उसका बुनियादी किराया आरम्भिक किराये से —अधिक होगा ?"

थोड़ी सी वृद्धि का उल्लेख है ताकि गरीब किरायेदारों पर बोझ न पड़े। किन्तु यह आवास तथा कुछ लाभप्रद प्रयोजनों के लिये है। जो मकान अन्य प्रयोजनों के लिये किराये पर दिये जायें उनका बुनियादी किराया आरम्भिक किराये से पहली प्रतिशत का दुगना करके निर्धारित होगा। १९४७ के दिल्ली-अजमेर मेरवाड़ा किराया नियंत्रण अधिनियम में किराया बढ़ाने के यह उपबन्ध थे। यह १९५२ तक लागू रहा।

१९५२ में फिर नया अधिनियम बनाया गया जो अब तक लागू है। इस अधिनियम के अन्तर्गत किराया ता न बढ़ाया गया किन्तु दो उपबन्ध बना दिये गये। एक तो उसमें यह बात निर्धारित की गयी कि मकान मालिक किराये के रूप में कितना उचित लाभ प्राप्त करे। यह व्यवस्था कर दी गई कि जो मकान १९४४ के पश्चात् किराये पर चढ़े हैं उनका किराया ७ $^1/_2$ प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिये। दूसरे लागों को मकान बनाने के उत्साहित करने के लिये यह उपबन्ध भी रखा गया कि जो मकान २ जून, १९४४ से लेकर २-६-१९५१ तक बने हैं उनका किराया वही रहे जो किरायेदार और मकान मालिक में तै हुआ हो और ७ साल तक उसका पुनरीक्षण न हो और तत्पश्चात् उस पर उचित प्रतिशत लागू हो जाये। जहां सरकार को एक ओर यह ध्यान भी था कि किरायेदार भी उचित किराया दें वहां सरकार ने इस बात का ध्यान भी रखा कि मकान मालिकों को भी भवन निर्माण करने का उत्साह रहे। अतः २ जून, १९४४ तथा २-६-१९५१ के बीच बने मकानों को छूट दे दी गई थी।

यही अधिनियम अब भी लागू है। अब इससे पर्याप्त कठिनाइयां पैदा हो गई हैं और प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। अतः सरकार ने नया अधिनियम बना कर विधि को आधुनिक परिस्थितियों के अनुसार बनाने का प्रयास किया है। नया अधिनियम बनाने के लिये कतिपय उद्देश्य सामने रखे गये हैं।

उद्देश्यों तथा कारणों के विवरण में तीन उद्देश्यों का उल्लेख किया गया है। प्रथमतः किराया उचित होना चाहिये और किरायेदार पर बोझ न पड़ना चाहिये। यह तो है पहला उद्देश्य ; दूसरे यह कि मकान की हालत भी अच्छी रहनी चाहिये ; किराये पर मकान देने के पश्चात् मकान मालिक उसकी मरम्मत तथा अन्य प्रकार की सफाई में दिलचस्पी नहीं लेते।

इसका परिणाम यह हुआ कि बहुत सारे मकानों को क्षति पहुंची। इसी उद्देश्य के कारण थोड़ी सी किराये की वृद्धि की व्यवस्था भी करनी पड़ी ताकि मकान मालिकों में मकानों को ठीक रखने का उत्साह बना रहे और उनकी बर्बादी न हो।

तीसरे आप जानते हैं कि दिल्ली की जनसंख्या बढ़ रही है और यहां बहुत से विस्थापित भी हैं। दिल्ली के विभिन्न वर्गों ने मकानों की भीषण कठिनाई को सी अनुभव किया है। सरकार भी उस दिशा में जो कुछ कर सकती है वह कर ही रही है किन्तु गैर-सरकारी क्षेत्र में भी उचित और वैध प्रेरणा देकर मकान बना सकने योग्य लोगों को इस कार्य के लिये तत्पर करना ठीक समझा गया। तीसरा उद्देश्य यही है कि मकान बनाने के लिये लोगों में उत्साह बना रहे और वे मकान निर्माण में भी पूंजी लगायें।

[श्री दातार]

पहले अधिनियमों में किरायेदारों को गलत निष्कासन से सुरक्षा की व्यवस्था की गई थी अब यह आवश्यक समझा गया कि इस सुरक्षा को भी अधिक व्यापक एवं विस्तृत बना दिया जाये ।

ये चार उद्देश्य हमने अपने सामने रखे हैं । कुछ और भी कारण थे जिनसे यह अधिनियम बनाया जा रहा है ताकि और कठिनाइयां भी दूर हो जायें । उदारहणार्थ, १९५२ के अधिनियम के अनुसार जब भी मकान मालिक तथा किरायेदार के बीच, निष्कासन, उचित किराये या नियमाचित किराये के निर्धारण का विवाद उठता था तो वह व्यवहार न्यायालय में ही हल होता था । व्यवहार न्यायालयों में हर काम में विलम्ब होता ही है और मामलों का शीघ्र निपटारा होता ही नहीं था । इस लिये यह उचित समझा गया कि यदि मकान मालिकों तथा किरायेदारों के नियमाचित किरायों या अन्य विवादों का निर्णय करने के लिये एक दूसरी व्यवस्था की जाये तब उससे शीघ्र निपटारा भी होगा और कार्य भी उचित रीति से समाप्त हो जायेगा । अतः इस विधेयक के अन्तर्गत एक नयी व्यवस्था का उपबन्ध किया गया है । इसे किराया नियंत्रकों की व्यवस्था का नाम दिया गया है ।

किराया नियंत्रक पदाधिकारियों की नियुक्ति से सम्बन्धित इसमें एक अलग अध्याय है । उनकी अर्हतायें इस प्रकार की होंगी कि वे मामलों को न्यायपालिका ढंग से निपटाने के योग्य होंगे । अतः विधेयक के उपबन्धों के अनुसार दिल्ली के वर्ग बनाये जायेंगे और प्रत्येक वर्ग में एक नियंत्रक पदाधिकारी नियुक्त किया जायेगा । प्रक्रिया के मामले में वे सामान्य प्रकार के तरीक़ों को ही अपनायेंगे । जहां तक न्याय के सिद्धान्तों का सम्बन्ध है, किराया नियंत्रक पक्षों के बयान सुनने के पश्चात् किराये का निर्धारण करेंगे तथा केवल उन्हीं मामलों में निष्कासन का आदेश देंगे जो उचित होंगे अन्यथा वह ऐसे झगड़ों में वैसे आदेश दिया करेंगे जो दिये जाने चाहियें । पहले इन्हीं मामलों पर व्यवहार न्यायालय विचार करते थे और उस प्रकार निपटारे में पर्याप्त विलम्ब होता था । इसी कारण यह ठीक समझा गया कि ऐसी व्यवस्था की जाये जिससे मामलों का निपटारा शीघ्र ही हो जाये ।

अभी मैं आपको दिल्ली-अजमेर अधिनियम ,१९५२ की धारा १३(१) के अन्तर्गत निष्कासन के उन दावों के आंकड़े दूंगा जिनका न्यायालयों ने फैसला नहीं किया है । कुल दावों की संख्या ५,३२७ है । ज्यादा दावों में यही कारण होते हैं कि किराया नहीं दिया अथवा मकान मालिक को सद्भावनापूर्ण आवश्यकता है । किराया न देने के मामलों की संख्या है ३८, किराया न देने तथा आगे किराये पर देने की मामलों की संख्या है ८४१, अपनी आवश्यकता के लिये दावा करने वालों की संख्या है ८५२ , पुनर्निर्माण के आधार पर होने वाले दावों की संख्या है ३८२, 'किरायदार तंग करने वाला है, इस आधार पर किये गये दावों की संख्या है ४३२, क्षति के आधार पर होने वाले दावों की संख्या है ३८५, और मरम्मत के आधार पर होने वाले दावों की संख्या है २२० । यह बहुत विस्तृत झगड़े हैं । आप जानते ही हैं कि मुकदमे बाज़ी में दोनों पक्षों को असुविधा होती है और जब तक निर्णय नहीं हो तब तक किरायेदार तथा मकान मालिक दोनों शोच में पड़े रहते हैं । इसी कारण मामलों के निपटारे के लिये हमने इस व्यवस्था को ठीक समझा है । किराया नियंत्रक अधिकारी के निर्णय के विरुद्ध न्यायाधिकरण में अपील हो सकती है । न्यायाधिकरण अपीलीय निकाय होगा । यदि फिर भी विधि सम्बन्धी कोई विवाद रह जाये तब दूसरी अपील की आज्ञा रखी गयी है । हमने सारांशतः व्यवहार प्रक्रिया संहिता के सिद्धान्तों का अनुसरण किया है कि यदि विधि का प्रश्न रह जाये तब उच्च न्यायालय में दूसरी अपील होनी चाहिये ।

मैं वर्तमान विधेयक के उपबन्धों का सार ही यहां बता सकूंगा । सभी उपबन्ध मकान मालिकों तथा किरायेदारों के लिये हितकारी हैं । इस विधेयक पर पत्रों के टिप्पण भी हमने देखे हैं । उनसे पता

चलता है कि मकान मालिकों तथा किरायेदारों दोनों ने ही इस के उपबन्धों को पसन्द नहीं किया है। इससे प्रकट हो जाता है कि हम ठीक हैं और हमने दोनों का ध्यान रखा है। जब दोनों ही सन्तुष्ट नहीं हैं तब यह बात सिद्ध है कि दोनों के हितों के उपबन्ध इसमें रखे गये हैं।

कतिपय व्यापक धारणाओं को सामने रखते हुये हमने इस विधेयक को समाज के सारे वर्गों के लिये हितकारी बनाने का प्रयास किया है।

सब से पहले मैं आरम्भिक किराये के सम्बन्ध में तो चार शब्द कहूंगा। जो मकान २ जून, १९५१ से लेकर ८ जून, १९५५ तक बने थे उन पर १९५२ के अधिनियम की धारायें लागू न थीं। इन्हें निर्माण की तिथि से सात वर्ष तक की छूट दी गई थी। यह उत्साह देने के प्रयोजन से किया गया था।

अब सभा खण्ड ६ तथा अनुसूची २ की ओर ध्यान दे। अनुसूची २ प्रस्तावक अनुसूची मात्र है। नियमोचित किराया क्या है; यह केस निर्धारित होगा और कहां तक बढ़ेगा; ये सब बातें खण्ड ६ में दी गई है। सिद्धान्त यह है कि बुनियादी किराये में १० प्रतिशत की वृद्धि की आज्ञा दी गई है। आप स्वतः जानते हैं कि १९५८ जैसे वर्ष में भवन निर्माण की लागत की कितनी वृद्धि हो चुकी है। ३०० प्रतिशत से भी ज्यादा लागतें बढ़ चुकी हैं। हमें मकान बनाने वालों को थोड़ी सहायता देने के लिये भी कुछ कार्यवाही करनी पड़ेगी। केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के आंकड़ों के आधार पर १९३९ में यदि लागत १०० थी तो १९५८ में अब लागत ३२५ हो चुकी है। इस परिस्थिति में थोड़ा किराया बढ़ा देना उचित ही है। अतः जो मकान २ जून १९४४ से पहले किराये पर चढ़े उनके किराये में थोड़ी वृद्धि हो सकेगी खण्ड ६ के अनुसार इनके बुनियादी किराये में १० प्रतिशत की वृद्धि जोड़कर नियमोचित किराया बन जायेगा। माननीय सदस्य इस पर ध्यान दें। लोग हमारी आलोचना करते हैं किन्तु हमने वृद्धि केवल १० प्रतिशत ही रखी हैं।

ऐसे मकानों के किराये में भी १० प्रतिशत की वृद्धि की जा सकेगी जो २ जून १९५१ से पहले बने और २ जून १९४४ के बाद किराये पर दिये गये। अन्य मामलों में जहां १९४७ तथा १९५२ के अधिनियम लागू नहीं हैं वहां वार्षिक किराया की राशि के हिसाब से किराया निर्धारित होगा ताकि भुगतान लगाई पूंजी के लाभ के ८ १/४ प्रतिशत से अधिक न हो।

खण्ड ६ में अन्य बातें भी स्पष्ट की गई हैं। माननीय सदस्य परन्तुक पर भी तनिक ध्यान दें जिसके अनुसार उन मकानों का नियमोचित किराया, जो कि २ जून, १९५१ तथा ९ जून, १९५५ के बीच बने वही होगा जो मार्च, १९५८ में था अथवा जब वह किराये पर दिये गये तब था। यह निर्माण के पश्चात् सात साल तक उतना ही रहेगा। यह उपबन्ध रियायत के लिये रखा गया है।

परन्तुक (ख) में उन मकानों के बारे में व्यवस्था की गई है जो कि ९ जून, १९५५ के पश्चात् बने या इस विधेयक के अधिनियम बन कर लागू हो जाने के पश्चात् बनेंगे। ऐसे मामलों में वही किराया जो मकान मालिक तथा किरायेदार में तै हो जायगा ५ साल तक नियमोचित किराया समझा जायेगा।

खण्ड ७ में यह उपबन्ध है कि कतिपय भुगतान या तो किरायादार करे या मकान मालिक। जहां तक बिजली पानी के खर्च के देने का सवाल है यदि स्थिति स्पष्ट न हो तब वह मकान मालिक से

[श्री दातार]

वसूल होंगे और मकान मालिक किरायेदार से उन्हें ले। भवन के कर इत्यादि देने का उत्तरदायित्व मकान मालिक पर ही होगा।

किरायेदार द्वारा किरायों पर देने का प्रश्न बड़ा ही जटिल है। यहां दो बातें रखी गयी हैं; पहले यह कि सामान्यतया किरायेदार आगे किराये पर न दे क्योंकि जब मकान किसी ने किराये पर लिया है तब उसे ही वहां रहना चाहिये। किन्तु कई बार इस प्रकार होता है कि मकान मालिक भी उस बात पर आपत्ति नहीं करता। ऐसे भी बहुत से मामले हैं।

ऐसे भी बहुत से मामले हैं कि मकान मालिक किसी स्थान को आगे किराये पर देकर स्वतः कहीं और रहने लगता है। अतः यह सोचा गया कि कुछ इस प्रकार के मामलों का विनियमन किया जाये। उसका एक पहलू तो खण्ड ७(३) में रखा गया है। खण्ड ७ द्वारा कतिपय मामलों में किराया बढ़ाया जा सकता है। यदि बाद में मकान में कोई सुधार कराया गया हो तब सीमित आधार से किराये को थोड़ी सीमा तक बढ़ाया भी जा सकता है। यह बात उपखण्ड (१) में स्पष्ट कर दी गई है। किन्तु इस प्रकार सुधार या अतिरिक्त निर्माण में सामान्य सजावट तथा सफेदी कराने आदि को सम्मिलित नहीं किया जायगा। उपखण्ड (२) के बारे में मैं बता ही चुका हूं। उक्त खण्ड (३) के अनुसार यदि कोई किरायेदार मकान को आगे किराये पर दे दे तो मकान मालिक किराये पर इस प्रकार दिये गये मकान के हिस्से के नियमोचिन किराये से १२ १/२ प्रतिशत अधिक किराया और ले सकता है यदि यह मकान रहने के लिये दिया गया हो और यदि किसी दूसरे प्रयोजन के लिये दिया गया हो तब २५ प्रतिशत से अधिक कराया नहीं बढ़ाया जा सकता। इसे किराये का विनियमन तथा वृद्धि कहते हैं।

खण्ड ८ में उस नोटिस का उल्लेख है जो मकान मालिक किरायेदार को किराया बढ़ाने के लिये देगा। जब नियमोचित किराया निर्धारित न होगा यह प्रश्न तब उत्पन्न होगा। दोनों पक्ष किराया नियंत्रक के पास जा सकेंगे और जिस प्रक्रिया के अनुसार वह कार्य करेगा उसका स्पष्टीकरण खण्ड ६ में किया गया है। किराये को नियमोचित करते समय उपखण्ड (२) के आधार पर किराया नियंत्रक विधेयक की धारा ६ तथा ७ के अनुसार ऐसा किराया निर्धारित करेगा जो कि उसे युक्तियुक्त प्रतीत हो।

उपखण्ड (३) में यह बात और भी स्पष्ट कर दी गई है। जहां ठीक किराया निर्धारण करने में पदाधिकारी को कठिनाई हो वहां वह मकान के स्थान, परिस्थितियों तथा आगे प्राप्त सुविधाओं के अनुसार भी किराया निर्धारित कर सकता है। उसे पड़ौस के मकानों का ध्यान भी रखना होगा और तब वह उचित किराया निर्धारित कर सकेगा।

अब मैं अन्तरिम किराये के निर्धारण के सम्बन्ध में भी दो एक शब्द कहूंगा। प्रायः मकान मालिक किरायेदारों पर किराया न देने के कारण बेदखली का दावा कर देते हैं। ऐसे मामलों में यदि किरायेदार यह समझता हो कि किराया न्यायोचित नहीं तब वह अन्तरिम किराया निर्धारित करा सकता है और इसे दे सकता है। यदि वह यह किराया नियमित रूप से देता है तब बेदखली नहीं होगी। समानता तथा न्याय का यह सिद्धान्त इस विधेयक में रखा गया है। खण्ड के अनुसार, यदि खण्ड ६ के अधीन नियमोचित किराया निर्धारित करने या किराये में वैध वृद्धि करने का आवेदन दिया जाता है तो नियंत्रक शीघ्रातिशीघ्र आदेश देगा जिसमें किराये का स्पष्टीकरण होगा और उस वृद्धि का स्पष्टीकरण होगा जो वैध रूप से की गई है और जिसका भुगतान उस समय तक होना

चाहिये जब तक कि उस आवेदन का अन्तिम निर्णय न हो जाय और इसके साथ ही आगे वह तारीख भी लिखेगा जिससे वह किराया लागू होगा ।

तब नियमोचित किराये में उतनी वृद्धि की जायेगी जितने की आज्ञा दी जायेगी । यह उपबन्ध खण्ड ११ में किया गया है । पहले सीमा का समय ६ मास का था । अब यह एक वर्ष है ।

इसके पश्चात् आप देखेंगे कि सरकार ने मकान मालिकों की तुलना में किरायेदारों के लिये अधिक रियायतें रखी है । यदि किसी परिस्थिति में आवश्यकता से अधिक वसूली हो गई हो तो उसे वापस किये जाने का भी उपबन्ध है और उसकी व्यवस्था खण्ड १३ में की गई है ।

अध्याय ३ भी बहुत महत्वपूर्ण है । इसमें निष्कासन के प्रश्न हैं । निष्कासन किन आधारों पर हो सकता है उनका स्पष्टीकरण खण्ड (ख) में किया गया है । पहला आधार किराया न देना है । दूसरा है आगे किराये पर दे देना या कब्जे से अलग होना । उसमें दो शर्ते रखी गयी हैं । यदि मकान १५ अप्रैल, १९५२ के पश्चात् मकान मालिक की लिखित स्वीकृति के बिना दिया गया है तब यह हो सकता है । यदि मकान उससे पूर्व किराये पर दिया गया है और मकान मालिक की स्वीकृति नहीं ली गई तो यह लागू होगा ।

यदि किरायेदार मकान को किसी दूसरे प्रयोजन के लिये प्रयोग करता है तब यह लागू होगा । इसमें शर्त है कि यदि मकान रहने के लिये दिया गया है और मकान मालिक या उसके परिवार का कोई भी सदस्य ६ महीने से उसमें नहीं रहता । यदि ६ महीने से वह वहां नहीं रह रहा तो उसको बेदखल किया जा सकता है । दूसरी बात यह है कि यदि सद्भावना से मकान मालिक मकान को अपने रहने के लिये चाहता है । यहां सद्भावना प्रयोजन के लिये नियम को थोड़ा ढीला कर दिया गया है । पहले अधिनियमों में तो मकान मालिक अपने तथा अपने परिवार के रहने के लिये मकान खाली करवा सकता था । किन्तु अब इसमें से 'परिवार' शब्द निकाल दिया गया है । परिवार शब्द व्यापक है अतः वह किसी को भी इसमें सम्मिलित कर सकता है । सद्भावनापूर्ण आवश्यकता की व्याख्या भी की गई है।

उपखण्ड (च) उन मकानों से सम्बन्धित है जो गिरने वाले हैं या रिहायश के लिये खतरनाक है और मकान मालिक को उसकी मरम्मत की आवश्यकता है ।

ऐसे बहुत से मकान किरायेदारों के कब्जे में हैं। अब कतिपय कठिनाइयों के कारण लोग उन मकानों की मरम्मत नहीं करा पाते । इसलिये घरों की हालत ठीक नही है । अतः जहां ऐसी आवश्यकता के लिये मकान की आवश्यकता पड़े तो खाली कराया जा सकता है ।

यदि मकान मालिक को मकान में सारवान तबदीली कराने के लिये मकान की आवश्यकता हो तब भी किरायेदार को बेदखल किया जा सकता है । दूसरी शर्त यह है कि किरायेदार ने यदि मकान बनवा लिया हो या उसे कोई मकान आवंटित हो गया हो तब भी उसे मकान खाली करना पड़ेगा । यदि किरायेदार के पास अपना मकान हो तब तो उसका उस मकान में रहना बिल्कुल गलत है । हो सकता है कि किरायेदार उस मकान को लाभ के लिये किराये पर दे आया हो । ऐसे मामले में भी बेदखली हो सकती है ।

दूसरी शर्त यह है कि मकान मकान् मालिक ने इस कारण दिया था कि वह मकान मालिक की सेवा करता था । इस लिये यदि उसकी सेवा समाप्त हो जाती है तो प्राकृतिक रूप से उसकी हैसियत किरायेदार की भी नहीं रहती ।

[श्री दातार]

कई बार किरायेदार मकान की अच्छी तरह देखभाल नहीं करते और उसे क्षति पहुंच जाती है । उस के बारे में उपखण्ड (छ) में उपबन्ध किया गया है । इसी प्रकार यदि स्थानीय निकाय या सरकार के कहने पर मकान मालिक ने मरम्मत करानी हो तब खाली कराने के आदेश दिये जा सकते हैं ।

इन समस्त आधारों पर मकान मालिक को सूचना देनी होगी ।

अब मैं वह बातें बताऊंगा जिन के अधीन किरायेदार सुरक्षित रह सकते हैं । यदि किसी किराये-दार पर बेदखली का दावा किराया न देने के आधार पर किया गया है तब सम्पदा हस्तांतरण अधि-नियम के अतिरिक्त भी हमारे पास इस विधेयक का खण्ड १५ है । उस के अनुसार किराया नियंत्रक न्यायपालिका की सी कार्यवाही करेगी दोनों पक्षों को सुना जायेगा तब वह किरायेदार को किराया जमा करने का आदेश देगा । वह किराया एक मास के भीतर ही वहां दाखिल करना पड़ेगा । यदि यह हो जाता है तब आगे कार्यवाही न होगी । पहले क्या होना था, इसी आधार पर दावे किये जाते थे और किराया नियमोचित होता ही नहीं था । यदि किरायादार अब किराया देता रहता है तब उस के प्रतिकूल कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती ।

अब किरायेदारी के बारे में खण्ड १६ में लिखा है कि यदि इस अधिनियम के लागू होने के पश्चात् कोई किरायेदार मकान मालिक की लिखित अनुमति से आगे मकान का कोई हिस्सा किराये पर दे देता है तब उप-किरायेदार एक महीने का नोटिस दे कर उस हैसियत को समाप्त कर सकता है । उस के बाद ऐसे मामलों में जहां विधि द्वारा व्यवस्था की गई है ऐसे उपकिरायेदार तथा मकान मालिक के बीच सीधे सम्बन्ध स्थापित हो सकेंगे ।

एक और महत्वपूर्ण बात है यदि मकान मालिक किरायेदार को बेदखल करके मकान पर कब्जा कर लेता है तो कई बार ऐसा भी हो सकता है कि उस को सद्भावनापूर्ण आवश्यकता न हो । इस प्रकार एक किरायेदार को बेदखल कर के वह दूसरे को मकान किराये पर उठा देता है । यह बुरी बात है । अतः खण्ड १८ में उस के लिये एक दण्ड की व्यवस्था की गई है । उस खण्ड के अनुसार मकान मालिक नियंत्रक की अनुमति के बिना उस मकान को तीन वर्ष तक किराये पर नहीं उठाया जा सकेगा । यह उपबन्ध बड़ा ही हितकारी है । अन्यथा तो यही होगा कि वह एक किराये-दार को निकालेगा और दूसरे को बसायेगा यह गलत बात है । इसीलिये यह उपबन्ध रखा गया है ।

यदि कब्जा लेने के पश्चात् भी मकान मालिक मकान में नहीं रहता तो आवेदन देने पर नियंत्रक पहले किरायेदार को ही उस का कब्जा दे देगा । अतः उचित परिस्थितियों में बहाली की व्यवस्था की गई है । इसलिये नियंत्रक सभी बातों पर ठीक न्यायपालिका पदाधिकारियों की भांति विचार कर के यह निर्णय देगा कि मकान को भी उसी किरायेदार के नाम बहाल किया जाये ।

पहली बात तो यह है कि मकान पर किरायेदार की बहाली हो जायेगी । दूसरी चीज यह है कि जो उस से लिया गया है वह भी उसे वापस मिल जायेगा । इस के अतिरिक्त इसे दंडनीय अपराध भी बनाया गया है । यदि मकान मालिक इन उपबंधों का उल्लंघन करेगा तब उसे दंड भी दिया जा सकता है उसे कारावास में भेजा जा सकता है ।

मरम्मत तथा पुनर्निर्माण के लिये भी कब्जे लेने की व्यवस्था की गई है । अध्याय ४ भी महत्व-पूर्ण है । इस के अन्तर्गत किरायेदार सीधे मकान मालिक को धन दे सकता है । किन्तु कई बार मकान

मालिक रुपया लेने से इन्कार कर देते हैं । किन्तु अब उस के लिये भी व्यवस्था कर दी गई है । पहली बात तो यह है कि वह किराया ले कर रसीद दे । यदि यह लगे कि मकान मालिक रसीद देने से टाल-मटोल करता है तब किरायेदार को किराया नियंत्रक के यहां रुपया जमा करा देना चाहिये । उस की मान्यता विधि में उसी प्रकार से है जैसे कि किराया मकान मालिक को ही दिया गया है । मकान मालिक वह किराया नियंत्रक के कार्यालय से लायेगा ।

†**श्री चे० रा० पट्टाभिरामन** (कुम्ब्रकोणम्) : उस के लिये भी तो कोई निधि होनी चाहिये ।

†**श्री दातार** : इस बात पर विचार किया जा सकता है । इस समय हम किराये के बारे में बातचीत कर रहे हैं । पहले तो मकान मालिक को रसीद देनी होगी । यदि वह रसीद नहीं देता तब किरायेदार का दायित्व भी तो खत्म करना है । अन्यथा उस के परिणाम भयंकर होंगे । इसलिये किरायेदार नियंत्रक के पास किराया भेज सकता है ।

अध्याय ५ होटलों तथा अन्य आवासों से संबंधित है और उस में यह व्यवस्था की गई है कि प्रबन्धक अत्यधिक किराया न ले । यदि इस प्रकार की कोई लिखित शिकायत नियंत्रक को की जाती है और वह यह विश्वास करता है कि यह किराया अत्यधिक है तब वह न्यायोचित किराया निर्धारित कर सकता है । यह पुनरीक्षण उचित मामलों में किया जा सकता है । यदि न्यायोचित किराये से अधिक किराया लिया गया हो तो उस को कुछ राशि वसूली के योग्य भी है । इस के अतिरिक्त होटलों के मैनेजर भी कब्जा ले सकते हैं । वहां रहने वालों को स्थान को उचित प्रयोजन के लिये ही इस्तेमाल करना होता है । उन्हें वहां कोई गड़बड़ नहीं करनी ।

अध्याय ६ नियंत्रकों की नियुक्तियों से सम्बन्धित है । पहली शर्त तो यह है कि एक व्यक्ति को किराया नियंत्रक तब तक न लगाया जायगा जब तक कि उस ने भारत में पांच वर्ष तक न्यायाधीश या न्यायपालिका अधिकारी के रूप में काम न किया हो । इस से स्पष्ट हो जायेगा कि हम ने न्यायपालिका की अर्हता को सम्मिलित करना उचित समझा है । इसी कारण इस सारे मामले को व्यवहार न्यायालयों की परिधि से बाहर निकाल दिया है । यह मामला उन्हीं के हाथों में सौंपा जायेगा जोकि वास्तविक न्यायपालिका पदाधिकारी हैं ।

†**श्री चे० रा० पट्टाभिरामन** : वकील की नियुक्ति नहीं हो सकती ?

†**श्री दातार** : वकील भी तभी नियुक्त हो सकता है जब पहले कभी भी पांच वर्ष न्यायपालिका अधिकारी रह चुका हो ।

इस के पश्चात् नियंत्रक की शक्तियां वही होंगी जो व्यवहार न्यायालयों की हैं । उन की सब कार्यवाहियों को न्यायिक माना जायेगा । इस के पश्चात् प्रक्रिया का प्रश्न आता है ।

इस अधिनियम के अधीन नियंत्रक कोई ऐसा आदेश किसी के विरुद्ध नहीं देगा जब तक कि उसे उस आदेश के विरुद्ध कारण बताने का उपयुक्त अवसर न दिया जाये और जब तक नियंत्रक उन सब पर विचार न कर ले तब तक भी आदेश न दिया जायेगा । यह कार्यवाही व्यवहार न्यायालय सिद्धान्तों के अनुसार है ।

नियंत्रक उसी प्रक्रिया का अनुसरण करेगा जोकि व्यवहार न्यायालय करते हैं । किन्तु अल्प-वादों वाले न्यायालयों सी प्रक्रिया अपना कर इस में तीव्रता का तत्व मिला दिया जायगा । यदि

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री दातार]

वही लम्बी प्रक्रिया, लम्बी जिरहें रखी जायें तब तो मामलों का निपटारा ही न होगा। वह उपयुक्त मामलों में एक पक्ष पर खर्चा भी डाल सकेगा।

नियंत्रक के निर्णयों की अपील न्यायाधिकरण के पास की जा सकेगी। न्यायाधिकरण में तब तक किसी व्यक्ति को नहीं लगाया जायेगा जब तक कि वह जिला न्यायाधीश न रहा हो या १० वर्ष तक न्यायपालिका अधिकारी न रहा हो।

†**श्री चे० रा० पट्टाभिरामन्** : 'अपील की जा सकेगी' शब्द क्यों रखे गये हैं ? 'अपील होगी' होना चाहिये।

†**श्री दातार** : वे शब्द भी उपधारा (१) के अन्तर्गत रखे गये हैं। उच्च-न्यायालय में उपधारा (१) के अधीन तभी अपील होगी जब कि विधि का कोई सारवान प्रश्न इस में अन्तर्ग्रस्त होगा। यही बात उपधारा (२) में दूसरे ढंग से स्पष्ट की गई है। 'सारवान' शब्द इसीलिये रखा गया है कि साधारण कारणों के आधार पर अपील न की जा सके।

आदेशों में भी संशोधन हो सकता है। जुर्माना वसूल करने के लिये नियंत्रक दण्डाधिकारी के अधिकार प्रयोग करेगा और आदेश निष्पादन के लिये व्यवहार न्यायालय के अधिकार। उस के पश्चात् मकान मालिकों और किरायदारों के कर्तव्यों की व्यवस्था है। जो उन्हों ने करना होगा उस का स्पष्टीकरण करना होगा।

अब मैं श्री ब्रजराज सिंह का ध्यान खण्ड ४७ की ओर दिलाता हूं। यदि कोई व्यक्ति धारा (५) के उपबन्धों का उल्लंघन करेगा तो उसे ३ मास के कारावास या जुर्माने का दण्ड दिया जा सकता है। आप देखेंगे कि यदि मकान मालिक धारा ४५ के उपबन्धों के अनुसार नहीं चलता तब उसे १०० रुपये तक का जुर्माना किया जा सकता है।

इन अपराधों के अभियोग खण्ड ४८ के अधीन प्रथम श्रेणी के दण्डाधिकारी के न्यायालय से छोटे न्यायालय में नहीं चल सकेंगे। जुर्माने के बारे में अधिक शक्ति दी गई है। धारा ४७ के अधीन अपराधी की दोषसिद्धि हो जाने पर व्यक्ति को दो हजार तक का जुर्माना किया जा सकता है। 'दो हजार रुपये से अधिक के' शब्दों पर आप ध्यान दें। अधिकतम रकम का उल्लेख नहीं किया गया है। दंडाधिकारी परिस्थितियों के अनुसार अधिकाधिक जुर्माना भी कर सकता है।

खण्ड '४९' से व्यवहार न्यायालयों को अवरुद्ध किया गया है। जो दावे अब व्यवहार न्यायालयों में चल रहे हैं वे वहीं चलेंगे।

स्वामित्व सम्बन्धी दावों पर व्यवहार न्यायालय कार्यवाही कर सकेंगे और वही निर्णय देंगे।

यह विधेयक निष्क्रान्त सम्पत्ति अधिनियम के प्रवर्तन पर भी प्रभाव न डालेगा और न ही दिल्ली की गन्दी बस्तियों (सुधार तथा हटाया जाना) अधिनियम, १९५६ तथा दिल्ली किरायेदार (अस्थायी सुरक्षा) अधिनियम, १९५६ के प्रवर्तन पर ही इस का कोई प्रभाव होगा। यह अधिनियम, फरवरी, १९५९ तक लागू रहेगा। यह अस्थायी है अतः इसे तब तक चलते रहने दिया जायगा।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

इस के अतिरिक्त नियम बनाने के खण्ड हैं। पहले अधिनियमों का निरसन कर दिया गया है। इस विधेयक के उपबन्ध मकान मालिकों तथा किरायेदारों दोनों के लिये ही लाभदायक हैं। हम ने वैसे किरायेदारों की वैध मांगों को पूरा किया है और कई स्थानों पर यथार्थ दृष्टिकोण भी अपनाया है। यथार्थ दृष्टिकोण से अभिप्राय है कि मकानों की हालत अच्छी रहे, मरम्मत हो और लोगों में मकान बनाने या इस दिशा में पूंजी लगाने के लिये उत्साह बना रहे। इसलिये मकान मालिकों को भी थोड़ी रियायतें दी गई हैं ताकि मकानों की कमी न हो। मैं प्रार्थना करता हूं कि सभा इस प्रस्ताव को स्वीकार करे।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

†**श्री प्र० सि० दौलता** (झज्जर) : मैं ने इस विधेयक को कई बार ग़ौर से पढ़ा, मुझे हर बार यही अनुभव हुआ कि यह विधेयक मालिक मकानों को फायदा पहुंचाने के लिये बनाया गया है। मंत्री महोदय ने कहा है कि इस विधेयक से किरायादार तथा मालिक मकान दोनों ही रो रहे हैं। किरायेदारों का चिल्लाना तो मेरी समझ में आता है क्योंकि उन को इस विधेयक से कुछ लाभ नहीं पहुंचा है। किन्तु मालिकों का चिल्लाना महज़ दिखावा है।

दिल्ली में सामान्य रूप से किरायेदार एक ग़रीब व्यक्ति होता है। उसे मकान की जरूरत होती है। मालिक उस से मनमाना किराया लेते हैं। इस पर भी वह उस मकान में रह सकेंगे यह निश्चित नहीं है। किरायेदारों को कोई सुरक्षा नहीं है। किरायेदारों और मालिक मकानों के बीच ज्यादातर झगड़ों में हमेशा मालिक की ही जीत होती है।

किरायेदारों की कई संस्थायें उन की अवस्था सुधारने के लिये बड़ी देर से प्रयत्न कर रही हैं। वे कई बार गृह मंत्री से भी मिल चुकी हैं। बड़ी देर से दिल्ली के किरायेदार इस विधेयक की प्रतीक्षा कर रहे थे। किन्तु आज वह इस को देख कर बड़े मायूस हो गये हैं। इस में कितनी बातें उन के हितों के विरुद्ध भरी पड़ी हैं। वे सोचते हैं कि 'खोदा पहाड़ निकली चुहिया'।

इस विधेयक के उद्देश्यों में जो कुछ कहा गया है उस से स्पष्टतया यह प्रकट हो रहा है कि यह विधेयक मालिक मकानों को मकान बनाने के लिये प्रोत्साहन देने के लिये लाया गया है। सरकार स्वयं क्यों नहीं मकान बनाती? सरकार उन को बताना चाहती है कि "आओ और खूब मकान बनाओ। इस के लिये वे जितना धन लगायेंगे उस पर खूब लाभ होगा और उन का लाभ बिल्कुल सुरक्षित है।" आज एक मामूली सा क्लर्क भी यह जानता है कि दिल्ली में मकान बनाने में कितना लाभ है। वह कभी भी दिल्ली के आसपास रोहतक, हिसार या गाज़ियाबाद में मकान बनाने की सलाह नहीं देगा।

मैं समझता हूं इस बिल का यही उद्देश्य है कि कैसे मालिकों को ज्यादा से ज्यादा किराया मिल सके और वे कैसे किरायेदारों को शीघ्रता से अपने मकानों से निकाल सकते हैं? इस विधेयक के अन्तर्गत जो नियंत्रक नियुक्त किये जा रहे हैं उस सब मशीनरी का यही उद्देश्य है कि मालिकों की कैसे ज्यादा से ज्यादा सहायता की जा सके।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य अपना भाषण कल जारी रखें। अब सभा अगला कार्यक्रम लेगी।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास के बारे में चर्चा

†श्री पाणिग्रही (पुरी): मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि ४ जुलाई, १९५८ को कलकत्ता में पूर्वी पाकिस्तान से आने वाले विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास के बारे में हुए उच्च स्तरीय सम्मेलन में नीति सम्बन्धी जो प्रमुख निश्चय किये गये हैं, उन पर विचार किया जाये ।"

पिछली जुलाई में कलकत्ता में पूर्वी पाकिस्तान से आये हुए विस्थापित व्यक्तियों को बसाने के लिये नीति निर्धारित करने के लिये एक उच्च स्तरीय सम्मेलन हुआ था । उस में कई प्रमुख निश्चय किये गये हैं । मैं चाहता हूं कि आज यह सभा उन पर विचार करे ।

सब से पहली बात यह है कि शरणार्थियों को बसाने के लिये जिस सम्मेलन ने इतने महत्वपूर्ण निश्चय किये हैं उस में पूर्वी पाकिस्तान के शरणार्थियों या पश्चिमी बंगाल की किसी शरणार्थी संस्था का कोई भी प्रतिनिधि नहीं था ।

सरकार ने विस्थापित व्यक्तियों को बसाने के लिये इतनी योजनायें बनाई हैं और उन के पुनरीक्षण व विस्तार तैयार करने में इतने कागज़ भर दिये हैं कि उन से एक वृहद् रामायण तैयार हो सकती है । परन्तु इतना सब कुछ के बाद भी आज सरकार पूर्वी पाकिस्तान से आने वाले ४५ लाख शरणार्थियों में से केवल आधे लोगों को ही बसा पाई है ।

कलकत्ता सम्मेलन में तीन बड़े निश्चय किये गये हैं । एक कि इस समय पश्चिमी बंगाल के विभिन्न शरणार्थी शिविरों में रहने वाले ४५,००० परिवारों में से १०,००० परिवारों को पश्चिमी बंगाल में बसाया जाये और शेष ३५,००० परिवारों को राज्य के बाहर अन्य राज्यों में, दूसरा जो परिवार बंगाल में बसाये जायें उन्हें केवल ६ महीने तक और निर्वाह दिया जाये । उस के बाद यह व्यय बन्द कर दिया जाये । तीसरे, कि ३१ जुलाई, १९५९ तक सभी शरणार्थी शिविर बन्द कर दिये जायें ।

जो ३५,००० परिवार राज्य के बाहर भेजे जायेंगे उन में से २०,००० परिवारों को दंडकारण्य में बसाया जायेगा ।

मैं समझता हूं पुनर्वास मंत्रालय ने इस प्रकार से लक्ष्य निर्धारित कर के बड़ा अच्छा कार्य किया है क्योंकि इस से काम में तेज़ी करने की प्रेरणा मिलेगी । किन्तु हम ने इन लक्ष्यों को निर्धारित करते समय पिछले अनुभव का कोई ध्यान नहीं रखा । पिछले ७ या ८ वर्षों में हम प्रतिवर्ष औसतन ६,००० परिवारों को ही बसा सके हैं । ऐसी दशा में अब सरकार एक ही वर्ष में ३५,००० परिवारों को कैसे बसा सकेगी ?

शरणार्थियों को पूर्ण रूपेण बसाने से पहले हम ने यह निश्चय कर लिया है कि हम ६ महीने के पश्चात् उन्हें कोई निर्वाह व्यय नहीं देंगे । मैं समझता हूं इस से शरणार्थियों पर बड़ा बुरा असर पड़ेगा और अनेक लोग जो इतनी थोड़ी अवधि में नहीं बस सकेंगे कलकत्ता के बाज़ारों और गलियों में भिक्षा मांगने के लिये मजबूर हो जायेंगे ।

सरकार ने इतने परिवारों को बंगाल के बाहर बसाने का निश्चय इस आधार पर किया है कि बंगाल सरकार ने कह दिया था कि उन के पास शरणार्थियों को बसाने के लिये अब कोई और भूमि नहीं है । किन्तु अब बंगाल सरकार को अगस्त मास मिदनापुर में १ लाख एकड़ उपजाऊ भूमि का

---

†मूल अंग्रेज़ी में

पता लगा है जिस पर २०,००० परिवार बस सकते हैं। इस तथ्य के प्रकाश में कलकत्ता सम्मेलन के निश्चय को फिर से दोहराने की आवश्यकता है।

पश्चिमी बंगाल के शिविरों में रह रहे ४५,००० शरणार्थी परिवारों में से अब १०,००० परिवारों की बजाय २०,००० परिवारों को बंगाल में ही बसाया जा सकता है। अब केवल २५,००० परिवार ही ऐसे रह जायेंगे जिन्हें राज्य के बाहर बसाना पड़ेगा।

[**श्री चे० रा० पट्टाभिरामन्** पीठासीन हुए]

अब इन २५,००० परिवारों में से भी, जैसा कि पश्चिमी बंगाल के पुनर्वास मंत्रालय द्वारा दिये गये आंकड़ों में बताया गया है, १३,००० ऐसे परिवार हैं जोकि वहां की सरकार द्वारा बनाई गई 'बय-नामा' योजना के अन्तर्गत अपनी भूमियां खरीदने को तैयार हैं तथा जिन के प्रार्थनापत्र इस समय सरकार के पास पड़े हुए हैं। इस तरह केवल १२,००० परिवार ही ऐसे रह जायेंगे जिन्हें राज्य के बाहर बसाना होगा।

दण्डकारण्य में एक परिवार को बसाने के लिये औसतन १०,००० रुपये व्यय होते हैं जबकि यदि एक परिवार को बंगाल में ही बसाया जाये तो उस पर केवल ३,००० रुपये व्यय होते हैं।

†**पुनर्वास तथा अल्प-संख्यक कार्य-मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना)** : आप यह आंकड़े कहां से पढ़ रहे हैं ?

†**श्री स० म० बनर्जी** (कानपुर) : सरकारी आंकड़ों में से।

†**श्री पाणिग्रही** : मैं आप को यह सब आंकड़े दे सकता हूं।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** (बसिरहाट) : ये आंकड़े पश्चिमी बंगाल सरकार द्वारा प्रकाशित किये गये हैं।

†**श्री पाणिग्रही** : और शेष राज्यों में एक परिवार को बसाने के लिये ५,००० रुपये व्यय आता है। इसलिये मैं समझता हूं इन शेष परिवारों को राज्य से बाहर भेजने की अपेक्षा आप प्रत्येक परिवार को ३,००० रुपये क्यों नहीं दे देते जिस से वे अपना बसने का इन्तज़ाम खुद कर लें।

इस समय अन्य राज्यों में भी शरणार्थियों के पुनर्वास की स्थिति कुछ विशेष अच्छी नहीं है। त्रिपुरा, आसाम, बिहार, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश ने अपने यहां शरणार्थियों को बसाने के लिये कहा है। तथापि इन राज्यों में भी विशेष व्यवहारिक कठिनाइयों के कारण शरणार्थियों की कोई अच्छी स्थिति नहीं है।

कलकत्ता के शिविरों में रहने वाले विस्थापित परिवारों का अनुमान भी ठीक नहीं लगाया गया है। इस में सियालदा में रहने वाले ५,००० शरणार्थी परिवारों की गिनती नहीं की गई है। फिर इन ३५,००० परिवारों में से १५,००० परिवार ऐसे हैं जो ग़ैर-काश्तकार हैं। उन को बसाने के बारे में सम्मेलन ने कोई बात नहीं सोची है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या इन लोगों को जुलाई १६५६ से पहले कहीं पर नौकरियों पर लगाया जा सकता है ?

†मूल अंग्रेज़ी में

[श्री पाणिग्रही]

दंडकारण्य में सरकार नवम्बर १९५८ तक १,००० परिवारों को बसाना चाहती थी । किन्तु अभी तक उस स्थान को रहने के योग्य नहीं बनाया जा सका है । उस के विकास पर २ करोड़ रुपया व्यय किया जा चुका है । किन्तु सितम्बर तक अभी तक वहां पर कोई व्यक्ति नहीं बसा । अब दो मास में यह लक्ष्य कैसे पूरा होगा ?

जैसाकि मैं पहले बता चुका हूं कि २०,००० परिवारों को पश्चिमी बंगाल में ही बसाया जा सकता है । मैं समझता हूं वहां पर थोड़ी और तलाश करने पर व थोड़ा और पैसा खर्च करने पर और भूमि भी उपलब्ध हो सकती है और इस प्रकार वहां पर १०,००० और परिवारों को भी बसाया जा सकता है । केन्द्रीय सरकार को इस दिशा में थोड़ा और प्रयत्न करने की आवश्यकता भर है । मुझे पूरा विश्वास है कि बंगाल में अवश्य और भूमि उपलब्ध हो सकती है ।

†**सभापति महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ । श्री बि० दास गुप्त का एक स्थानापन्न प्रस्ताव है ।

†**श्री बि० दास गुप्त** (पुरुलिया) : मैं अपना स्थानापन्न प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं ।

†**श्री न० रं० घोष** (कूच-बिहार) : श्रीमान्, मैं समझता हूं कि श्री पाणिग्रही जी ने जो यह कहा है कि बंगाल में और भूमि उपलब्ध हो सकती है वह बात गलत है । मैं समझता हूं कि डा० राय ने जो यह कहा है कि वह १०,००० परिवारों को और बसा सकते हैं यह भी बहुत अधिक हैं । बंगाल में इस समय ५,००० परिवारों को बसाना भी कठिन है ।

शुरू शुरू में यह तय किया गया था कि कुछ शरणार्थियों को अंदेमान में बसाया जाये क्योंकि वहां का जलवायु तथा प्राकृतिक बंगाल के जलवायु तथा प्राकृतिक वातावरण के अनुकूल था । शुरू में कुछ लोग वहां गये भी, परन्तु बाद में कुछ राजनीतिक दलों ने लोगों को बहकाना शुरू कर दिया । परिणामस्वरूप लोगों ने वहां जाने से इन्कार कर दिया । मैं अन्देमान में बसे हुए कुछ शरणार्थियों को जानता हूं । वे वहां बड़े खुश हैं । इसलिये मेरा सुझाव है कि लोगों को किसी अन्य राज्य में भेजने की बजाय वहां पर जाने के लिये समझाया जाये ।

कैम्प जीवन और निर्वाह भृत्ति की वृत्ति ने हमें भिखारी मनोवृत्ति का बना दिया है । इस से लोगों में स्वाभिमान की भावना समाप्त हो गई है । मैं चाहता हूं इस को तुरन्त बन्द कर दिया जाये ।

दंडकारण्य कृषकों के लिये अच्छा स्थान नहीं है । अधिकतर बंगाली शरणार्थी परिवार किसान परिवार हैं जो प्रायः धान और पटसन की खेती करते थे । दंडकारण्य की भूमि तथा जलवायु इन चीजों की खेती के अनुकूल नहीं है । इसलिये मैं एक बार फिर कहूंगा कि उन को वहां की बजाये अन्देमान में भेजना अच्छा रहेगा ।

कूच बिहार में सीमा पर कुछ ऐसी बस्तियां हैं जिन की ८० प्रतिशत से अधिक आबादी हिन्दू है मगर उन इलाकों को पाकिस्तान को दे दिया गया है । मेरा निवेदन है कि हमें ऐसे इलाकों को पाकिस्तान से वापस लेने के लिये शीघ्र कोई कार्यवाही करनी चाहिये । इस से हमारे पास बहुत सा इलाका और आ जायेगा और हम उस भूमि पर अनेक शरणार्थियों को बसा सकते हैं । इसलिये, श्रीमान् इन बस्तियों का मामला शीघ्र हल किया जाना चाहिये ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

मेरे मित्र ने यह सुझाव दिया है कि शरणार्थियों को राज्य से बाहर भेजने के पूर्व शरणार्थियों के प्रतिनिधियों से परामर्श किया जाना चाहिये । मैं जानना चाहता हूं कि वह किन लोगों को शरणार्थियों का प्रतिनिधि समझते हैं ? क्या वे यह मानते हैं कि जो लोग आज शरणार्थियों को बहका कर उन्हें अपना अस्त्र बना रहे हैं ऐसे लोग उन के प्रतिनिधि हैं ?

मेरे मित्र ने अभी कहा है कि मिदनापुर में १ लाख एकड़ कृषि योग्य भूमि पाई गई है। मैं इस कथन को सुनकर बड़ा हैरान हूं । मैं स्वयं बंगाल का रहने वाला हूं । मेरे पास श्री माईति बैठ हुए हैं। आप मिदनापुर क्षेत्र के रहने वाले हैं। यह सब बातें सुन कर मेरे ऊपर यही प्रभाव पड़ा है कि माननीय प्रस्तावक महोदय का यही आशय है कि किसी भी दशा में विस्थापित व्यक्तियों को राज्य के बाहर न भेजा जाये। मैं समझता हूं इस प्रकार का प्रचार कर के वे शरणार्थियों को बसाने के काम में और भी देरी के साधन जुटा रहे हैं।

इसलिये, श्रीमान्, मैं सरकार द्वारा कलकत्ता सम्मेलन में बनाई गई योजना को बिल्कुल ठीक समझता हूं और उसका पूर्ण समर्थन करता हूं । अगर उसमें कहीं सुधार की आवश्यकता है तो वह यह कि राज्य सरकार ने जो १०,००० परिवारों को बंगाल में बसाने का आश्वासन दिया है उस को छोड़ दिया जाये ।

†**श्री बिमल घोष** (बैरकपुर) : अच्छा ही है कि हमें शरणार्थी समस्या पर पुन: चर्चा करने का अवसर प्राप्त हुआ है । जून, १९५९ में शरणार्थी शिविर बन्द कर देने का निर्णय कोई नयी बात नहीं है, इस से पूर्व भी इस प्रकार का निर्णय किया गया था। मैं केवल समस्या के दो तीन महत्वपूर्ण अंगों पर ही विचार व्यक्त करूंगा। शिविर की जनसंख्या पर ही काफी मतभेद रहा है, हमें बताया गया है कि ४५,००० परिवार हैं । जुलाई सम्मेलन में यह कहा गया था कि पश्चिमी बंगाल केवल १० हजार परिवारों की ही जिम्मेदारी ले सकता है। अक्तूबर, १९५७ में उन्होंने दार्जिलिंग में हुए सम्मेलन में २५ हजार परिवारों की जिम्मेदारी ली थी, परन्तु अब केवल दस हजार की ही क्यों बात की जा रही है। इसे स्पष्ट किया जाना चाहिये ।

इस बात पर भी मतभेद है कि इन लोगों को पश्चिमी बंगाल में ही क्यों नहीं बसा दिया जाता। इस सम्बन्ध में हमने अपने सुझाव दिये हैं। मंत्री महोदय को उसे स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये । यदि १३, १४ अगस्त में अमृत बाजार पत्रिका में प्रकाशित यह बात ठीक है कि मिदनापुर के अतिरिक्त बीरभूम, पुरुलिया और बांकुरा में भी एक लाख एकड़ के लगभग भूमि उपलब्ध है । क्या यह बात सत्य है ? क्योंकि इस से पूर्व तो वह यही कहते रहे हैं कि पश्चिमी बंगाल में और भूमि नहीं है । अब यह परिवर्तन क्यों ? दार्जिलिंग सम्मेलन में यह भी कहा गया था कि शरणार्थी शिविरों को ही बस्तियों में तबदील कर दिया जायेगा। इस सम्बन्ध में क्या किया गया ? यदि कुछ भी नहीं किया गया तो सम्मेलन में इस प्रकार का निर्णय करने की आवश्यकता ही क्या थी ?

इसके अतिरिक्त एक बात यह भी है कि इन शिविरों को बन्द कर देने के पश्चात् इनमें काम कर रहे कर्मचारियों को कहां खपाया जायेगा। ये लोग यहां १०, १२ वर्षों से काम कर रहे हैं। इन्हें भी कुछ आश्वासन मिल जाना चाहिये । पश्चिमी बंगाल में भूमि की उपलब्धता

---

†मूल अंग्रेज़ी में

[श्री बिमल घोष]

की समस्या पर केन्द्रीय सरकार पश्चिमी बंगाल सरकार और शरणार्थी संस्थाओं को मिल कर विचार करना चाहिये। मंत्री महोदय को बंगाल की दो प्रतिनिधि शरणार्थी संस्थाओं के प्रतिनिधियों से इस सम्बन्ध में बातचीत करनी चाहिये। क्योंकि प्रश्न यही था, कि पश्चिमी बंगाल में समुचित भूमि उपलब्ध नहीं है, जिन पर शिविर में पड़े परिवारों को बसाया जाये। अब पश्चिमी बंगाल के मुख्य मंत्री और केन्द्रीय पुनर्वास मंत्री ने कहा है कि भूमि उपलब्ध है, इससे मामले में काफी गड़बड़ी पैदा हो गई है। शरणार्थी यह समझने लगे हैं कि उन्हें पश्चिमी बंगाल में बसाया जा सकता है।

यह कहा जाता रहा है कि विस्थापितों के पुनर्वास के लिये अपेक्षित धन का अभाव है। इस के लिये दो तीन वर्ष हुए मैं पुनर्वास मंत्री द्वारा बुलाये गये कलकत्ते के सम्मेलन में गया था और मैं ने सरकारी क्षेत्र में उद्योग चालू करने की बात का सुझाव दिया था। उस समय मंत्री महोदय ने कहा था कि सरकारी क्षेत्र में उद्योग चालू करने का हमारा प्रयोग फरीदाबाद में सफल नहीं हुआ। परन्तु आज उसी चीज को किया जा रहा है। देखिये अर्द्ध विस्थापितों को पूर्णरूप में पुनर्वासित करने के लिये इससे क्या होता है।

तीसरी बात, इन बस्तियों की है, जिन पर विस्थापितों का अनाधिकृत कब्जा है। इन कब्जों को नियंत्रित कर देना चाहिये, परन्तु ऐसा किया नहीं गया है। हालांकि यहां रहते हुए उन्हें १० से १२ वर्ष व्यतीत हो गये हैं। इससे उनको कई प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। कई एक स्थानों पर स्कूल हैं और उनकी इमारतों के लिये सरकार ने सहायता देने का निर्णय किया है, परन्तु यह सहायता उन को उन बतिस्यों के नियमित होने पर ही मिल सकती है अन्यथा नहीं। ये लोग इन शिक्षा संस्थाओं को चला नहीं पा रहे हैं। आखिर इन बस्तियों को नियमित करने में इतनी देर क्यों की जा रही है? इस उद्देश्य के लिये संविधान में अपेक्षित संशोधन भी किया जा चुका है। ऐसा लगता है कि शिविरों में पड़े सभी विस्थापित परिवारों को हम जुलाई, १९५९ तक नहीं बसा सकेंगे। मेरा मत यह है कि इस बारे में कोई निश्चित तिथि नहीं निर्धारित की जानी चाहिये। यदि मंत्री महोदय ने जुलाई, १९५९ तक सब को बसा दिया तो, हमें इस पर कोई खेद नहीं होगा। परन्तु शिविरों में पड़े लोगों के पुनर्वास के प्रश्न को उपेक्षा की दृष्टि से नहीं देखा जाना चाहिये।

†**श्री अ० चं० गुह** : (बारसाट) : इस मामले पर मुझे हमेशा प्रशासन की आलोचना करनी पड़ी है। श्री पाणिग्रही ने ठीक ही कहा कि किसी भी विस्थापित को पश्चिमी बंगाल से बाहर नहीं ले जाना चाहिये, क्योंकि मेरा मत है कि पश्चिमी बंगाल में इन लोगों के पुनर्वास के लिये अपेक्षित भूमि उपलब्ध हो सकती है। मुझे पता है कि पश्चिमी बंगाल में पुनर्वास का कार्य किस ढंग से हो रहा है। इस कार्य में अपेक्षित प्रगति नहीं हो सकी। मिदनापुर की जिस एक लाख एकड़ भूमि का इतना प्रचार किया गया है मुझे तो यह भी सत्यता पर आधारित दिखाई नहीं देता। यहां पर किसी का पुनर्वास सम्भव नहीं होगा। मैं इस बात को पसन्द करता हूं कि लोगों को बंगाल से बाहर भी बसा दिया जाये। दंडकारण्य योजना का मैं ने स्वागत किया था और किया है। ४५,००० परिवारों के अतिरिक्त वैसे भी बंगाल की बढ़ रही आबादी

†मूल अंग्रेज़ी में

का बंगाल से बाहर फैल जाना राज्य को आर्थिक तौर पर भी लाभदायक रहेगा। इस विचार से भी मैं दंडकारण्य योजना का समर्थक हूं। दंडकारण्य में भी क्षेत्रों को केन्द्रीकृत कर के योजनायें बनाई जानी चाहियें ताकि जो भी विस्थापित वहां जायें वे भटक न जायें और अपनी सामाजिक और सांस्कृतिक एकता को कायम रख सकें। इसके अतिरिक्त इसका और भी सब दृष्टियों से विकास किया जाये। यदि बंगाली यहां बस जायेंगे तो यह सारा इलाका विकसित हो उठेगा, सारा राष्ट्र उसका आभार मानेगा। खाद्यान्नों की भी वृद्धि होगी।

मैं विस्थापितों की अवस्था को अच्छी प्रकार जानता हूं। यदि बंगाल में जाकर आप, इनके शिविरों को जा कर देखें, तो आप स्वयं ही कहेंगे कि इन शिविरों को बन्द कर देना चाहिये। इनमें आज निकृष्ट प्रकार का भ्रष्टाचार और अनैतिकता फैली हुई है। इसलिये अच्छा ही है कि इन्हें बन्द कर दिया जाये। हमारे श्री खन्ना सब कुछ तो नहीं कर सकते, उनकी भी आखिर सीमायें हैं।

कलकत्ता सम्मेलन का मुख्य निर्णय यह है कि जुलाई में शिविर बन्द कर दिये जायें। परन्तु यदि तब तक इन विस्थापितों के लिए कोई प्रबन्ध न किया जा सका तो श्री खन्ना क्या करेंगे। आखिर इनका कुछ प्रबन्ध तो करना ही होगा। इस सम्बन्ध में श्री घोष और श्री पाणिग्रही ने दो शरणार्थी संस्थाओं से परामर्श करने की बात कही है। परन्तु मेरा मत यह है कि ये संस्थायें भी राजनीतिक नेता अपने हित के लिये ही बनाते हैं। मुझे इस सम्बन्ध में कुछ अधिक नहीं कहना है। श्री विमल घोष ने स्वयं इस बात को स्वीकार किया था कि कुछ ऐसे हित हैं जो कि पुनर्वास के मार्ग में रुकावट पैदा कर रहे हैं। उन्होंने कुछ अधिकारियों का उल्लेख किया। परन्तु, उन्हें यह नहीं भूलना चाहिये कि आज शिविरों में जो अवस्था है, उसका कारण भी राजनीतिक नेताओं की गुटबन्दी ही है। लोग चाहते हैं कि यह विस्थापित समस्या बनी रहे। मानवीय आधार पर, पश्चिमी बंगाल के आर्थिक दृष्टिकोण के आधार पर और इस आधार पर कि पुनर्वास समुचित ढंग से हो मैं इस बात का समर्थन करता हूं कि विस्थापितों को जितना भी शीघ्र सम्भव हो बंगाल से बाहर भेज दिया जाये।

अर्द्ध पुनर्वासित विस्थापितों की समस्या पर भी ३, ४ जुलाई के सम्मेलन में विचार हुआ था। ८ और १० वर्ष का समय व्यतीत हो जाने पर भी, उनका पुनर्वास ठीक ढंग से नहीं हो सका है। वहां भूमि की उपलब्धता के अतिरिक्त अन्य आर्थिक कठिनाइयां भी हैं। इन लोगों की स्थिति सचमुच बहुत ही शोचनीय है। इनके सम्बन्ध में भी कुछ निर्णय किये गये हैं और आशा है कि इनके लिये कुछ किया जायेगा। इन्हें अपनी जीविका कमाने के योग्य तो बनाना ही चाहिए। केवल अम्बर चर्खे से काम नहीं चलेगा, किसी प्रकार के लघु उद्योगों को चालू करने की योजना लागू करनी चाहिए।

मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि सियालदा स्टेशन से विस्थापितों को हटवा दिया गया है और उन लोगों को अंडमान भेजा जा रहा है और वहां गृह-मंत्रालय की योजना के अन्तर्गत उनका पुनर्वास होगा। यह अच्छा ही है, और अधिक विस्थापितों को वहां भेजा जाना चाहिए। अन्त में पुनः मैं श्री खन्ना से निवेदन करूंगा कि उन्हें लघु उद्योगों का प्रबन्ध कर के बंगाल के २१ लाख विस्थापितों को ठीक ढंग से बसाने में सहायता देनी चाहिए।

†**श्री बि० दास गुप्त** (पुरूलिया) : ३१ जुलाई, १९५९ तक सभी शरणार्थी शिविरों को बन्द कर देने के प्रश्न पर मैं अपने विचार प्रकट करूंगा। कहा गया है कि इन शिविरों में रहने

†मूल अंग्रेजी में

[श्री बि० दास गुप्त]

वाले कुल ४५,००० परिवारों में से १० हजार को बंगाल में बसा दिया गया है और बाकी ३५,००० परिवारों को भारत सरकार बंगाल के बाहर विभिन्न राज्यों में कहीं बसा देगी। समय का ध्यान रखा जाना जरूरी है। यह बात व्यवहारिक दिखाई नहीं देती और इससे पश्चिमी बंगाल के विस्थापितों में काफी भय फैल गया है। इससे पूर्व भी १९५० में एक बार यह निर्णय किया गया था कि ३० अप्रैल १९५१ को बंगाल के शरणार्थी शिविर बन्द कर दिये जाएं। परन्तु इस निर्णय को कार्यान्वित न किया जा सका। इससे भी शरणार्थियों को ही अधिक कष्ट उठाना पड़ा। अब भी शरणार्थियों को कठिनाइयों का सामना करना होगा। संघ मंत्रालय ने ३५,००० परिवारों अर्थात लगभग १,७५,००० विस्थापितों को एक वर्ष के बीच बंगाल से बाहर बसाने का उत्तरदायित्व अपने ऊपर लिया है। १९४८ से लगभग १० हजार परिवार, जिनके लगभग ४०,००० लोग थे, बंगाल से बाहर ले जाये गये हैं। परन्तु उनका समुचित पुनर्वास नहीं हो सका है। हजारों लोग अभी शिविरों में पड़े हैं और यह कहां तक सम्भव है कि उन्हें बंगाल के बाहर बसाया जा सकेगा।

दंडकारण्य का बहुत नाम लिया जाता है, परन्तु वहां भी तो १९५८-५९ में २७६० परिवारों से अधिक लोग नहीं बसाये जा सकते। यदि यह काम पूरा हो भी गया, तो ३२,००० परिवार और बचेंगे। उनके लिए अभी कुछ नहीं किया गया। यदि १९५९ में उनकी सरकारी सहायता बन्द कर दी गयी, तो उनके समक्ष बड़ी विकट समस्या आ उपस्थित होगी। क्या माननीय मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि इन ३२,००० परिवारों का क्या बनेगा और बंगाल के बाहर विभिन्न राज्यों में इन्हें किस प्रकार बसाया जायेगा? मेरे विचार में इसका कोई उत्तर नहीं, यह मामला वैसे का वैसा ही रहेगा और ३१ जुलाई, १९५९ भी ऐसे ही चली जायेगी।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती**: यह समस्या भी खाद्य समस्या की ही भांति ही विकट है और सहयोग के बिना इसका हल किया जाना असम्भव है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि काफी कठिनाइयां सहन करते हुए आज यह अवस्था हुई है, कि मिदनापुर में ६०,००० एकड़ भूमि को इस उद्देश्य के लिये ठीक किया गया है। इसके लिये हम अपने मंत्री महोदय के बहुत आभारी हैं। यह भी कहा गया है कि शायद यह भूमि एक लाख एकड़ तक निकल आये। हमें इस बात की प्रसन्नता है कि यद्यपि हमारे विरुद्ध बहुत कुछ कहा गया परन्तु फिर भी हम पश्चिमी बंगाल सरकार के मत को बदलने में सफल हुए। मैं पुनः इस बात पर जोर दूंगी कि बंगाल के विभिन्न भागों में, अर्थात् सुन्दरबन, हिरबोहांगा, इत्यादि स्थानों में भूमि उपलब्ध हो सकती है। पश्चिमी बंगाल सरकार ने तो इस दिशा में योजना बनाई है परन्तु भारत सरकार की स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई। इसी प्रकार सालनपुर योजना को भी आर्थिक कारणों से छोड़ दिया गया है। मुझे बंगालियों के बंगाल से बाहर जाने पर आपत्ति नहीं। बंगाली सारे भारत के नागरिक हैं और देश के प्रत्येक भाग में उपलब्ध हैं। परन्तु कठिनाई यह है कि इस दिशा में पश्चिमी बंगाल के बाहर कार्यान्वित की जाने वाली योजनायें सफल नहीं रही हैं। यह बात भी गलत है कि बंगाल में भूमि उपलब्ध नहीं है। यदि हम सब परस्पर सहयोग करें, तो वहां भूमि उपलब्ध हो सकती है।

एक बात हमें समझ लेनी चाहिये कि यह शरणार्थी भी हमारे भाई हैं, हमारे भारत के हैं, हमारे पश्चिमी बंगाल के हैं, और हमें परस्पर मिल कर रहना है। शरणार्थी संस्थाओं के केन्द्रीय संघ ने ११ अगस्त को जो व्यापक योजना प्रस्तुत की है उस पर मंत्री महोदय को विचार करना

---

†मूल अंग्रेजी में

चाहिये । शरणार्थियों को सहायता देते समय हमें यह भूल जाना चाहिये कि वे भिखारी हैं इसलिये सहायता मांग रहे हैं । हम चाहते हैं कि यह शिविर बन्द हों और यह समस्या शीघ्र हल हो जाय । परन्तु इस सम्बन्ध में तिथि निश्चित कर देना कि ३० जुलाई तक सब कुछ हो जायेगा, एक अव्यवहारिक बात है । यह नहीं किया जाना चाहिये । प्रत्युत हमें यह कहना चाहिये कि कृषि क्षेत्र और गैर-कृषि क्षेत्र में पुनर्वास सम्बन्धी योजना को समुचित तौर पर बड़ी योग्यता से आगे बढ़ायेंगे ।

न्यु बैरकपुर बस्ती में लगभग ४५४ परिवार सहायता पर जीवित हैं, और उसके लिए भी सरकार की नीति ही उत्तरदायी है । हम ने सरकार को उद्योग आरम्भ करने के लिए कहा था परन्तु उस समय हमारी बात नहीं सुनी गयी थी, परन्तु हमें प्रसन्नता है कि अब इस दिशा में कुछ किया जा रहा है । मैं उसका स्वागत करती हूं, क्योंकि मैं ने तो पहले ही कहा है कि यह समस्या सहयोग से ही हल होगी । इस समस्या के बारे में राजनीतिक स्तर से ऊपर होकर सोचा जाना चाहिये । विस्थापितों का कल्याण करने की ही हमारी भावना होनी चाहिये ।

लघु उद्योगों के सम्बन्ध में मेरा सुझाव यह है कि उत्पादन केन्द्रों को सहायता देनी चाहिये और इसके लिये नियमों में परिवर्तन करना चाहिये । अन्ततः मेरा कहना है कि इस दिशा में नीति में जो परिवर्तन हुआ है वह स्वागत किये जाने योग्य है । हमें आशा है कि अब शीघ्र ही केन्द्र द्वारा योजनाओं की स्वीकृति प्राप्त होती रहेगी और उन्हें शीघ्रता से कार्यान्वित किया जाता रहेगा । और केवल दिखावा करने के लिये ३१ जुलाई तक शिविर बन्द नहीं होंगे ।

†**श्री मेहर चन्द खन्ना** : मुझे इस बात से प्रसन्नता है कि सभा को उन निर्णयों की चर्चा करने का अवसर मिला है जो हम ने पश्चिम बंगाल सरकार के परामर्श से जुलाई के प्रारम्भ में किये थे । वे निर्णय सभा-पटल पर रख दिये गये हैं । तथापि मेरा अनुभव है कि उन निर्णयों के सम्बन्ध में कुछ क्षेत्रों में कुछ भ्रांति पैदा हो गई है ।

उक्त निर्णय मोटे तौर से तीन वर्गों के अन्तर्गत रखे जा सकते हैं, सियालदा स्टेशन से भीड़ को हटाना, कलकत्ता तथा उसके निकटवर्ती स्थानों में अनाधिकृत कब्जा करने वालों की बस्तियों को नियमित करार देना तथा पश्चिम बंगाल में शिविर बंद कर आंशिक रूप से बसे हुए लोगों को पुनर्वास सहायता देना ।

जहां तक सियालदा स्टेशन और अनाधिकृत रूप से कब्जा किये हुए लोगों की बस्तियों का प्रश्न है, मैं इस से सहमत नहीं हूं कि इन बस्तियों को यथासंभव शीघ्र नियमित करार दिया जाय । इस सम्बन्ध में हम ने कई निर्णय किये हैं तथा पिछले एक दो महीनों के दौरान इन बस्तियों के विकास के लिये कई योजनायें स्वीकृत हुई हैं ।

किसी देश या राष्ट्र के लिये यह गौरव की बात नहीं है कि अभागे लोगों की एक बड़ी संख्या कलकत्ते के सियालदा स्टेशन में खुले में पड़ी रहे । वस्तुतः इस स्टेशन से दो बार पहिले भी लोगों को हटाया जा चुका है । लेकिन फिर लोग आकर वहां कब्जा कर लेते हैं । कारण कुछ भी हो, वे लोग बहुत दुखी हैं । तथापि हम अपने निश्चयानुसार कार्य कर रहे हैं और लोगों ने हटना शुरू कर दिया है ।

उक्त दो बातों तथा शिविरों को बन्द करने के सम्बन्ध में प्रस्तावकर्त्ता महोदय, मुझ में तथा चर्चा में भाग लेने वाले सदस्यों में कोई मतभेद नहीं है । सभी इस बात से सहमत हैं कि इन

†मूल अंग्रेजी में

[श्री मेहर चन्द खन्ना]

शिविरों का विस्थापितों पर नैतिक दृष्टि से अच्छा प्रभाव नहीं होता है और ये शिविर बहुत पहिले ही बन्द हो जाने चाहियें थे लेकिन १९५५ और १९५६ में अत्याधिक संख्या में शरणार्थियों के आ जाने के कारण इन शिविरों की संख्या २ लाख बढ़ गई। सरकार इन शिविरों पर १० करोड़ रुपये प्रति वर्ष व्यय कर रही है। शिविर में पांच व्यक्तियों के एक परिवार को १२५ रु० मासिक दिया जाता है लेकिन मैं मामले के इस पहलू पर विचार नहीं कर रहा हूं क्योंकि वास्तविकता यह है कि ये अभागे लोग, अपनी कोई गलती न होते हुए भी शरणार्थी बन गये हैं। विभाजन के फलस्वरूप ४२ लाख व्यक्ति पूर्वी पाकिस्तान से आये हैं।

सभा में भी बार बार इन शिविरों को शीघ्र बन्द करने की मांग की गई। इस सम्बन्ध में हम ने जो निश्चय किया उस में यह कहा गया था कि शिविरों की वर्तमान जनसंख्या १,९७,००० है जिन में ४५,००० परिवार हैं। पश्चिम बंगाल सरकार राज्य में केवल १० हजार परिवारों को बसा सकती है। इस समय पश्चिम बंगाल में ३२ लाख शरणार्थी हैं पूर्वी पाकिस्तान से आये हुए ४२ लाख शरणार्थियों में ३२ लाख शरणार्थी पश्चिम बंगाल में हैं। राज्य सरकार शिविर में रहने वाले परिवारों को छोड़ कर किसी व्यक्ति को राज्य से नहीं हटाना चाहती हैं। वह ३० लाख शरणार्थियों को बसाने का दायित्व अपने सर पर बड़ी खुशी से ले रही है। शिविर में रहने वाले उक्त ४५,००० परिवारों में से यदि प्रत्येक को ३ से ४ एकड़ भूमि दी जाय तो भी २ लाख एकड़ भूमि की आवश्यकता होगी। लेकिन पश्चिम बंगाल की भूमि पर अधिकतम दबाव पहिले ही पड़ चुका है और वहां खेती योग्य भूमि कठिनाई से ही उपलब्ध हो सकती है। मिदनापुर में केवल बंजर जमीन उपलब्ध है अथवा केवल घटिया प्रकार की भूमि ही वहां उपलब्ध है। हम ने उक्त ३५,००० परिवारों को दण्डकारण्य या अन्य राज्यों में ले जाने का निश्चय किया है। उन्हें ३१ जुलाई १९५९ तक बसा दिया जायेगा। परिवारों को वहां पुनर्वास के पूर्व काम तथा आश्रय प्रदान किया जायेगा। मुझे उस समय बहुत दुख हुआ जबकि श्री पाणिग्रही ने यह कहा कि हम ने यह कहीं नहीं कहा है कि भारत सरकार उक्त ३५,००० परिवारों को एक वर्ष के अन्दर बसा देगी। यद्यपि वे बाहर से बंगालियों के मित्र होने का दावा करते हैं तथापि वे एक भी बंगाली को दंडकारण्य में नहीं बसने देना चाहते हैं।

वस्तुतः पुनर्वास की समस्या यदि गणित की तरह सीधी होती तो यह समस्या आज से बहुत समय पूर्व ही हल हो चुकी होती। प्रश्न यह है कि ये सारे परिवार पश्चिम बंगाल में बसाये जा सकते हैं अतः उन्हें वहां से बाहर न ले जाया जाये। यह कहा गया है कि मैं ने कहा है कि दंडकारण्य में प्रत्येक परिवार को बसाने में १०,००० रु० व्यय होंगे। मैं ने कहीं ऐसा नहीं कहा है मैं स्वयं मिदनापुर और कालीगेट गया हूं और मैं ने स्वयं देखा है कि हम वहां अधिक से अधिक २५,००० एकड़ भूमि प्राप्त कर सकते हैं जो बंजर प्रकार की है। वहां अधिक से अधिक ४,००० परिवार बसाये जा सकते हैं। हमारे अधिकार में पश्चिम बंगाल में कितने ट्रेक्टर हैं वे प्रतिवर्ष ८,००० एकड़ से अधिक भूमि को खेती योग्य नहीं बना सकते हैं। इस प्रकार कुल परिवारों को वहां बसाने में ३ वर्ष का समय लग जायेगा।

अब मैं बिना नाम योजनाओं को लेता हूं। ये योजनायें दो प्रकार की होती हैं। पहिले नागरिक और दूसरी ग्रामीण। नागरिक योजना के अन्तर्गत आप को भवन निर्माण के लिये स्थान, भवन निर्माण ऋण तथा व्यापार चलाने के लिये कुछ ऋण दिया जायेगा। ग्रामीण योजना के अन्तर्गत आप

को भूमि, खेती के औजार और निर्धारण ऋण दिया जाता है । हम किसी व्यक्ति की उक्त तीनों बातों के लिये आये आवेदन पत्रों को हम सम्पूर्ण योजना के अन्तर्गत लेते हैं । और हम उसे मंजूर कर देते हैं । इस प्रकार हम ने पिछले ६ महीनों में ३३०० बिना नाम योजनायें स्वीकार कीं जिन के अन्तर्गत १ करोड़ रुपया व्यय हुआ । उस में उक्त सभी बातों पर विचार किया गया । पश्चिम बंगाल में २१ लाख व्यक्तियों को पुनर्वास सहायता प्राप्त हो चुकी है । निस्सन्देह एक वर्ग ऐसा भी है जो पुनर्वास सहायता प्राप्त कर भी अभी तक आंशिक रूप से ही बस सका है । राज्य सरकार के अनुसार यह संख्या ४० से ५० प्रतिशत तक है । यदि हम १ लाख परिवारों को ही आंशिक रूप से बसे हुए मानें तो हमें उन के लिये पर्याप्त भूमि की आवश्यकता होगी । १०,००० शिविर परिवारों के लिये भी भूमि की आवश्यकता होगी । मुझे स्वयं इस बारे में सन्देह है कि उक्त आंशिक रूप से बसे हुए परिवारों का ध्यान रखते हुए क्या पश्चिम बंगाल सरकार उक्त १०,००० परिवारों को भी बसाने में समर्थ होगी ।

वस्तुतः हम अपने निर्णयों पर बहुत सावधानी से विचार करने के उपरान्त पहुंचे हैं । हमारा निर्णय यह है कि ये शिविर ३१ जुलाई, १६५६ से बन्द कर दिये जायें । पश्चिम बंगाल से बाहर आने वाले प्रत्येक परिवार को रोजगार देने का दायित्व मेरा होगा । मैं वचन देता हूं कि प्रत्येक परिवार को बसाया जायेगा और बसाये जाने के पूर्व उसे रोजगार दिया जायेगा । हम ने शिविर में बसे हुए शरणार्थियों तथा उन के शुभचिन्तकों को एक वर्ष का समय दिया है ।

अब मैं हीरो भांगा योजना को लेता हूं । यह श्रीमती रेणु चक्रवर्ती के निर्वाचन क्षेत्र का ही एक भाग है । इस सम्बन्ध में मुझे जो पत्र दिये गये उन के अनुसार ही वहां के बन्ध पर सदैव समुद्र का आक्रमण होता था । विशेषज्ञों ने मुझे यह बताया कि इस के अलावा एक अन्य बन्ध का निर्माण करना होगा । दूसरा बन्ध बनाने में कुछ परिवारों के योग्य भूमि कम हो जायेगी और इस निर्माण कार्य में २६ लाख से ५० लाख तक व्यय हो सकता है । परिवारों को वहां बसाने में दो से तीन वर्ष का समय लगता । मैं वर्तमान शरणार्थियों को पश्चिम बंगाल में बसाये जाने के विरुद्ध नहीं हूं तथापि यदि मैं शरणार्थियों, सभा तथा केन्द्रीय सरकार के प्रति अपना दायित्व समझता हूं तो मेरे ऊपर यह भी दायित्व है कि योजनायें उपयुक्त हों और भली प्रकार से क्रियान्वित हों । जब मैं देखूंगा कि पश्चिम बंगाल में भूमि उपलब्ध नहीं हैं तो हमें राज्य से बाहर जाना होगा ।

अब मैं योजनायें प्राप्त करने की मिथ्या आशा में नहीं रहता हूं । पिछले तीन चार वर्षों में विरोधी पक्ष के सदस्यों ने हमें कितनी योजनायें भेजी हैं । वे सदैव बैठक करने को कहते हैं । वर्ष में तीन या चार बार परामर्शदान समिति की बैठकें होती हैं । जब माननीय सदस्य मेरे समक्ष व्यक्तिगत मामले ला सकते हैं तो क्या वे मुझे योजनायें नहीं सुझा सकते हैं ।

†श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : माननीय मंत्री को कई योजनायें दी जा चुकी हैं ।

†श्री मेहर चन्द खन्ना : मैं केवल यह निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार के निश्चयों का गलत अर्थ न लगाया जाय तथा मैं उन निश्चयों को क्रियान्वित करने में विरोधी पक्ष के सदस्यों के सहयोग की प्रार्थना करता हूं । मेरे विचार से ये निश्चय सर्वोत्तम है और इन से शरणार्थियों का अधिकतम हित होगा और उन का शीघ्र पुनर्वास संभव हो सकेगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†सभापति महोदय : श्री बि० दासगुप्त अपने स्थानापन्न प्रस्ताव का क्या कर रहे हैं ।

†श्री बि० दास गुप्त : मैं अपना स्थानापन्न प्रस्ताव वापस लेता हूं ।

स्थानापन्न प्रस्ताव सभा की अनुमति से वापस लिया गया ।

संसद् (अनहर्ता निवारण) विधेयक

संयुक्त समिति का प्रतिवेदन

†श्री जगन्नाथ राव (कोरापट) : मैं संसद् (अनहर्ता निवारण) विधेयक, १९५७ सम्बन्धी संयुक्त समिति का प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं ।

कार्य मंत्रणा समिति

उन्तीसवां प्रतिवेदन

†श्री राने (बुलडाना) : मैं कार्य मंत्रणा समिति का उन्तीसवां प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं ।

इसके पश्चात् लोक-सभा, गुरुवार, ११ सितम्बर, १९५८ के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई ।

---

†मूल अंग्रेजी में

दैनिक संक्षेपिका

[बुधवार, १० सितम्बर, १९५८]

	विषय	पृष्ठ
श्नों के मौखिक उत्तर		२७११—३४

ारांकित

श्न संख्या

१०९०	दिल्ली में खून वाली पेचिश, हैजा और अतिसार के रोगी	२७११—१३
१०९१	संसद्-सदस्यों के लिये अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना	२७१३—१६
१०९२	रूरकेला से बरसुआ तक रेलवे लाइन का बनाया जाना	२७१६—१७
१०९३	देश में भीषण गर्मी	२७१७—१८
१०९४	आलमबाग के पास एक सवारी गाड़ी का पटरी से उतर जाना	२७१९
१०९५	बिहार में चीनी उत्पादन	२७१९—२१
१०९६	मध्य प्रदेश में विमान सेवायें	२७२१—२३
१०९७	लू लगने से फायरमैन की मृत्यु	२७२३—२५
१०९८	भूमि	२७२५—२६
१०९९	उड़ीसा में तपेदिक के रुग्णालय	२७२६—२७
११००	सड़क परिवहन	२७२७
११०३	रेलवे पुलिस का बुरा व्यवहार	२७२८—२९
११०४	डाक सर्किल, मैसूर	२७२९—३०
११०५	दक्षिण वियतनाम को पशुओं का निर्यात	२७३१—३२
११०६	बनस्पति तेलों की कीमत	२७३२—३३
११०७	गांवों में मनीआर्डर बांटने की धन-सीमा	२७३३—३४
११०८	"भारत आइये वर्ष"	२७३४

श्नों के लिखित उत्तर		२७३४—८१

ारांकित

श्न संख्या

११०१	रेलवे बुकिंग क्लर्क	२७३४—३५
११०२	अन्तर्राष्ट्रीय वायु परिवहन सन्स्था	२७३५
११०९	मनीपुर में पशुओं की बीमारी	२७३५
१११०	आसनसोल क्षेत्र की खदानों में आग	२७३६
११११	सफदरजंग के निकट सड़क को चौड़ा करना	२७३६—३७
१११२	सरकारी अस्पतालों के डाक्टरों द्वारा प्राइवेट प्रैक्टिस	२७३७
१११३	दामोदर घाटी निगम के पानी के लिये सिंचाई कर	२७३७—३८
१११४	सिंचाई और विद्युत् परियोजनाओं के लिये मशीनें	२७३८

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—(जारी)

तारांकित
प्रश्न संख्या

११११	राष्ट्रीय राजपथ संख्या ३७	२७३८
१११६	थान्गास्सरी (क्विलोन) में पत्तन	२७३९
१११७	एयर इंडिया इंटरनेशनल की मास्को को उद्घाटन-उड़ान	२७३९
१११८	कुंदा जल-विद्युत् परियोजना	२७३९
१११९	दिल्ली में बिजली की खपत	२७४०
११२०	सिवा बाजार में टिकट चैकर पर हमला	२७४०
११२१	बिजली की बहु एकक गाड़ी के डिब्बे	२७४१
११२२	मद्रास पत्तन न्यास के कर्मचारी	२७४१
११२३	हिमाचल प्रदेश में कूल्हें	२७४१–४२
११२४	रेलवे के नये निर्माण कार्य	२७४२
११२५	गोहाटी हवाई अड्डे का विकास	२७४२
११२६	दिल्ली में जल संभरण	२७४३
११२७	उचित मूल्य वाली दुकानों का लूटा जाना	२७४३–४४
११२८	यमुना पर रेल का दूसरा पुल	२७४४
११२९	रेलवे के सामान की चोरी	२७४४
११३०	गया के निकट माल का लूटना	२७४५
११३१	बारासाट-बसीरहाट-हसनाबाद रेलवे लाइन	२७४५
११३२	हीराकुंड परियोजना के कर्मचारियों की छंटनी	२७४६
११३३	दिल्ली में कुष्ठ रोगी	२७४६
११३४	दिल्ली में जल संभरण	२७४७
११३५	कुष्ठ नियंत्रण	२७४७
११३६	छोटी सिंचाई परियोजनायें	२७४८
११३७	रक्सौल हवाई अड्डा	२७४८
६३१	पालम में डाक तथा तार की सुविधायें	२७४८–४९
६७४	भाखड़ा-नंगल परियोजना से जल-संभरण	२७४९

अतारांकित
प्रश्न संख्या

१७५६	भोपाल-उज्जैन नागदा पैसेंजर गाड़ी नं० ८८ का पटरी से उतर जाना	२७४९
१७५७	केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवायें	२७४९–५०
१७५८	वर्षा से क्षतिग्रस्त पुल	२७५०
१७५९	राजस्थान में पंपिंग सेट	२७५०–५१
१७६०	राजस्थान सर्कल में डाक तथा तार कर्मचारियों के लिये क्वार्टर	२७५१
१७६१	हिन्दी में तार भेजने की सुविधायें	२७५१
१७६२	रेल गाड़ियों में खतरे की जंजीर का खींचा जाना	२७५१–५२

प्रश्नों के लिखित उत्तर—(जारी)

अतारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
१७६३	राजस्थान में राष्ट्रीय राजपथ पर स्थित डाक बंगले	२७५२
१७६४	राजस्थान की गवेषणा योजनायें	२७५२
१७६५	सड़क विकास योजनाओं के लिये अनुदान	२७५२
१७६६	उत्तर रेलवे के स्टेशन	२७५३
१७६७	अतिरिक्त रेलगाड़ियां	२७५३
१७६८	भिवानी रेलवे स्टेशन में सुविधायें	२७५३–५४
१७६९	शाक-भाजी	२७५४
१७७०	स्थानापन्न स्कन्ध सत्यापकों का निचले पदों पर वापस भेजा जाना	२७५४
१७७१	अर्कोणम्–बम्बई पार्सल एक्सप्रैस	२७५४–५५
१७७२	बेलोनिया (त्रिपुरा) में खास भूमि	२७५५–५६
१७७३	दिल्ली के दरियागंज में गन्दे पानी का नाला	२७५६
१७७४	कटहल	२७५६
१७७५	सवारी गाड़ी की क्रेन से टक्कर	२७५६
१७७६	अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्था	२७५७
१७७७	पिछड़े क्षेत्रों में डाक तथा तार कार्यालय	२७५७
१७७८	दावे	२७५८
१७७९	कटरागंज रेलवे स्टेशन का टिकट कलैक्टर	२७५८
१७८०	पंजाब से गेहूं का निर्यात	२७५८
१७८१	विमान चालकों की केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्था	२७५८–५९
१७८२	तीसरे दर्जे के डिब्बों में सोने के डिब्बे	२७५९
१७८३	रेलवे बोर्ड की मितव्ययता समिति	२७५९–६०
१७८४	टिड्डी नियंत्रक	२७६०–६१
१७८५	खाद्यान्नों का राष्ट्रीय संचित भंडार	२७६१
१७८६	खाद्यान्नों का अधिग्रहण	२७६१–६२
१७८७	पंजाब में चावल की खरीद	२७६२–६३
१७८८	सोहना में खनिज जल	२७६३
१७८९	माल-डिब्बों का निर्माण	२७६३–६४
१७९०	पंजाब में छोटी सिंचाई योजनायें	२७६४
१७९१	विमान दुर्घटना	२७६४–६५
१७९२	मनमाड, निफाड और उगांव स्टेशनों का नवनिर्माण	२७६५
१७९३	दिल्ली रेलवे स्टेशन पर लाइसेन्स प्राप्त भारिकों (पोर्टर्स) की हड़ताल	२७६५
१७९४	पोत इंजीनियरी कालेज, कलकत्ता	२७६६
१७९५	इर्विन अस्पताल, नई दिल्ली	२७६६
१७९६	गोला रोड स्टेशन	२७६७

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—(जारी)

अतारांकित
प्रश्न संख्या

१७९७	इंजनों का खराब हो जाना	२७६७-६८
१७९८	भारत मानक संस्था, नई दिल्ली	२७६८
१७९९	दिबनापुर रेलवे स्टेशन	२७६८
१८००	माल गाड़ी में चोरी	२७६८-६९
१८०१	डाक कर्मचारियों के खिलाफ विभागीय कार्यवाही	२७६९
१८०२	केन्द्रीय जांच अभिकरण	२७६९-७०
१८०३	रंजीतनगर बस्ती	२७७०
१८०४	मनीपुर में कीटनाशक पादार्थों का वितरण	२७७०
१८०५	त्रिपुरा में कृषि-ऋण	२७७०-७१
१८०६	कस्तूर स्टेशन पर रेलवे साइडिंग	२७७१-७२
१८०७	कतरनियां घाट स्टेशन तक सवारी गाड़ी	२७७२
१८०८	फल परिरक्षण उद्योग	२७७२-७३
१८०९	बम्बई में मीन-क्षेत्रों का विकास	२७७३
१८१०	ट्रेनों में बिजली के संभरण की व्यवस्था	२७७३
१८११	बाबतपुर हवाई अड्डा (बनारस)	२७७३-७४
१८१२	औरंगाबाद और नान्देव के बीच के स्टेशनों पर रेलवे कर्मचारियों के लिये क्वार्टर	२७७४
१८१३	समन्वेषी नलकूप संगठन	२७७४-७५
१८१४	अमृतसर में डाकखाने की इमारत	२७७५-७६
१८१६	उड़ीसा में खण्ड-कर्मचारियों की कमी	२७७६
१८१७	रेलवे सेवा आयोग, कलकत्ता	२७७६
१८१८	अत्यावश्यक पण्य अधिनियम, १९५५ के अधीन दण्डित व्यक्ति	२७७६-७७
१८१९	छोटी सिंचाई योजनायें	२७७७
१८२०	राज्यों में मैडीकल प्रैक्टीशनर	२७७७
१८२१	गाड़ियों का लेट चलना	२७७७-७८
१८२२	रेल की दोहरी लाइन बिछाना	२७७८
१८२३	उपज	२७७८
१८२४	अतिथि नियंत्रण आदेश	२७७८-७९
१८२५	पंजाब की नदियों के पानी पर नियंत्रण करना	२७७९
१८२६	उत्तर रेलवे पर उपरी पुल	२७७९
१८२७	होशियारपुर में तार और टेलीफोन की सुविधायें	२७८०
१८२८	लैटर-बक्स	२७८०
१८२९	अनाज का स्टाक	२७८०
१८३०	दिल्ली गेट के पास टेलीफोन एक्सचेंज	२७८१

विषय पृष्ठ

सदस्य द्वारा त्याग पत्र २७८१

अध्यक्ष ने लोक-सभा को सूचित किया कि श्री त्रिभुवन नारायण सिंह ने लोक सभा में अपने स्थान से १० सितम्बर, १९५८ से त्याग-पत्र दे दिया है ।

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति का प्रतिवेदन—उपस्थापित २७८४

छब्बीसवां प्रतिवेदन उपस्थापित हुआ ।

विधेयक पारित . . . . २७८६—९५

श्री करमरकर द्वारा भारतीय चिकित्सा परिषद् (संशोधन) विधेयक, पर विचार करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया । प्रस्ताव स्वीकृत हुआ । खण्डवार विचार के पश्चात् विधेयक पारित हुआ ।

विधेयक को संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव विचाराधीन . . २७९५—२८०५

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) ने दिल्ली किराया नियंत्रण विधेयक को संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया । चर्चा असमाप्त रही ।

पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास के बारे में प्रस्ताव . २८०६—१६

श्री पाणिग्रही ने पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास के सम्बन्ध में, ४ जुलाई, १९५८ को कलकत्ते में हुए उच्चस्तरीय सम्मेलन में किये गये नीति सम्बन्धी प्रमुख निश्चयों पर चर्चा उठाई । पुनर्वास तथा अल्प संख्यक कार्य मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना) ने चर्चा का उत्तर दिया और चर्चा समाप्त हुई ।

संयुक्त समिति का प्रतिवेदन—उपस्थापित २८१६

श्री जगन्नाथ राव ने संसद् (अनर्हता निवारण) विधेयक, १९५७ सम्बन्धी संयुक्त समिति का प्रतिवेदन उपस्थापित किया ।

कार्य मंत्रणा समिति का प्रतिवेदन—उपस्थापित . . . २८१६

उन्तीसवां प्रतिवेदन उपस्थापित हुआ ।

गुरुवार, ११ सितम्बर, १९५८ के लिये कार्यावलि—

दिल्ली किराया नियंत्रण विधेयक को संयुक्त समिति को सौंपने के प्रस्ताव पर अग्रेतर चर्चा ।